लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XII contains Nos.1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 16 फरवरी, 1968/ 27 माघ, 1889 (शक)

No. 5, Friday, February 16, 1968/ Magha 27, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

*S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
91.	जहाजों के भाड़े की दरें	Shipping Freight Rates	477—480
92.	पूंजी निदेश पर अमरीका द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का पर्यटन पर प्रभाव	Effect on Tourism of US Curbs on Investment	480—483
93.	कोचीन में जहाज निर्माण कारखाना	Shipyard at Cochin	483—486
94.	अखनूर (जम्मू) में पाकिस्तानी धावे	Pak Raids in Akhnoor (Jammu)	486—489
95.	प्रधान मन्त्री का शान्तिनिकेतन का दौरा	Prime Minister's Visit to Shantiniketan	489—491

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

96.	शेख अब्दुल्ला के भाषण	Speeches of Sheikh Abdullah	491—492
97.	काश्मीर की स्थिति के संबंध में काश्मीर के मुख्य मन्त्री का वक्तव्य	Kashmir Chief Minister's Statement on Kashmir's Status	492

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
98.	वामपंथी साम्यवादियों की सशस्त्र विद्रोह की कथित योजना	Alleged Plan for Armed Revolt by Left Communists	492—493
99.	राजभाषा (संशोधन) अधिनियम	Offical Languages (Amendment) Act	493
100.	पूर्वी पाकिस्तान से वापस आने वाले नागा	Nagas Returning from East Pakistan	493—494
101.	शेख अब्दुल्ला और पाकिस्तान के उच्चायुक्त की भेंट	Meeting between Sheikh Abdullah and Pakistani High Commissioner	494
102.	हिन्दी का विकास	Promotion of Hindi	494—495
103.	नये वर्ष की पूर्व संध्या को कनाट प्लेस में हुई घटनायें	Connaught place incidents on New Year Eve	495—496
104.	लोकपाल	Lok Pal	496
105.	हरियाना सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstrations by Haryana Government Employees	496—497
106.	इंडिया आफिस लायब्रेरी, लन्दन	India Office Library, London	497
107.	मद्रास में रहने वाले उत्तर भारत के निवासियों को धमकी भरे टेलीफोन किये जाना	Threatening Telephone Calls received by North Indian Residents in Madras	497
108.	दिल्ली में अध्यापकों के वेतनमान	Pay scales of Teachers in Delhi	497—498
109.	उड़ीसा में पाकिस्तानी प्रचार साहित्य	Pakistani propaganda literature in Orissa	498
110.	अन्तर्राज्य मार्गों के लिए बसों के परमिट	Bus permits on Inter-State routes	498—499
111.	मद्रास में स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई	Study of Hindi in Schools in Madras	499—500
112.	विद्यार्थियों की हड़तालें	Strikes by Students	500
113.	सी० आई० ए० का धन	C. I. A. Funds	500— 501
114.	सड़क परिवहन निगम	Road Transport Corporation	501
115.	हरियाना सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Haryana Government Employees	501—502

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
116. विदेशों में भारतीय लड़कियों का कथित बेचा जाना	Alleged sale of Indian Girls Abroad	502
117. आसाम का पुनर्गठन	Assam Reorganisation	502
118. साम्प्रदायिक दंगों की जांच के लिये जाँच आयोग	Commission of Enquiry into communal disturbances	502—503
119. हिलटन्स के सहयोग से बंबई में एक होटल की स्थापना	Establishment of a hotel at Bombay with collaboration of Hiltons	503
120. 'आसामियों के लिये आसाम' आन्दोलन	'Assam for Assamese" Agitation	503—504

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

649. सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड	Surendra overseas Ltd.	504
650. केन्द्र द्वारा राज्यों को पुलिस सहायता	Police Assistance by Centre to States	504—505
651. केन्द्रीय सरकार के हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	Hindi knowing Central Government Employees	505
652. एयर इंडिया उद्घाटन उड़ानें	Air India's Inaugural flights	506
653. मार्क्सवादी साम्यवादियों की कथित गुप्त बैठक	Reported Secret Meeting of Marxist Communists	506
654. प्रधान मंत्री से अफ़ज़ल बेग की भेंट	Meeting of Afzal Beg with Prime Minister	506—507
655. भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I. A. S. and I. P. S. Officers	507—508
656. भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस के अधिकारी	I. A. S. and I. P. S. Officers	508
657. साम्प्रदायिक दङ्गों के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रहीत वित्तीय सहायता	Ex-gratia Assistance to Victims of Communal Riots.	508
658. निजाम की विदेश यात्राएँ	Foreign Trips by Nizam	508—509
659. भाड़े आदि पर लिये गये विमान	Chartered Air Flights	509

अता० प्रश्न सं०

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
660.	मारल रीआमर्मिंट एसोसिएशन	Moral Rearmament Association	509—510
661.	अंग्रेजी अथवा सिन्धी मातृभाषा वाले लोग	People with English or Sindhi as Mother Tongue	510
662.	मिजो लोगों से पकड़े गये हथियार	Arms seized from Mizos	510
663.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पुलिस का प्रवेश	Entry of police in BHU Campus	510—511
664.	यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भाषायें	Languages Recognised by UNESCO	511
665.	शेख अब्दुल्ला और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच पत्र-व्यवहार	Exchange of Correspondence between Sheikh Abdullah and President of Pakistan	511
666.	शेख अब्दुल्ला की गतिविधियां	Sheikh Abdullah's Activities	511—512
667.	'आई वाज ए सी आई ए एजेन्ट इन इंडिया' पुस्तक	Book entitled 'I was a CIA Agent in India'	512
668.	मिजो उपद्रवियों द्वारा घात लगाना	Ambush by Mizo Hostiles	512—513
669:	मिजो लोगों से बरामद किये गए हथियार	Arms Recovered from Mizos	513
670.	देशभक्त मिजो लोगों को हथियार देना	Arming of Loyal Mizos	513
671.	पश्चिमी बंगाल में पुनः चुनाव	Re-Poll in West Bengal	513—514
672.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस	Indian Science Congress	514
673.	दिल्ली में पान पर बिक्री कर	Sales Tax on Betel Leaf in Delhi	514—515
674.	उच्च न्यायालयों में अनिर्णित मा.	Cases Pending in High Courts	515
675.	न्यायापालिका की निष्पक्षता	Impartiality of Judiciary	515—516
676.	राज्यपालों का चुनाव	Election of Governors	516
677.	समितियां/आयोग	Committees/Commissions	516—517
678.	अनुवाद सैल	Translation Cells	517

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
679.	हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	Hindi knowing Employees	517
680.	हिन्दी प्रशिक्षण योजना	Hindi Training Scheme	518
681.	ऊंची शिक्षा-प्राप्त लोगों का विदेशों को जाना	Brain Drain	518—519
682.	निजी थैलियों का समाप्त किया जाना	Abolition of Privy Purses	519
683.	दिल्ली में पुलिस संगठन	Police Organisation in Delhi	520
684.	मिजो लोगों द्वारा घात लगा कर हमला किया जाना	Ambushing by Mizos	520
685.	मद्रास में राष्ट्रीय झण्डे का जलाया जाना	Burning of National flag in Madras	520—521
686.	कनकर्ड विमान	Concord Aircrafts	521
687.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के गैर तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by I.A.C. non-Technical Staff	521—522
688.	दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में दाखिला	Admission to Delhi Engineering College	522
689.	हवाई अड्डों का विस्तार	Expansion of Airports	522—523
690.	छात्रों को नागरिक रक्षा का प्रशिक्षण	Civil Defence Training to Students	523
691.	खाद्य समितियों को शक्तियां प्रदान करने के लिये केरल विधेयक	Kerala Bill to give Powers to Food Committees	523
692.	भारत तथा लेटिन अमरीका के देशों के बीच नौवहन सेवा	Shipping Service between India and Latin American Countries	523—524
693.	नई दिल्ली में अन्धों के लिये संस्था	New Delhi Institute for the Blind	524
694.	होटल विकास ऋण	Hotel Development Loans	524
695.	विमानों में भोजन-व्यवस्था	Catering in Aircraft	524—525
696.	दिल्ली में मकान का गिरना	House Collapse in Delhi	525
697.	'इंडियन एक्जामिनर' नामक पुस्तक	Book entitled 'Indian Examiner'	525—526

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
698.	दिल्ली में अपराध संबंधी स्थिति	Crime Situation in Delhi	526
699.	बीटल वृन्द तथा हिप्पी वृन्द	Beatles and Hippies	526—527
700.	हायर सेकन्डरी तक निःशुल्क शिक्षा	Free Education upto Higher Secondary	527—528
701.	पैसिफिक एरिया टूरिस्ट एसोसियेशन द्वारा पर्यटन के लिये सर्वेक्षण	Survey for Tourism by Pacific Area Tourist Association	528
702.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National High ways in M. P.	528
703.	राजभाषा विधेयक	Official Languages Act	529
704.	केन्द्रीय तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में विचार-गोष्ठी	Seminar on Centre-State Relations	529
705.	दिल्ली परिवहन उपक्रम	D. T. U.	529—530
706.	छोटे तथा मध्यवर्ती पत्तनों के लिये विदेशी मुद्रा का आवेटन	Foreign Exchange Allotment for Minor and Intermediate Ports	530
707.	राज्यों में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा	Free and compulsory Primary Education in States	530—531
708.	भुवनेश्वर में मन्दिरों तथा स्मारकों का विकास	Development of Temples and Monuments at Bhuvaneshwar	531
709.	उदयगिरि तथा रत्नागिरि पर्यटन क्षेत्र का विकास	Development of Udaigiri Ratnagiri Complex	531
710.	कोणार्क में पर्यटन सुविधायें	Tourist facilities at Konarak	531—532
711.	भुवनेश्वर का हवाई अड्डा	Bhubaneshwar Aerodrome	532
712.	विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति	Scholarships for study abroad	532—533
713.	कोचीन पत्तन	Cochin Port	533
714.	गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल	Bridge over River Ganga at Ghazipur	533—534
715.	संयुक्त सदाचार समिति	Samyukta Sadachar Samiti.	534

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
717. अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists who visited India during International Tourism Year	534 -535
718. केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर	Central Government Consumer Co-operative Stores	535
719. दिल्ली में स्कूलों के लिये स्थान	Accommodation for Schools in Delhi	535—536
720. अमरीकी पर्यटक	American Tourism	536
721. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Arrests under Unlawful Activities Act	536
722. केरल के लिये ड्रेजर	Dredger for Kerala	537
723. नौवहन के लिये धनराशि	Allocation for Shipping	537—538
724. कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Aerodrome	538
725. केरल में पत्तनों का विकास	Port Development in Kerala	538—539
726. कांग्रेस का हैदराबाद अधिवेशन	Congress Session held at Hyderabad	539
727. सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of Retired Officers	539—540
728. जवाहर ज्योति से तेल की चोरी	Theft of Oil from Jawahar Jyoti	540
729. यूरी मोडिन का वक्तव्य	Statements of Yuri Modin	540
730. भारत के साम्यवादी दल के लिये विदेशी निधियां	Foreign Funds for C.P.I.	540—541
731. केरल में गोपाल सेना	Gopala Sena in Kerala	541
732. पटना में गंगा नदी पर पुल	Bridge over Ganga at Patna	541
733. जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company	542
735. लीसा हाब्स द्वारा लिखित "इंडिया, इंडिया"	"India, India" by Lisa Hobbs	542
736. रूरकेला में हुई गड़बड़	Rourkela Disturbances	542—543
737. दरभंगा जिले में स्थानों का विकास	Development of places in Dharbhanga District	543
738. बिस्फी का विकास	Development of Bisfi	543

2

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
739. कुमारी जनैदा राचेव्सकी	Princes Zanida Rachevsky	543—544
740. डालरों पर अमरीकी प्रति-बन्धों का पर्यटन पर प्रभाव	Effect on Tourism by US Restrictions on Dollars	544
741. कालेज शिक्षा में सुधार	Improvement of College Education	545
742. आपात स्थिति के हटाये जाने के पश्चात् छोड़े गये नजरबन्द	Detenues Released after lifting of Emergency	545—546
743. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये प्रादेशिक भाषाएं	Regional Languages for UPSC Examinations	546
744. सड़कों का विकास	Development of Road Communications	546
745. स्वास्थ्यवर्द्धक स्थान के रूप में बागोर	Bagour as Health Resort	546—547
746. खोसला आयोग	Khosla Commission	547
747. लाल बाजार पुलिस मुख्यालय कलकत्ता में बम विस्फोट	Bomb Explosion in Lal Bagar Police Head Quarters Calcutta	547—548
748. इंजीनियरों की बेरोजगारी	Unemployment Among Engineers	548
750. भारतीय पत्तनों की कार्य प्रणाली	Working of Indian Ports	548—549
752. न्यूजीलैण्ड की पर्यटक बाला	Newzealand Girl Tourist	549
753. स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारियां	Arrest in West Bengal during Independence Movement	549
754. क्रांतिकारी आतंकवादी दलों का नेता	Leader of Revolutionary Terrorist Parties	549—550
755. स्वतंत्रता आन्दोलन में शहीद हुए व्यक्ति	Martyrs of Independence Movement	550
756. दिल्ली के स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध मुकदमें	Proceedings against Freedom Fighters of Delhi	550
757. अमरीका गदर पार्टी के नेताओं के अभिलेख	Records of America Gadar Party Leaders	550—551
759. शिक्षा संस्थाओं की पवित्रता	Sanctity of Educational Institutions	551
760. बिहार में पर्यटक स्थल	Tourist spots in Bihar	551—552

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
761.	बिहार में स्कूलों/कालेजों में शिक्षा का माध्यम	Media of Instruction in Bihar Schools/ Colleges	552
763.	बिहार के गैर-सरकारी स्कूल	Private Schools in Bihar	552
764.	बिहार में प्राध्यापकों की सांकेतिक हड़ताल	Token strike by Bihar Professors	553
765.	नागाओं द्वारा छिपकर हमला	Ambush by Nagas	553
766.	ट्रैवल एजेन्टों द्वारा इंडियन एयरलाइंज कारपोरेशन के यात्रियों की बुकिंग	Booking of I. A. C. Passengers by Travel Agents	554
767.	विमान निगम	Air Corporations	555
769.	भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना	Grant of citizenship to Pak. Nationals	555—556
770.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees	556
771.	अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन	All India Education Conference	556—557
772.	तट से दूर समुद्र में माल लादने के लिये जेटियों का निर्माण	Building of Jetties for Offshore loading	557
773.	आपात स्थिति को समाप्त करना	Revocation of Emergency	557
774.	सड़क परिवहन कराधान जाँच आयोग का प्रतिवेदन	Road Transport Taxation Enquiry Commission Report	558
775.	भारतीय खेल टीमों द्वारा विदेश यात्रा	Foreign Tours by Indian Sports Team	558
776.	सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Government Work	558—559
777.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का कार्यालय	Office of Scientific and T. T. Commission	559
778.	पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानी एजेन्ट	Pak. Agents in West Bengal	559
779.	केन्द्रीय स्कूल	Central Schools	559—560

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
780. हरियाना अध्यापक	Haryana Teachers	560
781. हरियाना के लिये परामर्शदात्री समिति	Consultative Committee for Haryana	560—561
782. खम्पा शरणार्थियों का धर्म परिवर्तन	Conversion of Khampa Refugees	561
783. केरल में वामपक्षी साम्यवादी सम्मेलन में माओ के चित्र का प्रदर्शन	Display of Mao's Photograph at Left Communist Conference in Kerala	561
784. ड्यूसलडार्फ में एयर इंडिया के कर्मचारी	Air India Staff at Duesseldorf Station	561—562
785. केन्द्रीय जाँच ब्यूरो	Central Bureau of Investigation	562
786. दिल्ली में पाकिस्तानियों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ	Anti-National Activities of Pakistanis in Delhi	563
787. राजस्थान में पाकिस्तानी गुप्तचर	Pakistani spies in Rajasthan	563
788. राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड	National Harbour Board	563—565
789. भारत यूगोस्लाविया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	Indo-Yugoslav Cultural Exchange Programme	565
790. तलकर्षण संगठन	Dredging Organisation	565—566
791. शिक्षा सम्बन्धी नीति के बारे में उपकुलपतियों की समिति	V. C's Committee on Education	566—567
792. राज्यपालों की नियुक्ति के लिये प्रदर्शक सिद्धान्त	Guidelines for Appointment of Governers	567
793. महाजन आयोग का प्रतिवेदन	Mahajan Commission's Report	567
794. केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में हिन्दी कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी	Staff employed for Hindi work in Central Government Offices	567—568
795. जहाज निर्माण के लिये स्थायी समिति	Standing Committee for Ship Building	568
796. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर-लाइन्स के भूतपूर्व कर्मचारी	Ex-Employees of Pak. International Airlines	568
797. मिजो नेशनल फ्रन्ट पर प्रतिबन्ध	Ban on M. N. F.	568—569

अता० प्रश्न संख्या

U,Q.Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
799.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	Indian Airlines Corporation	569
800.	हरयाना के अध्यापकों द्वारा हड़ताल	Strike by Haryana Teachers	569—570
801.	उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की बैठक	Northern Zonal Council Meeting	570
803.	पाठ्य पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Text Books in Hindi	570—571
804.	गुजरात के पत्तनों का जल सम्बन्धी सर्वेक्षण	Hydrographic Survey of Gujarat Ports	571
805.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते में विद्यार्थियों की गिरफ्तारी	Arrest of Students in B.H.U. Campus	571—572
806.	मिजो तथा नेफा क्षेत्रों में स्वच्छा सेवा	Voluntary Service in Mizo and NEFA Areas	572
807.	आसाम ट्रंक रोड	Assam Trunk Road	572
809.	बिहार, आसाम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या	Minority population in certain Areas of Bihar, Assam and West Bengal	572—573
810.	मणिपुर में गैर–सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतन मान	Pay Scales of non-Government College Teachers in Manipur	573
811.	पर्यटन के विकास के लिये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त योजनाएं	Schemes from states and Unions Territories for Develoment of Tourism	573—574
812.	शिक्षा सम्बन्धी नीति	Educational Policy	574
813.	राजभाषाएं (संशोधन) अधिनियम	Official languages (Amendment) Act	574
814.	बिहार में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres in Bihar	574—575
815.	मैथिली भाषा	Maithili Language	575
817.	दिल्ली में हत्यायें	Murders in Delhi	575
818.	केरल में मार्क्सवादियों द्वारा शस्त्रों का कथित संग्रह	Alleged Collection of Arms by Marxists in Kerala	575—576
819.	अध्यापकों द्वारा राजनीति में भाग लिया जाना	Participation in Politics by Teachers	576

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
820.	दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था	Housing of Delhi Policemen	576—577
821.	हैदराबाद में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले मंत्रियों के निजी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	TA/DA to personal Staff of Ministers	577
822.	हैदराबाद में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने वाले केन्द्रीय मंत्री	Union Ministers Attending Congress Session at Hyderabad	577
823.	पर्यटक व्यापार से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings Through Tourist Trade	577—578
824.	दिल्ली नगर निगम	Delhi Municipal Corporation	578
825.	राजस्थान के सीमान्त क्षेत्रों में जासूसी	Spying in Rajasthan Border Areas	578—579
826.	जहाज निर्माण उद्योग	Ship Building Industry	579
827.	उपकुलपतियों का राजनैतिक गतविधियों में भाग लेना	Vice Chancellors taking part in Political Activities	579
828.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की अवधि में टैक्सियों के लिये परमिट	Permits for Taxis during UNCTAD	579—580
829.	भारतीय नौवहन समवाय	Indian Shipping Lines	580—581
831.	चंडीगढ़ में मस्जिद	Mosque in Chandigarh	581
832.	पालम हवाई अड्डे के लिये प्रवेश टिकट	Airport entry tickets at Palam Airport	581
833.	कोयना के भूकम्प पीड़ितों को विदेशी सहायता	Foreign assistance to Koyna earthquake Victims	581—582
834.	नई दिल्ली में संसद सदस्यों के फ्लेटों में चोरियां	Thefts in M.P.'s Flats in New Delhi	582
835.	सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन दल	Study Group on representation of scheduled castes and Scheduled Tribes in Government Services	583
836.	आसाम सड़क	Assam Road	583

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
837.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हिन्दी में कार्य	Allahabad High Court work in Hindi	583—584
838.	हिन्दी के प्रयोग के बारे में गुप्त आदेश	Secret orders on use of Hindi	584
839.	भारतीय विश्वविद्यालयों को अमरीकी सहायता	US Aid to Indian Universities	584
840.	पृथक पर्वतीय राज्य की मांग	Demand for a separate Hill State	584
841.	केरल में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Kerala	585
842.	लन्दन स्थित ब्रिटिश विदेशी कार्यालय की जाली तार	Forged Telegram to British Foreign Office, London	586
843.	सड़क और पत्तन की सुविधाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Assistance for Road and Port Facilities	586
844.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Staff	586—587
845.	अध्यापकों के वेतन मान	Pay Scales of Teachers	587
846.	शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाएं	Regional Languages as Media of Instruction	587
847.	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	587—588
848.	विदेशों में जाने वाले वैज्ञानिक	Scientists Going Abroad	588
849.	प्रशिक्षण के लिये वैज्ञानिकों का विदेश गमन	Scientists going Abroad for training	588—589
850.	बिड़ला की एक फर्म के कागजात का पकड़ा जाना	Confiscated Documents of a Birla Firm	589
852.	आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जाना	Conversion of Advasis	589
853.	विदेशी संस्थाओं से छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया धन	Funds Received by students from Foreign Institutions	589
854.	बिहार में केन्द्रीय सरकार के प्रबन्धाधीन स्कूल	Centrally Managed Schools in Bihar	589—590
855.	प्रादेशिक भाषा नीति	Regional Language Policy	590
856.	विद्रोही मिजो लोगों द्वारा गांव जलाया जाना	Burning of village by Hostile Mizos	590—591

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
857.	मनीपुर में सशस्त्र नागाओं का प्रवेश	Entry of Armed Nagas in Manipur	591
858.	फिल्म उद्योगों से संबन्धित व्यक्तियों के लिये राष्ट्रपति का पुरस्कार	Presidential Awards for persons connected with Film Industries	592
859.	बदरपुर-जोवाई-शिलांग सड़क	Badarpur-Jowai-Shillong Road	592
860.	प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिल्चर	Regional Engineering College, Silchar	592
861.	आसाम में न्यायाधिकरण	Tribunals in Assam	593
862.	पारादीप बन्दरगाह	Paradeep Port	593
863.	उड़ीसा में छोटे बन्दरगाह	Minor Ports in Orissa	593—594
864.	उड्डयन क्लब	Flying Clubs	594
866.	दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन	Reorganisation of Delhi Police	594—595
867.	विमान सेवाएं पुनः चालू करने के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत	Indo-Pak. Air Talks	595
868.	शिक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र	Circulars issued by Education Ministry	595
869.	विद्रोही मिजो लोगों की कार्यवाहियां	Mizo Hostiles Activities	595—596
870.	आंगल-भारतीय स्कूल	Anglo-Indian Schools	596
871.	व्योम बालाओं की भर्ती	Recruitment of Air Hostesses	596
872.	राजनैतिक और श्रमिक विवादों में पुलिस द्वारा निवारक कार्यवाही	Preventive Action by Police in Political and Labour Disputes	596—597
873.	राष्ट्रपति के पुरस्कारों को लेने से इंकार	Refusal of Presidential Awards	597
874.	हिन्दी में टिप्पणी लिखना	Noting in Hindi	597—598
875.	समाचार पत्रों में कार्यक्रमों की घोषणा	Press Announcement of Programmes	598
876.	मंत्रियों का उद्घाटन समारोह में भाग लेना	Performance of opening ceremonies by Ministers	598

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
877	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष	International Tourist Year	599
878.	फिरोजपुर और हारिके में सिंचाई हैडवर्क्स का नियंत्रण	Control of Irrigation Headworks at Ferozepur and Harike	599
879.	तुङ्गभद्रा पर पुल	Bridge across Tungabhadra	599—600
880.	मिजो और कुकी लोगों द्वारा बलपूर्वक करों की वसूली	Forcible collection of Taxes by Mizos and Kukis	600
881.	पाकिस्तानी एजेन्ट	Pakistani Agents	600
882.	भारत के विरुद्ध जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी	Arrests on charge of spying against India	600—601
883.	दिल्ली उपमहापौर द्वारा उपवास	Fast by Dy. Mayor of Delhi	601
884.	केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारी	State Government Employees on Deputation at Centre	601—602
885.	कच्छ विवाद से सम्बन्धित दस्तावेजों की चोरी	Theft of Documents connected with Kutch Dispute	602
886.	गौहाटी में आन्दोलनों से हुई हानि	Damage caused by Agitations in Gauhati	602
887.	त्रि–भाषी सूत्र	Three Language Formula	603
888.	मनीपुर में सांस्कृतिक एकता सम्मेलन	Cultural Integration conference in Manipur	603
889.	मनीपुर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल	Delegation on Manipur Congress	603—604
890.	मनीपुर की हज समिति	Haj Committee of Manipur	604
891.	गोहाटी में राष्ट्रीय ध्वज का जला दिया जाना	Burning of National Flag in Gauhati	604
892,	विद्रोही नागाओं के मुखियों की चीन जाने की योजना	Naga Rebel Chiefs planning to visit China	604—605
893.	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष में भारत आये विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists who visited India during I. T. Y.	605

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
894.	श्री आर० पी० कपूर द्वारा लिखित पुस्तक 'रिवोल्यूशन आर डिक्टेटरशिप'	Book 'Revolution or Dictatorship' by Shri R. P. Kapur	605
895.	रेवोल्यूशन आर डिक्टेटरशिप (क्रान्ति अथवा तानाशाही) नामक पुस्तक	Book 'Revolution or Dictatorship'	605—606
896.	दिल्ली प्रशासन	Delhi Administration	606
897.	मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी शस्त्र विक्रेताओं को लाइसेंसों का दिया जाना	Licences to Private Arms Dealers	606
898.	मध्य प्रदेश में हिन्दी संस्थाओं को अनुदान	Grants to Hindi Institutions in M. P.	607
899.	मनीपुर में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay Scales of Education Deptt. Employees in Manipur.	607
900.	पाकिस्तान में साहित्य संबंधी चोरी	Literary Piracy in Pakistan	607
901.	जम्मू तथा काश्मीर	Jammu and Kashmir	608
901—क	विद्रोही नागाओं, मिजो और कुकी लोगों का गठ-बन्धन	Links between Nagas, Mizo Rebels and Kukis	608
901—ख	तमिल सम्मेलन में मलये-शिआई प्रतिनिधि मंडल	Malaysian Delegation in Tamil Conference.	609
901—ग	अय्यर आयोग	Ayyar Commission	609
901—घ	आसनसोल में भूमि का अर्जन	Acquisition of Land in Asansol	609—610
	पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re: situation in West Bengal	610—611
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to matter of urgent public importance	611—614
	कीनिया से बड़े पैमाने पर भारतीय राष्ट्रजनों को निकाला जाना	Mass deportation of Indian nationals from Kenya	
	श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakappa	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surenderpal Singh	
रेल दुर्घटना पर चर्चा के बारे में	Re. Discussion on Railway Accident	614
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table	614—617
आश्वासनों की क्रियान्विति के बारे में	Re. Implementation of assurances	617
सभा की कार्यवाही के साथ-साथ अनुवाद किये जाने के बारे में	Re. simultanoues interpretation of proceedings	617—618
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	618
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha	618
(1) प्रेस तथा पुस्तकें रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक	(i) Press and Registration of books (Amendment) Bill	
(2) शपथ विधेयक	(ii) Oaths Bill	
लोक लेखा समिति सत्रहवां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Seventeenth Report	618
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q.	619
सभा का कार्य	Business of the House	619
बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में	Re:situation in Bihar and West Bengal	619—620
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	620
केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board of Archaeology	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of thanks on President's Address	620—624
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	
श्री सम्बन्धन	Shri S. K. Sambandhan	
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohammed Imam	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolution	624
उन्नीसवां प्रतिवेदन	Nineteenth Report	
विधेयक पुरःस्थापित	Bills introduced	
1. विधुर पुनर्विवाह विधेयक, 1968 (श्री रघुबीर सिंह शास्त्री का)	The Widowers' Re marriage Bill, 1968 by Shri Raghubir Singh Shastri	624

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 4, 80 आदि का संशोधन) (श्री शिवचन्द्र झा का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment) of articles 4, 80 etc.) by Shri Shiva Chandra Jha	625
3.	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1968 (नई धारा 7क का रखा जाना) (डा० गोविन्द दास का)	The Representation of the People (Amendment) Bill, 1968 (Insertion of new section 7A) by Dr. Govind Das	625—626
4.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 343, 345 आदि का संशोधन) (श्री जे० एम० इमाम का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment) of articles 343, 345, etc. by Shri J. M. Imam	626
5.	व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968 (धारा 87 ख का हटाया जाना) (श्री नारायण रेड्डी का)	The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1968 (Omission of sectoin 87 B) by Shri M. Narayan Reddy.	626
6.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 343 का प्रतिस्थापन तथा अनुच्छेद 344 आदि का संशोधन (श्री सेक्वीरा का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Substitution of Article 343, amendment of articles 344 etc.) by Shri Erasmo de Sequeira	627—635
7.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 85 तथा 174 का संशोधन) (श्री मधु लिमये का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment) of article 85 and 174) by Shri Madhu Limaye	635
8.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 74 तथा 163 का संशोधन) (श्री मधु लिमये का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of articles 73 and 163) by Shri Madhu Limaye	636
9.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (नये अनुच्छेद 174 क का रखा जाना) (श्री नाथ पाई का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Insertion of new article 174A) by Shri Nath Pai	636

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10. चलचित्र उद्योग श्रमिक विधेयक, 1968 (श्री स० च० सामन्त का)	The film industry workers Bill, 1968 by Shri S. C. Samanta	636—637
संविधान संशोधन विधेयक	Constitution amendment Bill	
आठवीं अनुसूची का संशोधन (डा० कर्णी सिंह का)	Amendment of eighth schedule by Dr. Karni Singh	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to joint Committee	
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री तेन्नोटी विश्वनाथम	Shri Tennoti Viswantham	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	
श्री भोला नाथ	Shri Bhola Nath	
श्री मीठा लाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri P. L. Barupal	
श्री ओ० प्र० त्यागी	Shri O. P. Tyagi	
डा० मैत्रेयी बोस	Dr. Maitreyee Basu	
श्रीमती निर्लेप कौर	Srimati Nirlep Kaur	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री सेक्वीरा	Shri Sequeira	
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 85 का संशोधन) (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 85) by Shri Prakash Vir Shastri	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Sri Prakash Vir Shaitri	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re-Hindu Succession Act	637—639
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	
श्रीमती निर्लेप कौर	Shrimati Nirlep Kaur	
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Menon	

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, फरवरी 16, 1968/ 27 माघ, 1889 (शक)
Friday, February 16, 1968/ Magha 27, 1889 (Saka)

———

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जहाजों के भाड़े की दरें

*91. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन उद्योग ने अनुरोध किया है कि जहाजों के भाड़े की दरों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) चूंकि समुद्र व्यापार में भाड़ा दरें पुनर्विलोकन तथा तय करने की कोई संवैधानिक शक्ति भारत सरकार ने नहीं ली है अतः यह अनुमान किया जाता है कि प्रश्न केवल तटीय नौवहन भाड़ा दरों के सम्बन्ध में है। सरकार को तटीय भाड़ा दरों में वृद्धि के लिये पुनरीक्षण करने की विशिष्ट प्रार्थना नहीं प्राप्त हुई है परन्तु जहाजी कम्पनियों ने आग्रह किया है कि तटीय भाड़ा दरों के आवधिक पुनर्विलोकन के लिये एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिये। कंपनियों से कुछ सूचना मांगी गई है जिससे नौवहन महानिदेशालय इस आग्रह की आगे जांच कर सके।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : वर्तमान मंदी के बजाय यदि जहाज कम्पनियां सरकार से जहाज के भाड़ों में परिवर्तन करने को कहें तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करने के लिये साफ इन्कार कर देगी ?

डा० बी० के० आर० वी० राव : जहां तक समुद्री जहाज भाड़े का सम्बन्ध है हम इसे निश्चित नहीं करते, परन्तु हम निरन्तर रूप से इसका पुनर्विलोकन करते हैं उदाहरणार्थ जब कम्पनियां भाड़ा दरों में वृद्धि करने का प्रयत्न करती हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं और इस सम्बन्ध में बातचीत करते हैं । हमारा एक जहाज भाड़ा जाँच विभाग है जो भाड़ा दरों की जाँच करता है और दरों में वृद्धि का विरोध करने के लिये हमें आकड़े देता है । समुद्र पार जहाज भाड़े पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है जब कि तटीय जहाजी भाड़ा दरों पर हम नियन्त्रण रख सकते हैं ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या माननीय मन्त्री यह आश्वसन दे सकते हैं कि भारतीय जहाज कम्पनियों द्वारा जहाज भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि विदेशी जहाज कम्पनियाँ निरन्तर रूप से भाड़ा दरों में वृद्धि करने के लिये दबाव डाल रही हैं, यदि हाँ तो उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं यह नहीं कहूँगा कि जहाज कम्पनियां भाड़ा बढ़ाने के लिये दबाव डाल रही हैं । किन्तु पिछले लगभग 10–12 महीनों में वे लगभग 10 प्रतिशत तक और भाड़ा बढ़ाना चाहती थीं । फिर स्वेज नहर बन्द हो जाने के पश्चात् और वृद्धि करना चाहती थीं। इन दोनों मामलों में हमने तुरन्त विरोध किया और फिर हमने बातचीत की। दरों में कमी लाने के लिये हमने एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा परन्तु वे भाड़ों में वृद्धि चाहती थीं ।

जहाज भाड़े में किसी भी वृद्धि से हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि इसका हमारे आयात-निर्यात व्यापार पर प्रभाव पड़ता है । इसीलिये हम चर्चा का सूत्र स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे हैं । दरें बढ़ाने से पूर्व वे हमसे बातचीत करते हैं । परन्तु अन्य कम्पनियों के मामले में कोई सूत्र नहीं है, किन्तु हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री रा० बरुआ : स्वेज नहर के बन्द हो जाने के बाद भाड़े में वृद्धि के कारण हमारे निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और दूसरी ओर हमारी जहाजरानी की क्षमता बहुत सीमित है। भाड़े में वृद्धि का हमारे निर्यात व्यापार पर बुरा प्रभाव न पड़े, इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

डा० वी के० आर० वी० राव : समस्या के समाधान के लिये हम दो तरीके अपना रहे हैं । एक ओर हम जहाज कम्पनियों से बातचीत द्वारा भाड़े में कम से कम वृद्धि होने दे रहे हैं और दूसरी ओर हम अपनी टन भार क्षमता को भी बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे

हैं। विदेशी नौवहन समवायों के प्रभुत्व के विरुद्ध यही सबसे अच्छी सुरक्षा है और हमें आशा है कि हम इसे पर्याप्त हद तक बढ़ा पायेंगे।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : पिछले सत्र में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा था कि जहाज भाड़े में किस प्रकार कमी लाई जा सकती है इस पर विचार करने के लिये एक जहाज़ भाड़ा जांच ब्यूरो स्थापित किया गया था। माननीय मंत्री ने यह भी स्वीकार किया था कि जहाज़ों के भाड़े के अधिक होने का एक कारण यह है कि पत्तन दशाएं बहुत खराब हैं कि ऊंची दरों के बिना ये कम्पनियां जहाज़ चलाना लाभप्रद नहीं समझतीं। अतः पत्तन में विद्यमान परिस्थितियों में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है। जहाज़ भाड़े में कमी कराने में ब्यूरो को कहाँ तक सफलता मिली है ?

डा० बी० के० आर० वी० राव : जहाज़ भाड़ा ब्यूरो द्वारा किये गये अध्ययन के कारण ही हम विदेशी जहाज़ कम्पनियों से बातचीत कर पाये हैं और भाड़ा दरों में जो वे मूल रूप से रखना चाहती थीं कमी करा पाये हैं यद्यपि वह कमी उतनी नहीं है जितनी हम चाहते थे।

जहाँ तक पत्तनों में सुधार करने का प्रश्न है यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे शीघ्र हल किया जा सके। हम अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हाल ही में हमने एक पत्तन आयोग भी स्थापित किया है, हमने विदेशों से विशेषज्ञों को निमन्त्रित किया है, और वे बड़े पत्तनों को देख रहे हैं ताकि हमारे पत्तनों का आधुनिकीकरण करने के लिये एक एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया जा सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या माननीय मन्त्री को पता है कि तटवर्ती तेलशोधक कारखाने अपने सभी उत्पादन देश के अन्य पत्तनों को विदेशी जहाज़ों द्वारा भेजते हैं और उनकी भाड़ा दरें अधिक होने के कारण उत्पादों की लागत बढ़ जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विदेशी जहाज़ों के स्थान पर तटीय व्यापार के लिये हमारे अपने ही जहाज़ों को प्रयोग में लाने पर विचार करेगी ?

डा० बी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूँ माननीय सदस्य को कुछ गलत-फहमी है। उन जहाज़ों को छोड़ कर जो तेलशोधक कारखानों को और उनसे कच्चे तेल के या पेट्रोलियम उत्पद ले जाते हैं सारा तटीय व्यापार पूर्ण रूप से भारतीय जहाज़ों के हाथ में है। हाल ही में नये तेलशोधक कारखानों की स्थापना से कारण इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपने जहाज़ों में ही माल ले जायें।

श्री नायनार : क्या यह सच है कि जून 1966 में अवमूल्यन के पश्चात अमरीकी जहाज़ों का भाड़ा रुपये के आधार पर बढ़ गया है ?

डा० बी के० आर० वी राव : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री बेदव्रत बरुआ : जहाज़रानी के विस्तार के लिये विदेशी मुद्रा तथा रुपया ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नौवहन सम्बन्धी राष्ट्रीय जहाज़रानी बोर्ड तथा नौवहन सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : वे सभी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या जहाज़ भाड़े की दरों में पुनरीक्षण करने के प्रश्न को नौवहन बोर्ड को सौंपा गया है और यदि हाँ, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं और यदि नहीं सौंपा गया है तो क्या इसे सौंपा जायेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं नहीं समझता कि तटीय जहाज़ माल भाड़ा दरों में पुनरीक्षण के प्रश्न को नौवहन बोर्ड को भेजा गया है, परन्तु मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर निश्चय ही विचार करूंगा।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the increase in frieght rates effected before and after the closure of Suez Canal has in any way affected our import of rice from America ?

डा० वी के० आर० वी० राव : मुझे खेद है कि इसकी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या सरकार भारतीय निर्यातकों को कोई राज सहायता आदि देने पर विचार करेगी ताकि वे जापानी और अन्य देशों के निर्यातकों से प्रतियोगिता कर सकें ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य के सुझाव को सरकार के समक्ष रखने के लिये तैयार हूँ।

पूंजी निवेश पर अमरीका द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का पर्यटन पर प्रभाव

+

*92. श्री हिम्मतसिंहका : श्री हेम बरुआ :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा विदेशों में पूंजी लगाने तथा विदेशी यात्रा पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण भारत की पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विभाग सेवाओं से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो आगामी वर्ष में इसके कारण विदेशी मुद्रा की आय में कितनी कमी होने का अनुमान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपालसिंह) :

(क) और (ख) : संयुक्त राज्य के प्राधिकारियों द्वारा विदेश-यात्रा पर अभी तक कोई पाबन्दियां नहीं लगायी गयीं, परन्तु संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक भाषण में अमरीकी नागरिकों से अपील की है कि वे दो वर्षों के लिये पश्चिमी गोलार्द्ध से परे की सब गैर आवश्यक यात्राओं को स्थगित कर दें। पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय पर इसके संभव प्रभाव का अनुमान लगायी जाने वाली पाबंदियों, यदि कोई हों, के स्वरूप व सीमा का पता चल जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या अमरीकी सरकार से कोई आश्वासन प्राप्त किया गया है कि हाल में लगाये गये प्रतिबन्धों का भारत पर असर नहीं पड़ेगा और यदि हां, तो उस आश्वासन

का स्वरूप क्या है और क्या यह भी सच है कि इस आश्वासन के बावजूद भी भारत और अन्य एशियाई देशों को आने वाले सभी पर्यटकों पर 'पी' फार्म और कर जैसे प्रतिबन्ध लागू किये जा रहे हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : अमरीकी सरकार से ऐसा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया गया है ।

श्री हिम्मतसिंहका : एयर इंडिया इंटरनेशनल की आमदनी पर इसका क्या असर पड़ेगा ?

डा० कर्ण सिंह : इस नई बात पर हम क्षुब्ध हैं क्योंकि हमें संदेह है कि इसका हमारे पर्यटन के विकास पर बुरा असर पड़ेगा । इस मामले में हमने अमरीकी सरकार को अपनी चिंता व्यक्त की है । अभी तक उन्होंने कोई वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं । हमें आशा है कि ये प्रतिबन्ध भारत के सम्बन्ध में निम्नतम होंगे ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार अमरीकी सरकार से यह सुनिश्चित करने जा रही है कि क्या उसका विचार विनियोजन तथा विदेश यात्रा पर लगाये गये इन प्रतिबन्धों को हटाने का है क्योंकि अमरीकी के राजस्व मंत्री ने हाल ही में यह वक्तव्य दिया था कि संसार में सब से स्थायी मुद्रा डालर हैं और ब्रिटिश पौंड के अवमूल्यन के कारण इस बारे में कोई संदेह नहीं है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने बताया, इस सम्बन्ध में हमने अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि पर्यटन को बढ़ा कर ही अमरीका के साथ भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है । अब इस पर निर्णय अमरीका को करना है । यदि संभव हुआ तो हम उस वक्तव्य के सम्बन्ध में और पूछताछ करेंगे ।

श्री वी० चं० शर्मा : पिछले वर्ष तक भारत को अमरीकी पर्यटकों द्वारा कितनी आमदनी हुई थी ?

डा० कर्ण सिंह : मोटे तौर पर हमारे 25 प्रतिशत पर्यटक अमरीका से आते हैं जिनसे हमें अपनी पर्यटन आय का लगभग एक-तिहाई प्राप्त होता है ।

श्री उमानाथ : पी० एल० 480 करार में एक उपबन्ध है कि अमरीकी पर्यटक भारत में पी० एल० 480 निधियों से अपने डालरों को रुपयों में बदल सकते हैं । अब यहां पर व्यय के लिये प्रस्तावित प्रतिबन्ध 7 डालर प्रति दिन है । इस प्रकार तो पी० एल० 480 की सारी निधियां समाप्त हो जायेंगी । क्या सरकार ने प्रश्न के इस पहलू पर भी विचार किया है ?

डा० कर्ण सिंह : मैं निश्चित ही इसकी जांच करूंगा ।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर भारत में, जिसमें मनीपुर, नागालैंड, आसाम और अन्य क्षेत्र हैं बहुत ही आकर्षिक स्थान हैं और कई एक प्रतिबन्धों के कारण अमरीकी पर्यटक वहां नहीं जा सकते हैं ? क्या माननीय मंत्री गृह मंत्रालय से इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिये कहेंगे ?

डा० कर्ण सिंह : देश की सुरक्षा पर्यटन से अधिक महत्वपूर्ण है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के उस भाग में पर्यटन को बढ़ाने के लिये जो भी संभव होगा किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि हम आमदनी के एक ही स्त्रोत अर्थात् अमरीका पर खतरनाक तरीके से निर्भर करते हैं। अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

डा० कर्ण सिंह : हमने यूरोप, अमरीका और विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में पर्यटन अभियान आरम्भ किया है। हम चाहते हैं कि यहां पर अधिक संख्या में पर्यटक आयें, परन्तु दुर्भाग्य से संसार के केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जो पर्यटकों को भेजते हैं। मैं रूस भी गया था और मैंने उससे कहा था कि वे अधिक संख्या में पर्यटक भारत भेजे, परन्तु मुझे आशा नहीं कि फिलहाल वहां से बड़ी संख्या में पर्यटक आ सकेंगे। विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप में हम एक गहन प्रोत्साहन अभियान चला रहे हैं और जिसमें एयर इन्डिया की सेवाएं विशेष रूप से ली जायेंगी। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि हमें सारे पर्यटन को एक ही देश से नहीं जोड़ना चाहिये। हम अमरीका से पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और साथ सत्थ ही हम पश्चिम यूरोप के अधिक समृद्ध देशों और जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं।

श्री मनोहर लाल सोंधी : इजराइल के बारे में क्या ख्याल है ? (व्यवधान)

डा० कर्ण सिंह: हम सारे संसार से पर्यटकों का स्वागत करते हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : पिछले दो या तीन वर्षों में हमारी आमदनी उसी अनुपात से नहीं बढ़ी है जिस अनुपात से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिये विश्व का व्यय बढ़ा है। पर्यटन अमरीका का सबसे बड़ा दूसरा उद्योग है। हम देखते हैं कि पर्यटन दिल्ली आकर भी काठमाण्डु या अन्य स्थानों पर जाना अच्छा समझते हैं बजाय इसके कि वे कुछ समय भारत में बितायें। हवाई अड्डों पर सुविधाओं तथा सफाई और होटल सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ? सभी पर्यटक सड़क के रास्ते जाते हैं, इसलिये उन दलालों को हटाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है जो विदेशी मुद्रा के लेन-देन में पर्यटकों की खाल उतारते हैं।

डा० कर्ण सिंह : वास्तव में पर्यटन के विकास के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि विदेशों में भारत के सम्बन्ध में यह प्रचार किया जाये कि यहां पर बड़े-बड़े अच्छे देखने योग्य स्थान हैं। यह अमरीका, पश्चिमी यूरोप तथा अन्य देशों में यह कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते है समाचार-पत्र, दूरदर्शन, प्रचार सामग्री द्वारा, यात्रा एजेन्टों के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अन्य देशों से यात्रा के सम्बन्ध में लेख लिखने वालों को आमंत्रित करके और अपने बारे में लेख लिखवा कर यह कार्य किया जा रहा है। विदेशों में प्रचार करके लोगों को भारत में लाया जा सकता है। परन्तु भारत में पहुंचने के बाद उनकी देखभाल करना हमारा काम है। इस कार्य के भी कई पहलू हैं। सर्वप्रथम हवाई अड्डों में सुधार करने की

आवश्यकता है। हवाई-अड्डा समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन मिलने ही वाला है। चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे हैं और हमें देखना यह है कि उन्हें किस प्रकार से विकसित किया जाये जिससे वह जम्बो जेट और एस० एस० टी० विमानों की उड़ानों के लिये उपयुक्त बन सकें।

फिर हमने इन चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा कर लगा दिया है जिससे सफाई आदि का खर्च पूरा किया जा सकेगा (व्यवधान) इसके अतिरिक्त हम बहुत से होटल खोलना चाहते हैं। हमने एक होटल विकास निधि स्थापित की है। हम पर्यटकों के लिये बंगलों और सड़कों आदि का भी विकास कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है और यह वित्तीय दलालों के बारे में है। जब पर्यटक यहां पर आते है तो ये दलाल उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें विदेशी मुद्रा के बदले में चोर बाजारी का धन देने की पेशकश करते हैं। इस बात से हम काफी चिन्तित हैं और हम इस सम्बन्ध में सोच-विचार करते रहे हैं। हम ऐसे उपाय निकालने के लिये प्रयत्नशील हैं, जिन से विदेशी मुद्रा की हानि कम से कम हो। इस सम्बन्ध माननीय उप-प्रधान मंत्री काफी रुचि दिखा रहे हैं और हमें आशा है कि हम शीघ्र ही इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही कर सकेंगे।

Shri Sheo Narain : May I know as to what has been done with regard to the tourism in the country itself? What are the facilities given to the pilgrims visiting holy places like Mathura, Vrindavan etc?

Dr. Karan Singh : It is true that tourism has its national value as well. We are contemplating to provide, more facilities to the pilgraims visiting holy places in our own country.

कोचीन में जहाज निर्माण कारखाना

\+

*93. श्री श्रीधरन :
श्री अदिचन :
श्री रामभद्रन :
श्री नायनार :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री अनिरुद्धन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प० गोपालन :

क्या परिवाहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोचीन में पूर्व नियोजित जहाज निर्माण कारखाने की अपेक्षा अधिक बड़ा जहाज निर्माण कारखाना बनाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जापानी फर्म 'मित्युबिशी' के साथ किये गये सहयोग करार की शर्तों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी ; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक अन्तिम रूप देने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी. के. आर. वी. राव) : (क) मेसर्स मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने अपनी परियोजना प्रतिवेदन में दो आकार के खुले माल वाहकों और टैंकरों अर्थात् 33,000 डी० डब्लू० टी० और 53,000 डी० डब्लू० टी० के निर्माण के लिए दो निर्माण डाकों तथा 53,000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाजों की मरम्मत के लिए एक पोत मरम्मत डाक निर्माण का प्रस्ताव दिया था, यह परियोजना दो क्रयों में पूरी की जानी है।

खुला माल वाहकों-टैंकरों के आकार का संसार के वर्तमान रुख, भारत के समुद्री व्यापार के ढंग, भारतीय नौवहन की भावी अवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने कोचीन शिपयार्ड में 66,000 डी० डब्लू० टी० श्रेणी के खुले माल वाहक निर्माण करने तथा 85,000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाजों के लिए एक पोत मरम्मत डाक बनाने का निश्चय किया है।

(ख) और (ग) परियोजनाओं के आकार तथा क्षेत्र के परिवर्तन को देखते हुए मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ की सहयोग की शर्तों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

परिवर्तित शिपयार्ड की रूप रेखा जो पुनरीक्षित परियोजना का आधार होगी, प्राप्त हो गयी है और उसकी परीक्षा की जा रही है। उसके पूर्ण हो जाने के बाद मित्सुबिंशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ की जाने वाली सहयोग-शर्तों पर विचार किया जाएगा।

श्री श्रीधरन : हम परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय से यह प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं कि कोचीन में जहाज निर्माण कारखाना कब तक बन जायेगा। हर बार हमें यहीं बताया जाता है कि सहयोग की शर्तों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है अथवा कोई तकनीकी कठिनाई पैदा हो गयी है। मंत्री महोदय हमें निश्चित रूप से बतायें कि यह कारखाना कब तक तैयार हो जायेगा ? वर्ष 1968-69 में कारखाने के निर्माण के सम्बन्ध में कितना धन खर्च किया जायेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इस कारखाने के डिज़ाइन आदि में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में काफ़ी गहराई से विचार किया गया है और सभा को इस बात का पता है कि काफ़ी लम्बी चर्चा के बाद सरकार ने कारखाना बनाने का निर्णय किया है। संसद के दोनों सदनों के सम्मुख मैंने जो विवरण रखा है उसमें इस कारखाने के सम्बन्ध में ब्यौरा दिया गया है। 9 फरवरी को ही कारखाने की रूप-रेखा के बारे में मित्सुबिशी हैवी इन्डस्ट्रीज़ से उत्तर मिला है जिसके सम्बन्ध में वह हमारा निर्णय चाहते हैं। उन्होंने कारखाने के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में सहयोग के बारे में भी कई सुझाव दिये हैं। इन सब पर विचार किया जा रहा है। जब तक हम इस सम्बन्ध में अच्छी प्रकार विचार करके संतुष्ट न हो जायें तब तक सरकार के लिये कोई निर्णय करना सम्भव नहीं है। इसलिये वर्ष 1968-69 में इस कारखाने के निर्माण पर कितना खर्च होगा, मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ।

Shri Kameshwar Singh : What are the reasons for delay in implementation of the agreement of collaboration entered into with Mitsubishi. Is it a fact that Dr. Dharam Teja has played an active part to sabotage every stage of this scheme ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं यह बात बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मेरे विचार में धर्म तेजा और कोचीन में जहाज निर्माण का कारखाना बनाये जाने के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने पहले 33000 डी० डब्लू० टी० के जहाज बनाने और 53,000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाजों की मरम्मत के लिये एक पोत मरम्मत गोदी बनाने का निर्णय किया था। फिर इस सम्बन्ध में काफ़ी ब्यौरेवार विचार किया गया गया था और हमने शिपिंग कम्पनियों आदि की मांग पर भी विचार किया था। हमने यह निर्णय किया कि हमें 66,000 टन के जहाज बनाने चाहिये। इसी कारण सारी परियोजना को बिल्कुल नया रूप देना पड़ा है।

श्री नायनार : गत अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में केरल राज्य के उद्योग मन्त्री जापान गये थे और उन्होंने मित्सुबिशी कम्पनी के अधिकारियों से बातचीत की थी और उन्होंने अपना प्रतिवेदन केरल सरकार को प्रस्तुत किया था। यह प्रतिवेदन केरल के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। इस प्रतिवेदन में लिखा है कि जहाज निर्माण के कारखाने की स्थापना में देरी के लिये भारत सरकार की दुविधापूर्ण नीति उत्तरदाई है। उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार मित्सुबिशी कम्पनी के कर्मचारियों को परियोजना को फिर तैयार करने के लिये बार बार कहती रही है और यह कार्य स्थगित होता रहा है। कोचीन में जहाज निर्माण कारखाने का प्रश्न संसद में कई बार उठाया जाता रहेगा परन्तु यह कारखाना कभी भी स्थापित नहीं किया जायेगा।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक केरल के उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि केरल के मंत्री को अपना प्रतिवेदन हमें भेजने के लिये कहें। मुझे इस सम्बन्ध में उन्होंने अब तक कुछ नहीं बताया और यदि वह मुझे सूचित करते तो अधिक अच्छा होता। उनके तथा मित्सुबिशी के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत की जानकारी प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता होगी। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने यह स्पष्ट कर दिया है। हमने क्योंकि बड़े जहाज बनाने का निर्णय किया है, इसलिये परियोजना के प्रतिवेदन में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। यह ठीक नहीं है कि हमने परियोजना के प्रतिवेदन की बार-बार मांग की है। यह पहली बार है जब हमने परियोजना का दूसरा प्रतिवेदन मांगा है। मैं इस प्रकार की निराशा की भावना को महसूस करता हूँ परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस कारखाने के सम्बन्ध में प्रश्नों के केवल उत्तर ही नहीं देता रहूँगा बल्कि मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही इस परियोजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में हुई प्रगति की सूचना संसद् में दे सकूंगा।

श्री वासुदेवन नायर : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अनिश्चित स्थिति का कोई सम्बन्ध जहाज बनाने के दूसरे कारखाने के साथ है और क्या मंत्री महोदय सभा को पुनः आश्वस्त कर सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो, जहाज निर्माण का दूसरा कारखाना बन जायेगा और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके निर्माण का काम आरम्भ हो रहा है।

श्री नम्बियार : चाहे योजना आरम्भ हो या न हो, जहाज निर्माण का कारखाना बनना चाहिये।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे विचार में मैं अधिक तो कुछ नहीं कह सकता परन्तु माननीय सदस्य जो आश्वासन चाहते है मैं इन्हें वह अवश्य दूंगा।

श्री प० गोपालन : मित्सुबिशी कम्पनी के साथ पिछले पाँच या छः वर्ष से बातचीत चल रही है परन्तु इस परियोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस परियोजना को अन्तिम रूप देने और निर्माण का कार्य आरम्भ

करने में क्या रुकावट है । क्या मंत्री महोदय सभा में दिये गये आश्वासन को दोहरा सकते हैं कि कोचीन में पहला जहाज 1973 तक बन जायेगा।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि परियोजना के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण किया जाना था । मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जहाज निर्माण कारखाने की न केवल पुनरीक्षित रूप-रेखा भेजी है बल्कि उन्होंने बाद में बातचीत आदि के बारे में बहुत के अन्य सुझाव भी दिये हैं । इन सब बातों पर ब्यौरेवार विचार करने की आवश्यकता है, हम बिना सोचे समझे किसी विदेशी कम्पनी को यह नहीं कह सकते कि वह जो कुछ चाहें ले लें और हमारे लिये कारखाना बना दें । मेरे विचार में माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि हम बातचीत के दौरान व्यापक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनायें । मैं केवल परिवहन तथा नौवहन के रूप में बात कर सकता हूँ मेरे मन में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि कोचीन जहाज निर्माण कारखाना अवश्य बनेगा । मन्त्रीमन्डल ने इसकी अनुमति दे दी है । मैंने दूसरे सदन में सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया है कि इस परियोजना की अनुमति दे दी गई है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कारखाना बन जायेगा । पहला जहाज 1973 में तैयार हो जायेगा या 1974 में होगा, मैं इस सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कह सकता ।

अध्यक्ष महोदय : अभी अखनूर के बारे में दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं। केरल के सभी सदस्य इस बारे में प्रश्न पूछ चुके हैं।

Pak Raids in Akhnoor (Jammu)

*94. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of raids by the armed Paskistanis on border villages in Akhnoor area is increasing day by day ;

(b) whether it is also a fact that the President of Border Village Defence Committee of Akhnoor Tehsil has also sent a memorandum to the Chief Minister of Jammu and Kashmir in this connection ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) One such Memorandum has been sent.

(c) Necessary precautionary measures have already been taken by the Government for security of that area.

Shri Raghubir Singh Shastri : May I know whether it is a fact that incidences similar to those in 1965, like cattle lifting, dacoities and raids of Pakistanis gureillas are taking place in Plànwala, Pragwala and Chhamb areas in Akhnoor. Will the hon'ble Minister also state whether it is also a fact that police posts are situated at a distance of 200 or 300 yards and they are informed about such incidences immediately but even then police have proved to be ineffective and they could not safeguard the civilians ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि वर्ष 1967 में ऐसी कुछ घटनायें हुई हैं परन्तु उनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। स्थानीय प्रशासन, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य अधिकारी भी बिल्कुल सतर्क हैं और वे इस सम्बन्ध में आवश्यक पूर्वोपाय कर रहे हैं।

Shri Raghuvir Singh Shastri : In view of such a situation prevailing in the border areas will the Government take steps to organise a village defence force on the lines of Kashmir Militia and give regular Military training to the people falling within the age limit of 18 and 50 years so that they may be in a position to safeguard themselves which would lighten the burden on armed forces.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में ग्राम रक्षा सेना आदि के बारे में कुछ कार्यवाही की गयी है परन्तु यह सोचना स्थानीय सरकार का काम है कि ये सब बातें की जा सकती हैं या नहीं। मेरे विचार में ये ऐसे सुझाव हैं जिन पर विचार किया जा सकता है।

श्री रंगा : यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिये क्या इन सब बातों को केवल स्थानीय सरकार पर छोड़ देना उचित है ? काश्मीर के मामले में ही नहीं बल्कि अन्य सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में भी केवल स्थानीय सरकार पर ही निर्भर नहीं करना चाहिये बल्कि गृह-कार्य मंत्रालय को ऐसी समितियों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिये जो सभी सीमावर्ती देहातों में बनाई जा रही हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह वह स्थान है जहाँ युद्ध विराम रेखा है और उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सशस्त्र सेना पर है। युद्ध-विराम रेखा से इस ओर का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। यदि सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार को वहाँ सम्पर्क बनाये रखना चाहिये तो हम निश्चय ही ऐसा करेंगे।

श्री म० ला० सौंधी : क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान पैरा सैनिक एककों को प्रोत्साहन दे रहा हैं जो अखनूर क्षेत्र की जनता में भय उत्पन्न करते हैं या जिन्हें संस्थानों को उड़ाने का काम सौंपा जाता है तथा उनसे जनता भयभीत है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह ठीक है कि वहां कुछ ऐसी घटनाएँ घटी हैं। स्थानीय सरकार, सशस्त्र सेना तथा अन्य अधिकारी मिलकर वस्तुस्थिति का पता लगा रहे है। इससे पता चला है कि ऐसी घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों को चिन्ता होनी स्वाभाविक है। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि स्थानीय प्रशासन इसके प्रति पूर्णरूप से जागरूक है।

Shri Lakhan Lal Kapoor :Is it a fact that Pakistan is conspiring to have such incidents caused not only on the borders in the West but in the East also with a vew to disturb law and order in the border areas? Is it also a fact that the personnel of Border Security force are not alert on their duties on borders and on account of their lethargy such incidents happen ? If so, the steps proposed to be taken to check the cases of plundering and murders in border areas ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूँ

कि सीमा सुरक्षा बल के सभी सिपाही मदिरा के नशे में हैं या सोये रहते हैं । जितने लोग सीमा पर तैनात हैं उनमें से अधिकांश कर्त्तव्यनिष्ठ हैं । फिर भी जो वहां गलत बातें होती है उनके प्रति हमें अवश्य ही जागरूक रहना है ।

Shri Y. S. Kushwah : May I know the number of such raids which took place in Akhnoor sector since Tashkent Agreement was concluded and the loss of life and property involved therein and the steps taken to get compensation for it from Pakistan ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में 1966 में ऐसी तीन घटनाएं हुईं और 1966 में दो घटनाएं घटी । जहां तक सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है या पाकिस्तान से मुआवजा आदि लेने का सम्बन्ध है । मुझे उसके लिये पृथक सूचना चाहिये ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : सेना अपना कार्य पृथक रूप से करती है । फिर जन-साधारण से उसे कैसे सहयोग प्राप्त होता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यही बात बताई थी । ग्राम प्रतिरक्षा समितियों और ग्राम प्रतिरक्षा बल का गठन किया जा रहा है । इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये कुछ सुझाव दिये गये थे । मेरे विचार से उन्हें चयनात्मक आधार पर कुछ प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

Shri Prakash Vir Shastri : It is ture that the responsibility of internal security rests with the State Govenments. But there are some points in border areas, especially in areas along the chinese and Pakistani borders, where Central Government cannot rely upon the State Governments. May I know whether the Government of India have made certain special arrangements for the security of strategic Akhnoor Sector and if so, the details thereof ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सम्बन्ध में मैं पूर्ण ब्यौरा तो नहीं दे सकता परन्तु इतना अवश्य बता सकता हूं कि अखनूर सहित सारे जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सुरक्षा के बारे में हम राज्य सरकार से परामर्श करते हैं और करते रहेंगे । राज्य की सुरक्षा हेतु स्थानीय प्रशासन और सरकार का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य होता है ।

श्री वी० बं० शर्मा : क्या सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों को दिये गये आदेशों में से एक यह भी है कि जैसे ही आक्रमण हो, वे अपने कार्य का स्थान छोड़ दें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं ।

श्री हेम बरुआ : सरकार की वर्तमान नीति के कारण काश्मीर में राजनैतिक असंदिग्धता का वातारण बना हुआ है । काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, फिर सरकार उसके बारे में वाशिंगटन तथा मास्को आदि विश्व की राजधानियों में बातचीत करती फिरती है । इससे पाकिस्तान का काश्मीर के लिये लालच बढ़ता जा रहा है । पाकिस्तान के लालच को शुरू में ही समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह तो मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान की काश्मीर लेने की

इच्छा कितनी तीव्र है । परन्तु यह सब इस बात पर निर्भर है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने की हमारे में कितनी क्षमता है । यह क्षमता हममें पर्याप्त है ।

Shri Hukam Chand Kchwai : Is it a fact that non-Hindus living in border areas have more arms than Hindu people and that Hindu people are not given licences for arms or given with sufficient delay ? May I know the measures Government propose to adopt for putting an end to this discrimination and the total number of the people in border areas who possess arms ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मन्त्री महोदय का प्रश्न पूछने का ढंग ही गलत है । ये रहने वाले भारत सब भारतीय हैं । उन्हें हिन्दू और मुस्लिम में क्यों विभाजित किया जाये । में यह जानता हूँ कि अखनूर- छम्ब क्षेत्र के निवासियों में हिन्दू-मुस्लिम की भावना नहीं है । माननीय सदस्य अपनी मनोवृति को बदलें । जहाँ तक हथियार देने का सम्बन्ध है हिन्दू और मुस्लिम का कोई भेद नहीं किया जाता ।

श्री बलराज मधोक : अखनूर से छम्ब तक का क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । कालिदर रेंज के साथ-साथ 1965 में टैंकों से आक्रमण किया गया था । पाकिस्तान की सैनिक शक्ति अब लगभग दुगनी हो गई है । हम सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये कोई विशेष प्रबन्ध किया है जिससे 1965 जैसा आक्रमण पुनः न हो जाये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रकार के प्रश्नों से स्थानीय लोगों में भय उत्पन्न हो जायेगा । माननीय सदस्य को पहले उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । वह क्षेत्र युद्ध विराम रेखा के पास का क्षेत्र है । उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना पर है, स्थानीय पुलिस पर नहीं ।

प्रधान मंत्री का शान्तिनिकेतन का दौरा

*95. + **श्री श्रद्धाकर सुपकार** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती तारा सप्रे :
श्री निहाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 दिसम्बर, 1967 को प्रधान मन्त्री के शान्तिनिकेतन के दौर के दौरान विश्वभारती के दीक्षान्त समारोह के समय एक बम का विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई जांच का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : एक ही वर्ष में दो घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनमें प्रधान मन्त्री के व्यक्तित्व को खतरा हो सकता था। क्या वर्तमान प्रधान मन्त्री की सुरक्षा का इतना अच्छा प्रबन्ध नहीं है जितना पहले प्रधान मन्त्रियों की सुरक्षा के लिये था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधान मन्त्री की सुरक्षा का मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : आजकल यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि किसी राजनैतिक दल पर रोष प्रकट करने के लिये उस दल के नेताओं पर आक्रमण कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये मन्त्री महोदय राजनैतिक स्तर पर क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राजनैतिक हिंसा का अभिशाप पिछले कुछ महीनों से बढ़ता जा रहा है। राजनैतिक स्तर पर मैं केवल राजनैतिक नेताओं से यह अपील कर सकता हूँ कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जाये।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether it is a fact that there is certain foreign element working behind these incidents of explosion, which is conspiring to finish all Indian leaders of political eminence one by one ? A bomb expolded at Shantiniketan at the time of Prime Minister's visit and Pandit Deen Dayal Upadhyaya was murdered while travelling in a train.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि इन घटनाओं में विदेशी हाथ है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : बड़ी संख्या में पुलिस होने के बावजूद बम कैसे फेंक दिया गया ? जांच-पड़ताल के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? शक यह है कि छानबीन ठीक प्रकार से नहीं की जा रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : छानबीन का ब्यौरा मेरे पास नहीं है। परन्तु मुझे पता चला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326 तथा 120-ख और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में 8 विद्यार्थी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इस प्रकार जांच-पड़ताल की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : पश्चिमी बंगाल में हाल में जो बम विस्फोट हुए हैं उनसे लोगों में यह धारणा बन गई है कि इस प्रकार के कार्य अमरीकी गुप्तचर विभाग के ऐजेन्टों या पुलिस द्वारा किये जा रहे हैं जिससे एक राजनैतिक दल बदनाम हो ? क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई जांच की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक इस दुर्घटना का सम्बन्ध है, उसमें किसी विदेशी का हाथ होने का पता नहीं लगा है। इस प्रकार के प्रश्नों से अपने देश के हिंसक तत्वों को शरण मिलेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री हेम बरुआ : आपने कल माननीय सदस्य को हिन्दी में न बोलने तथा तेलगू भाषा में बोलने के लिये कहा था । इससे पता लगता है कि आप हिन्दी नहीं चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । वह जिस भाषा में चाहें, उसमें बोल सकती हैं । मैं किसी सदस्य को किसी भाषा विशेष में बोलने के लिये बाध्य नहीं करता ।

Shrimati Lakshmikanthamma : May I know the time by which the report of this investigation will be available ?

Shri Y. B. Chavan : I will try that it should be made available as soon as possible.

Shri Prem Chand Verma : May I know the steps Government propose to take to safeguard the lives of national leaders ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ । सब राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा के लिये कोई एक योजना बनाना बहुत कठिन है । जो नेता अपने लिये ऐसी व्यवस्था की मांग करेंगे, उनके लिये प्रबन्ध करने की बात पर विचार किया जा सकता है ।

— - —

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शेख अब्दुल्ला के भाषण

*96. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री राम भवन :
श्री अंबूचेजियान :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० रानेन सेन :
श्री स० कुन्डू :
श्री राम चरण :
श्री कँवरलाल गुप्त :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री मधु लिमये :
श्री मयावन :
श्री नायनार :
श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला ने हाल ही में देश में अनेक ऐसे भाषण किये हैं, जो देश के हितों के प्रतिकूल हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जब कि सरकार शेख

अब्दुल्ला द्वारा दिये गये कुछ भाषणों को अनुचित और आपत्तिजनक समझती है, सरकार ने उन भाषणों के बारे में कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा है।

काश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में काश्मीर के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*97. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए उन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि जिनके अनुसार काश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा यह कहा गया है कि काश्मीर के विलय के प्रश्न पर बातचीत हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या काश्मीर के मुख्य मंत्री को अपने वक्तव्य का आशय स्पष्ट करने के लिये कहा गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मुख्य मंत्री को काश्मीर की वर्तमान स्थिति में किसी परिवर्तन का कोई संकेत दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आये हैं। जम्मू काश्मीर सरकार ने पूछताछ करने पर बताया है कि मुख्य मंत्री द्वारा कहे गये शब्द 'विलय की मात्रा' से उनका मतलब भारतीय संघ में जम्मू व काश्मीर राज्य द्वारा प्राप्त अधिकारों से था।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वामपंथी साम्यवादियों की सशस्त्र विद्रोह की कथित योजना

98. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री पीलु मोडी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वामपंथी साम्यवादी दल के कुछ गुप्त दस्तावेज पकड़े हैं, जिन से पता चलता है कि वह दल शीघ्र ही, सेना और पुलिस में घुसने के लिये प्रयत्न करेगा ;

(ख) यदि हां, तो उन दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा सत्ता को हथियाने की अपनी योजना के रूप में यह दल प्रादेशिक समिति के स्तर पर अपने दल का एक गुप्त संगठन स्थापित करने की योजना बना रहा है ; और

(घ) इन दस्तावेजों से होने वाले रहस्योद्घाटन को ध्यान में रख कर क्या वामपंथी साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाना उचित है और यदि हां, तो उस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) जब कि सरकार के पास इस प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट ऐसे कोई कागजात नहीं हैं तो भी वे सेना और पुलिस में घुसने के प्रयत्नों की सम्भावना के प्रति जागरूक हैं ;

(ग) सरकार के पास इस सम्बन्ध में जो भी सूचना उपलब्ध है उसे प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा ।

(घ) साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राज्य भाषा (संशोधन) अधिनियम

*99. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री रवि राय :
श्री हेम राज :
श्री क० हाल्दर :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री क० लकप्पा :
श्री सम्बन्धन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
डा० रानेन सेन :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री मोहसिन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् द्वारा पारित किये गये राजभाषा (संशोधन) अधिनियम से उत्पन्न हुए घोर विवाद तथा सम्पर्क भाषा के प्रश्न पर देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर हो रहे आन्दोलनों को ध्यान में रखते हुए क्या भाषा समस्या का अधिक स्वीकार्य हल ढूढ़ने के लिये नये सिरे से प्रयत्न करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) मुख्यतः भाषा नीति पर संकल्प के अनुच्छेद 4 (क) के परिणामस्वरूप भार में असमानता की आलोचना के बारे में कुछ अनौपचारिक चर्चा हुई है, विभिन्न लोग प्रधान मंत्री व गृह-मंत्री से मिले हैं और अपने विचार प्रस्तुत किये हैं । संकल्प के इस उपबन्ध के परिणामस्वरूप भार में असमानता की समस्याओं पर सरकार सोच-विचार कर रही है ।

पूर्वी पाकिस्तान से वापस आने वाले नागा

*100. श्री मयावन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :
श्री रा० स्वा० विद्यार्थी :
श्री अंबचेजयान :
श्री श्रीधरन :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी 1968 के पहले सप्ताह में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार लेने के बाद पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 200 नागा विद्रोहियों का एक दल बर्मा-मिजो पहाड़ी सीमा से मनीपुर के उत्तरी जिले में घुस आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सुरक्षा सेनाओं को सावधान कर दिया गया है और वे सीमा के आर-पार किसी भी अवैध व्यापार को रोकने के लिये सतर्क हैं ।

Meeting between Shiekh Abdullah and Pakistani High Commissoner

*101. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a secret meeting between Sheikh Abdullah, Afzal Beg and Pakistan High Commissioner in India was held in the capital to discuss Kashmir affairs recenty; and

(b) if so, Government's reaction hereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Sheikh Abdullah and Afzal Beg have had discussions with the Pakistan High Commissioner. They have not reported to Government what they discussed but it would be reasonable to presume that their discussions included Kashmir affairs.

(b) We consider Kashmir affairs to be internal concern of India.

Promotion of Hindi

*102. **Shri Tulshidas Jadhav Shri Valmiki Chowdhary :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the co-ordination being maintained between the Hindi -speaking States and the Central Government in so far as promoting the use of Hindi in administrative legal and other matters is concerned ;

(b) whether it is proposed to bring about uniformity in the use of Hindi for the above matters in the various States and at the Centre ; and

(c) whether any conference of the representatives of the Hindi - speaking States has been held to explore further possibilities of bringing about such co-ordination and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) to (c) The promotion of the use of Hindi in administrative matters is the concern of the Ministry of Home Affairs and in legal matters that of the Ministry of Law. The Ministry of Education is concerned only with the development of Hindi and its propagation in non-Hindi speaking States. The information regarding the steps proposed to be taken for bringing about uniformity in the use of Hindi in administrative and legal matters in various States and at the Centre is being obtained from the Ministries of Home and Law respectively and the same will be placed on the Table of the Lok Sabha when received.

In so far as the Ministery of Education is concerned, efforts are being made to implement the recommendations of the Education Commission in regard to the change over of medium of instruction at the university level from English to Hindi and other Indian languages. In this connection a meeting of the Vice Chancellors of the various universities in the Hindi Speaking States was held recently in the Banaras Hindu University, Varanasi to consider the various problems relating to the production of Hindi books at the university level in different subjects.

The Commission for Scientific and Technical Terminology is also producing Hindi books of the university level in collaboration with the universities and private publishers. The Commission has made considerable progress in this matter and efforts are being made to accelerate the

pace of production. The work of evolution of terminology in diferent subjects by the Commisison has also made considerabe headway. Terminology for administrative purposes has been prepared and published by the Commission. The finalisation of the terminology is done by the Commission with the help of experts and linguists belonging to different linguistic regions with a view to bring about uniofrmity and co-ordination in the matter of terminology in different languages.

नये वर्ष की पूर्व संध्या को कनाट प्लेस में हुई घटनाएं

*103. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री मी० ला० सोंधी :
श्री नारायण वाण्डेकर :
श्री रामजी राम :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
डा० रानेन सेन :
श्री लषन लाल कपूर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बलराज मधोक :
श्री द० ब० राजू :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये वर्ष की पूर्व सन्ध्या को नई दिल्ली में कनाट प्लेस में गुण्डों ने कुछ सड़कों का मार्ग अवरुद्ध कर तथा कारों को रोक कर महिलाओं को परेशान किया और उनसे छेड़खानी की और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि (एक) ऐसी घटनाएं दोबारा न होने पायें और (दो) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार हो ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचनाएं मिली थीं कि उत्सव मनाने वालों की बड़ी भीडों ने, जो नये वर्ष की पूर्व संध्या को कनाट प्लेस में विभिन्न स्थानों पर एकत्रित हो रहे थे, कारों को रोका और उनमें से कुछ कारों में बैठी महिलाओं से छेड़खानी की और पुलिस की कार्यवाही कारगर सिद्ध नहीं हुई ।

(ख) दिल्ली के अतिरिक्त जिला दण्डाधीश, जिन्होंने इस मामले में जांच की, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व्यवस्था बनाये रखने में असफल रहे ।

(ग) ऐसे अवसरों के सम्बन्ध में साधारणतया जो रोकथाम के कदम उठाये जाते हैं उन्हें और अधिक मजबूत कर दिया गया है। इनके अन्तर्गत कुख्यात दुश्चरित्रों आदि के विरुद्ध रोकथाम के कदम भी शामिल हैं ।

प्रशासन द्वारा दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति का बराबर पुनरावलोकन किया जा रहा है और कानून एवं व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिये समय-समय पर उचित कदम उठाये जाते हैं।

दिल्ली पुलिस का आधुनीकरण के लिये अनेक पुनर्गठन योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है।

लोकपाल

*104. श्री न० कु० साल्वे : श्री रवि राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र में एक लोकपाल नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह नियुक्ति कब की जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार ने शिकायतों, भ्रष्टाचार के आरोपों अथवा कुप्रशासन के कारण उत्पन्न अन्याय की जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार के लिये एक परिनियत संगठन का गठन करने का निर्णय किया है जिसका प्रधान लोकपाल होगा। इस विषय पर एक विधेयक अन्तिम व्यवस्था पूर्ण होते ही संसद में पुनः प्रस्तुत किया जायगा।

हरियाना सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

*105. श्री नम्बियार : श्री एस्थोस :
श्री सत्य नारायण सिंह : श्री गणेष घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जनवरी, 1968 को हरियाना सरकार के कर्मचारियों ने राज्य भर में काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हरियाना सरकार के कर्मचारी आंदोलन करते रहे थे कि उनको 1–5–1967 से केन्द्रीय सरकार की दरों पर ऊंचा मंहगाई भत्ता दिया जाये और हरियाना अध्यक्षकों के सम्बन्ध में कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये। विभिन्न राजनीतिक दलों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के पश्चात् राज्य सरकार ने 1 दिसम्बर, 1967 से बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता देने और 1 जनवरी, 1968 से मंहगाई भत्ते में अग्रेत्तर वृद्धि देने की घोषणा की थी। हरियाना अध्यापकों के सम्बन्ध में सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है और उन्हें 1–12–1967 से क्रियान्वित करने का निर्णय किया है। तथापि कर्मचारियों ने मांग कि है कि 1-12-1967 और 1-1-1968 से दी गई मंहगाई भत्ते की वृद्धियां क्रमशः 1–5–1967 और 1–11–1967 से भूतलक्षी प्रभाव से दी जायें जैसा कि पंजाब

सरकार द्वारा उसके कर्मचारियों के मामले में किया गया है। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

इंडिया आफिस लायब्रेरी, लंदन

*106. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी को लेने के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के साथ विद्यमान मतभेदों को दूर करने में कितनी सफलता मिली है ; और

(ख) सम्बन्धित पक्षों में अन्तिम समझौता होने में अब क्या मुख्य अड़चन रह गई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) इस प्रश्न को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली कानून पद्धति से संबन्धित इग्लैंड की सरकार के प्रस्ताव से भारत सरकार सहमत हो गई है। इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है। ब्रिटिश राष्ट्रमण्ल सचिव को इस प्रश्न को शीघ्र तय करने की आवश्यकता से दिसम्बर, 1967 में सूचित किया गया था। इग्लैंड की सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार से उत्तर प्राप्त करने की कोशिश जारी है।

मद्रास में रहने वाले उत्तर भारत के निवासियों को धमकी भरे टेलीफोन किये जाना

*107. **श्री वी० चं० शर्मा :** **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचारों का पता है कि मद्रास में रहने वाले उत्तर भारत के निवासियों को धमकी भरे टेलीफोन किये जा रहे हैं, जिनमें उनसे कहा जा रहा है कि या तो वे तामिल सीखें या तामिलनाड छोड़ कर चले जायें ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हान) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

दिल्ली में अध्यापकों के वेतनमान

*108. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी : **श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री कंवरलाल गुप्त : **श्री निहाल सिंह :**
श्री शिवकुमार शास्त्री : **श्री एस्थोस :**
श्री नम्बियार : **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री क० लक्कप्पा :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ा दिये हैं,

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के अध्यापकों द्वारा पुनः हड़ताल की धमकी दी जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी हां।

(ख) ऐसा बताया जाता है कि वे संशोधित वेतन-मानों और उसमें क्रियान्वयन से असन्तुष्ट हैं ।

(ग) क्योंकि संशोधित वेतन-मान पहले वेतन-मानों के अच्छे हैं और क्योंकि संशोधन सामयिक वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, विशेष मामलों के तौर पर दिया गया है, इसलिये सरकार अध्यापकों से यह आशा करती है कि वे अपना आन्दोलन छोड़ दें और अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने तथा उनका विकास करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएं, विशेषकर जब कि वार्षिक परीक्षाएं बहुत निकट हैं।

Pakistani Propaganda Literature in Orissa

*109 **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistani propaganda literature had been distributed among the public in large number in the cyclone-affected areas of Orissa ;

(b) if so, whether Government have ascertained as to how that literature reached there; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs : (Shri Y. B. Chavan):

(a) No, Sir.

(b and (c) : The State Government have informed us that about 4000 second-hand books were obtained from Calcutta either free of cost or at reduced price for distribution in cyclone affected areas. Of these, ten books related to Pakistan and none of them had been sold.

अन्तर्राज्य मार्गों के लिये बसों के परमिट

*110. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने अन्तर्राज्य बस मार्गों के परमिटों के सम्बन्ध में क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाये हैं;

(ख) राज्यों ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का किस हद तक पालन किया है ; और

(ग) अन्तर्राज्य बस मार्गों के परमिट दिये जाने के बारे में समान मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाये जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) अन्तः राज्य मार्गों और अन्तर्राज्यों में यात्री बसों के चालन के लिये परमिटें

राज्य के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा दी जाती हैं। मोटर वेहिकिल एक्ट 1939 की धारा 48 और 63 के अधीन दिये अधिकारों के अनुसार दी जाती है।

धारा 63-ए के अधीन, केन्द्रीय सरकार अन्तर्राज्य परमिट देने के लिये अन्तर्राज्य परिवहन आयोग को भी अधिकार दे सकती है। अभी तक ऐसे अधिकार आयोग को दिये नहीं गये हैं।

राज्यों और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा किस प्रकार अन्तर्राज्य बस परमिट दी जाये इसके बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई विशेष आदेश या निदेश जारी नहीं किये हैं। राज्य सारकार कानून के अनुसार परस्पर समझौतों द्वारा अन्तर्राज्य मार्गों पर परमिट जारी करती रही हैं। इस मामले पर परिवहन विकास कौंसिल पर अक्टूबर, 1961 में विचार किया गया था जब ऐसे मार्ग पर अन्तर्राज्य यात्री यातायात के विभाग का प्रश्न विचारार्थ उपस्थित हुआ था। यह सिफारिश की गई थी कि ऐसे मार्गों पर यातायात का विभाजन प्रत्येक राज्य में पड़ने वाली मील दूरी के अनुपात से किया जाये।

(ख) यह निदेशक रेखा या नियम जो माईलेज फारमुला के नाम से जाने जाते हैं राज्य सरकारों और केन्द्रीय प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा स्वीकार किये जा रहे हैं और सिवाय अपने अन्तर्राज्यीय पथों पर हुए कुछ तर्दथ प्रबन्धों के अलावा बराबर के राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय पथों पर यात्री यातायात का भाग माइलेज के हिसाब से बांट लिया जाता हैं।

कुछ मामलों में पारस्परिक समझौतों द्वारा "पैरिटी" आधार पर दो राज्यों द्वारा यातायात बांटा जाता है। ऐसे भी उदाहरण है जहां पारस्परिक समझौते से, दो या अधिक राज्यों में तदर्थ समझौता किया गया है। कुछ थोड़े मामलों में जहां दो राज्यों में कोई समझौता नहीं है वहाँ अन्तर्राज्य परिवहन आयोग के सुप्रभाव से मामला तदर्थ आधार पर तय कर लिया गया है।

दिल्ली प्रशासन ने प्रतिवेदित किया है कि केन्द्रीय क्षेत्र की विशेष. स्थिति के कारण दिल्ली में माइलेज फारमुला नहीं लगाया जाना चाहिये और उसे पड़ोसी राज्यों से बराबर का भाग मिलना चाहिये। अन्तर्राज्य परिवहन आयोग ने तीन विशेष अन्तर्राज्य मार्गों पर उसे मील दूरी का दूना यातायात दिया है।

(ग) अन्तर्राज्य मार्गों पर नियमित यात्री बस परमिट पाने के लिये प्रतिवेदन प्राप्त करने में एक सी क्रिया पद्धति के लिये और उन पर निर्णय के लिये अन्तराज्य परिवहन अयोग ने राज्य सरकारों को कुछ सुझाव भेजे हैं। चंडीगढ़ बंगलौर और बम्बई में हुई परिवहन आयुक्तों को क्षेत्रीय बैठकों में माइलेज फारमुला मानने की औचित्यता पर भी जोर दिया गया था।

मद्रास में स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई

*111. श्री काशीनाथ पाण्डे : श्री रवि राय :
श्री कंवरलाल गुप्त : श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री रामगोपाल शालवाले : श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री जुगल मंडल : श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री मोहसिन : श्री देवराव पाटिल :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में स्कूलों में हिन्दी की अनिवार्य पढ़ाई को समाप्त करने के सम्बन्ध में मद्रास विधान सभा का संकल्प सरकार ने देखा है, और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) : इस संकल्प के सम्बन्ध में कोई सरकारी सूचना भारत सरकार को नहीं मिली है।

विद्यार्थियों की हड़तालें

*112. श्री सीताराम केसरी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में विद्यार्थियों द्वारा बड़ी संख्या में हड़तालें की गई हैं,

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थियों को बार-बार की हड़तालों से शिक्षा के स्तर पर कुप्रभाव पड़ा है, क्या विद्यार्थियों की हड़तालें रोकने के लिये तथा सब विश्वविद्यालयों में शिक्षा का समुचित स्तर बनाए रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे उपाय करने का है जिससे राजनैतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों का राजनैतिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग न किया जा सके ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी, हां। फिर भी, 1966 की अपेक्षा 1967 में छात्र-आन्दोलनों की संख्या कम थी।

(ख) अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये अनुकूल व उपयोगी वातावरण को ध्यान में रख कर और अवांछनीय कार्यकलायों से विद्यार्थियों का ध्यान दूर रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रकल्याण के कार्यक्रमों को लागू करने में विश्वविद्यालयों और कालेजों को मदद दे रहा है।

(ग) राजनैतिक प्रयोजनों के लिये विद्यार्थियों का प्रयोग न हो—इसके कोई उपाय नहीं हैं। फिर भी, सरकार का विचार है कि राजनैतिक दलों को विश्वविद्यालयों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए राजी होना चाहिए।

सी० आई० ए० का धन

*113. श्री जर्नादन :
श्री उमानाथ :
श्री नायनार :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री रमानी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० आई० ए० से कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा धन प्राप्त करने के आरोपों के बारे में जांच इस बीच में पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) गुप्तवार्ता विभाग की रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है।

सड़क परिवहन निगम

114. **श्री चक्रपाणि :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में सड़क परिवहन निगम स्थापित किये गये हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक निगम में रेलवे ने क्या अंशदान किया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल को यह अंशदान 20 प्रतिशत से बढ़ा कर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत करने का है जैसा कि महाराष्ट्र राज्य के मामले में किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 89/68]

हरियाना सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

*115. **श्री अब्राहम :**
श्री रमानी :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री भगवान दास :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जनवरी, 1968 को हरियाना सरकार के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ; और

(ग) सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) मांगों का मुख्यतया संबन्ध हरियाना सरकार के कर्मचारियों को 1 मई 1967 से केन्द्रीय सरकार की दर पर अधिक मंहगाई भत्ता देने और हरियाना अध्यापकों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने से है। विभिन्न राजनैतिक नेताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के बाद राज्य सरकार ने 1 दिसम्बर, 1967 से अधिक मंहगाई भत्ता देना तथा 1-1-68 से और अधिक भत्ता देना घोषित किया था। राज्य सरकार ने कोठारी आयोग की शिफारिशें भी स्वीकार कर ली हैं और उन्हें 1 दिसम्बर, 1967 से

लागू करने का निश्चय किया है । फिर भी कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें अधिक भत्ता 1-12-67 और 1-1-1968 से नहीं बल्कि क्रमशः 1-5-1967 और 1-11-67 से दिया जाय जैसे कि पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को देना स्वीकृत किया है। राज्य सरकार द्वारा यह मांग स्वीकार नहीं की गई है।

विदेशों में भारतीय लड़कियों का कथित बेचा जाना

*116. श्री श्रीधरन : श्री कामेश्वर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नवयुवतियों को देश से बाहर ले जाया जाता है और उन्हें मध्यपूर्वी देशों में लखपती लोगों द्वारा रखेलें बनाने के लिए बेचा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों की जांच की है ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उनके ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है ।

आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से उत्तर प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

आसाम का पुनर्गठन

*117. श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री देवव्रत बरुआ
श्री रा० रा० सिंह देव : श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पुनर्गठन के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

साम्प्रदायिक दंगों की जांच के लिए जांच आयोग

*118. श्री सत्यनारायण सिंह : श्री रमानी :
श्री राममूर्ति : श्री मोहसिन :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन नियुक्त किये गये जांच आयोग ने पिछले वर्ष हाटिया और रांची में हुए साम्प्रदायिक दंगों तथा अन्य दंगों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जब कि आयोग से आशा की जाती है कि वह दंगे के प्रत्येक स्थान की जांच करेगा और फिर अपना प्रतिवेदन समाप्त करेगा और उसका प्रथम प्रतिवेदन जब शीघ्र प्राप्त होने की आशा है, कोई निश्चित समय बताना कठिन है ।

'हिलटन्स' के सहयोग से बम्बई में एक होटल की स्थापना

*119. श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री दामानी : श्री रा० बरुआ :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिलटन्स के सहयोग से बम्बई में बनाये जाने वाले होटल के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित परस्पर विरोधी समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये लाइसेंस देने के बारे में सही स्थिति क्या है ; और

(ग) हिलटन्स ने सहयोग के लिये क्या शर्तें रखी हैं ?

पर्यटन तथा उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हां, सरकार का ध्यान इन प्रेस रिपोर्टों की ओर दिलाया गया था कि शिव सागर एस्टेट, बम्बई तथा हिल्टन्स होटेल्स यू० एस० ए० के बीच प्रस्तावित सहयोग छोड़ दिया गया है । चूंकि प्रस्तावित सहयोग अभी भी विचाराधीन है, सरकार ने ऐसी प्रेस रिपोर्टों का यह कहते हुए खण्डन कर दिया कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही घोषित कर दिया जायेगा ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित सहयोग की शर्तों पर सरकार विचार कर रही है ।

"आसामियों के लिये आसाम" आंदोलन

*120. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में गौहाटी में "आसामियों के लिये आसाम" नारे से हिंसात्मक अन्दोलन किया गया था, जिसमें बम्बई, कलकत्ता तथा आसाम से भिन्न स्थानों के लोगों के व्यापारगृहों तथा औद्योगिक संस्थानों का बहुत अधिक नुकसान किया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि क्या इस आन्दोलन के पीछे चीनियों का अथवा भारत स्थित उनके एजेन्टों का हाथ था ;

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि ऐसे आन्दोलन आसाम के विभिन्न भागों में या अन्य राज्यों में न फैलने पायें ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) 13 फरवरी, 1967 को सदन में दिये गये मेरे वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने इन घटनाओं की जांच करने के लिये एक जांच आयोग का गठन किया है जिसके प्रधान आसाम तथा नागालैंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पूर्वाधायी कदम उठाये गये हैं ।

सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड

649. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के आयात के बारे में सरकार को धोखा देने के लिये सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड के विरुद्ध सरकार ने और आगे कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) इस कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) इस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करना संभव नहीं हो सका और जैसा मौ प्र० सं० 484 में 6-12-67 को बताया गया था स्थिति में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात् सरकार अभी तक कम्पनी द्वारा दायर रिट याचिका पर कलकत्ता उच्च-न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रही है ।

(ख) इस कानूनी सलाह के अनुसार कि कम्पनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है परन्तु जिस व्यक्ति ने सम्बन्धित परिपत्र जारी किया उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, कम्पनी के सम्बद्ध निदेशक के विरुद्ध खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

Police Assistance by Centre to States

650. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the names of States which asked for additional Police assistance from the Centre for quelling disturbances or asked for military assistance to restore law and order during the period from the Ist March, 1967 to 31st December 1967, ;

(b) the names of States which were provided with that assistance and the details thereof:

(c) the places, occasions, manner, extent and form in which Army was used for quelling the disturbances and for restoring law and order ; and

(d) the places where Army was used as stand-by only and the necessity of its active use did not arise ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) During the period from 1st March, 1967 to 31st December, 1967, the Governments of Assam Bihar, Rajasthan, West Bengal, Gujarat, Manipur, Tripura, Delhi, Goa, J & K and Chandigarh asked for assistance of Central Police force for law and other duties. Necessary police reinfotcement was made available to them.

(c) and (d) . Information about the calling out of the Army in aid of civil authorities is being collected and will be laid on the Table of the House.

Hindi-knowing Central Government Employees

651. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees of differnt classes working in the various departments of the Central Government ;

(b) the number of Hindi-speaking employees and the number of those who had knowledge of Hindi prior to their appointment;

(c) the number of non-Hindi speaking employees who had taken advantage of Hindi Teaching Scheme and the number of those who have completed the training ;

(d) the number of employees under training as on the 1st January, 1968 :

(e) the number of persons imparted Hindi training every year; and

(f) whether encouragements and incentives are also given for undergoing Hindi training and if so, the nature of encouragements provided to the employees of different classes ;

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) According to the latest available information, the number of employees class-wise is as follows :

Class I	19,022
Class II (G)	20,244
Class II (NG)	13,018
Class III	11,43,790
Class IV	12,09,457

(b) According to the information so far available—183,770 (excluding class IV and industrial employees for whom training in Hindi is not obligatory).

(c) and (e) Statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT—90/68]**

(d) According to the information available, 32,326 employees were receiving training on 31.10.'67

(f) Statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT—90/68]**

एयर इंडिया उद्घाटन-उड़ानें

652. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1967 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान एयर इंडिया के विमानों ने कितनी उद्घाटन उड़ानें किन-किन तारीखों को कीं और ये उड़ान किस-किस स्थान तक की गईं ;

(ख) प्रत्येक उड़ान में किन-किन अतिथियों को मानार्थ टिकट दिये गये तथा उनके व्यवसाय और पदनाम-क्या क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक अतिथि पर कितना खर्च हुआ तथा प्रत्येक उड़ान पर कुल कितना खर्च हुआ ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रत्येक अतिथि के लिये मदिरा, दस कोर्स के भोजनों, विलासपूर्ण होटलों में रिहायश तथा निःशुल्क यातायात व्यवस्था की गई थी ; और

(ङ) इन अतिथियों का चयन किस आधार पर किया जाता है तथा ऐसी उड़ानों के लिये कितने प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को आमन्त्रित किया जाता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 91/68]

मार्क्सवादी साम्यवादियों की कथित गुप्त बैठक

653. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'जनसेवक' कलकत्ता दिनांक 3 जनवरी, 1968 में प्रकाशित निम्नलिखित समाचार की ओर दिलाया गया है :

"13 नवम्बर, 1967 को मार्क्सवादी साम्यवादियों तथा बी० च० एस० ई० ने केशवसेन स्ट्रीट पर हुई एक गुप्त बैठक में यह निश्चय किया है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के पतन के साथ ही कलकत्ता के महत्वपूर्ण स्थानों पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की जायेगी और शहर का उप नगरीय क्षेत्रों के सम्पर्क भंग कर दिये जायेंगे ;" और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री से अफजल बेग की भेंट

654. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर जनमत संग्रह मोर्चे के मिर्जा अफजल बेग 29 दिसम्बर, 1967 को प्रधान मन्त्री से मिले थे ;

(ख) क्या उन्होंने कोई मांग की थी ;

(ग) यदि हां, तो वह मांग क्या थी ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) उन्होंने कोई मांग नहीं की थी, किन्तु उन्होंने सुझाया था कि सरकार को काश्मीर के बारे में शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों से बातचीत करनी चाहिये। उन्होंने भारत-पाकिस्तान मित्रता की आवश्यकता के बारे में भी कहा था। इन सामान्य सुझावों पर सरकार की कोई विशेष प्रतिक्रिया होने का प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

655. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को नियुक्ति की तारीख के कितने वर्ष पश्चात् वरिष्ठ पद अवर सचिव, उप-सचिव संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा सचिव के पदों पर पदोन्नत किया जाता है ;

(ख) उक्त अधिकारियों में से ऐसे कितने प्रतिशत अधिकारी हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं की जाती है;

(ग) देश में इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल कितने अधिकारी जूनियर वेतन मान, सीनियर वेतनमान में संयुक्त सचिवों तथा अतिरिक्त सचिवों अथवा इनके समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे हैं ; और

उक्त अधिकारियों में ऐसे अधिकारी कितने प्रतिशत हैं जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य कार्यों के लिये प्रतिनियुक्त किये गये हैं या ऐसे पदों पर प्रतिनियुक्त किये गये हैं जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मचारी भी लगाये जा सकते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) राज्यों में अवर सचिवों, उप-सचिवों, संयुक्त सचिवों, अतिरिक्त सचिवों तथा सचिवों (अधि-समय क्षेणी में सचिवों को छोड़कर) के पदों पर और भारत सरकार में अवर सचिवों तथा उप-सचिवों के पदों पर नियुक्तियां भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों के लिये, जो सीनियर वेतन मान में पहिले ही वेतन पा रहे हैं, पदोन्नति नहीं है । राज्यों में उन्हें सीनियर वेतन मान में पदोन्नति के पश्चात् तुरन्त अवर सचिवों तथा उप-सचिवों के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यों में संयुक्त सचिवों, अतिरिक्त सचिवों तथा सचिवों के पदों पर नियुक्ति होने के लिये यह समय छः से दस वर्ष तक का रहता हैं । उन अधिकारियों की, जिन्होंने लगभग 18 वर्ष, 24 वर्ष और 28 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया है, अभी क्रमशः भारत सरकार में संयुक्त सचिवों, अतिरिक्त सचिवों और सचिवों के पदों पर नियुक्ति होती है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी इन पदों पर नियुक्त नहीं किये जाते हैं।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) ऐसे जूनियर वेतन मान अधिकारी नहीं हैं जो संयुक्त सचिवों और अतिरिक्त सचिवों अथवा समान पदों पर कार्य कर रहे हों । इन पदों पर कार्य करने वाले सीनियर वेतन मान अधिकारियों की संख्या लगभग 669 है ।

(घ) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों अथवा समान पदों पर उपरोक्त प्रतिनियुक्त अधिकारियों का प्रतिशत 7.47 है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

656. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारती पुलिस सेवा के वर्तमान वेतन-मान क्या हैं और जब वे राज्य तथा केन्द्रीय सचिवालयों में जूनियर, सीनियर, सिलेक्ट वेतन-मान में काम करते हैं, तो उन्हें भत्तों के रूप में कितनी राशि दी जाती है ; और

(ख) वर्ष 1950 और 1960 में उपरोक्त वेतन-मान क्या थे और भत्तों की राशि कितनी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना परिशिष्ट में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-92/68]

साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रहीत वित्तीय सहायता

657. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री 13 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़ कर किन्हीं अन्य राज्यों ने भी साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रहीत वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी सहायता दी है ; और

(ग) बिहार सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 93/68]

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

निजाम की विदेश यात्राएं

658. श्री नारायण रेड्डी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 के दौरान हैदराबाद के महामहिम निजाम ने कितनी बार कौन-कौन सी तारीखों को विदेश यात्रा की थी और प्रत्येक यात्रा के दौरान वह कौन-कौन से देशों में गये थे ;

(ख) प्रत्येक विदेश यात्रा के लिये हैदराबाद के निजाम (शाहजादा मुक्करम जाह) ने क्या कारण बताये थे ;

(ग) वर्ष 1967 में प्रत्येक विदेश यात्रा पर निजाम के साथ कितने व्यक्ति (उनके नाम और निजाम के साथ उनका सम्बन्ध) गये थे ; और

(घ) हैदराबाद के निजाम के परिवार के व्यक्तियों तथा उनके कर्मचारियों में से कितने और कौन-कौन से व्यक्तियों के पास वर्ष 1967 में राजनयिक पारपत्र थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) से (घ) 1967 में हैदराबाद के निजाम ने निम्न देशों की यात्रा की :—

(एक) फरवरी, 1967 में अपने परिवार से मिलने के लिये 3 मास के लिये लन्दन की।

(दो) जून 1967 में अपने पुत्र से मिलने के लिये, जो अस्वस्थ था, एक सप्ताह के लिये स्विट्जर लैंड की ।

(तीन) नवम्बर, 1967 में अपनी बीमार माता, बरार की शहजादी, जो वहां पहले से ही थीं; की गंभीर बीमारी के सम्बन्ध में लन्दन की ।

2. नवम्बर, 1967 में शहजादा मुक्करंम जाह और निजाम की पत्नी भी लन्दन गये।

3. 1967 के दौरान हैदराबाद के निजाम और उनकी माता के पास राजनयिक पारपत्र थे ।

भाड़े आदि पर लिये गये विमान

659. श्री नारायण रेड्डी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में हैदराबाद के निजाम ने कितनी बार भाड़े पर विमान लेकर यात्रा की और प्रत्येक उड़ान के लिये कितना भाड़ा दिया गया ;

(ख) भाड़े पर लिये गये विमान कौन-कौन सी किस्म के थे तथा उनमें कितनी-कितनी सीटें थी और प्रत्येक उड़ान में कितने व्यक्तियों ने यात्रा की ;

(ग) भाड़े पर लिये गये ये विमान कौन-कौन से मार्ग होकर गये, किन-किन स्थानों पर रुके तथा किन-किन स्थानों पर पहुंचे ; और

(घ) 1967 में निजाम द्वारा भाड़े पर लिये गये विमानों की प्रत्येक उड़ान की अवधि कितनी थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) 1967 में निजाम हैदराबाद के लिये या उस की ओर से नागर विमानन विभाग द्वारा कोई चार्टर उड़ानें अधिकृत नहीं की गयीं । किसी भाड़े के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मारल री-आर्मेमेंट एसोसिएशन

660. श्री अनन्तराव पाटिल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारल री-आर्मेमेंट एसोसिएशन ने पंचगनी (महाराष्ट्र) में लगभग 75 लाख रुपये खर्च करके एक एशियाई केन्द्र खोला है ;

(ख) क्या उसके उद्घाटन समारोह पर प्रत्येक महाद्वीप से काफी बड़ी संख्या में विदेशी लोग एकत्र हुए थे ;

(ग) क्या वे काफी मात्रा में विदेशी धन लाये थे और उन्हें ग्रामों में जाने, ग्रामीणों से मिलने-जुलने और उनमें प्रचार करने की खुली छूट थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कई करोड़ रुपयों, उनके प्रस्तावित कार्यक्रम की छान-बीन की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

अंग्रेजी अथवा सिन्धी मातृभाषा वाले लोग

661. श्री सम्बन्धन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उन लोगों की संख्या क्या है जिनकी मातृभाषा (i) अंग्रेजी और (ii) सिंधी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

भारत की 1961 में की गई जन गणना के अनुसार देश में उन लोगों की संख्या जिनकी मातृभाषा (i) अंग्रेजी है 223,781 हैं; और जिनकी (ii) सिन्धी है 1,371,932 है।

Arms seized from Mizos

662. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Ram Gopal Shalwale:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number and details of arms seized from the rebels in Nagaland and Mizoland during the last three years ;

(b) the number of rebels killed or arrested in these areas during the said period; and

(c) the number of our Police and Army personnel killed, wounded or kidnapped during the same period ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) to (c) A statement containing the requisite information is attached. **[Placed in Library. See No. L T. 94/68]**

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पुलिस का प्रवेश

663. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री चक्रपाणि :**
श्री चपलान्कात भट्टाचार्य :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस तथा पी० ए० सी० 31 दिसम्बर, 1967 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आहाते में चली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस ने आहाते में दाखिल होने के लिए उपकुलपति की अनुमति ली थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस आहाते में प्रवेश करने के लिए पुलिस को किसने अनुमति दी थी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुन सेन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभापटल पर रख दी जाएगी।

Languages recognised by UNESCO

664. **Shri Ram Sewak Yadav** : **Shri Mahraj Singh Bharati** :
Shri Inder J. Malhotra :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the languages of the world recognised by the UNESCO ;

(b) whether Hindi has, also been recognised by UNESCO ; and

(c) if so whether Hindi is used by Government of India in the proceedings of UNESCO ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) The **Official** languages of the General Conference of UNESCO are Arabic, Chinese, English, French, Hindi, Italian, Russian and Spanish. The **working** languages of the General Conference are however only English, French, Russian, and Spanish. The UNESCO Secretariat works primarily in English and French.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

शेख अबदुल्ला और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच पत्र-व्यवहार

665. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : **श्री रणधीर सिंह** :
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री का० ना० पांडे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खां द्वारा एक दूसरे को दिये गये संदेशों के मजमून की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) प्रेस में जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान हाई कमिश्नर के द्वारा शेख अब्दुल्ला और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खां ने एक दूसरे को व्यक्तिगत सन्देश भेजे हैं इन समाचारों के अलावा सरकार के पास और कोई सूचना नहीं है ।

(ख) इन समाचारों के आधार पर सरकार ने कोई कार्यवाही करनी आवश्यक नहीं समझी है।

शेख अब्दुल्ला की गतिविधियां

666. **श्री यशवन्त शर्मा** : **श्री राम चरण** :
श्री लषण लाल कपूर : **श्री रामावतार शर्मा** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बाद उनकी गतिविधियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या वह विदेशी राजनयिकों से मिल रहे हैं (जिनमें भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त भी सम्मिलित हैं) जिससे वह काश्मीर के तथाकथित विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के अपने इरादों के लिये समर्थन प्राप्त कर सकें ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों के विरुद्ध, जो देश की प्रादेशिक अखण्डता के लिये हानिकारक हैं, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार को शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों तथा विदेशी राजदूतों से उनकी मुलाकातों के बारे में जानकारी है। उन बातों को सरकार नहीं जानती है जो उनमें हुई हैं। शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों पर अभी कोई पक्का निश्चय करना ठीक नहीं है।

"आई वाज ए सी आई ए एजेन्ट इन इंडिया" पुस्तक

667. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आई वाज ए सी आई ए एजेन्ट इन इंडिया" नामक पुस्तक पर जो भारतीय साम्यवादी दल द्वारा भारत में बिक्री के लिये रखी गई है, प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) जी, नहीं श्रीमान्।

(ख) सरकार को यह सलाह दी गई है कि उक्त पुस्तक की विषय-वस्तु किसी साधारण दण्ड विधि की अपकृति में नहीं आती है।

मिजो उपद्रवियों द्वारा घात लगाना

668. श्री चेंगलराया नायडू : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 दिसम्बर, 1967 की रात को मिजो पहाड़ियों के चोंगटे क्षेत्र में मिजो उपद्रवियों के साथ गोली चलने के फलस्वरूप सुरक्षा सेना के छः व्यक्ति मारे गये और सात घायल हो गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिजो उपद्रवियों ने लाइट स्वचालित मशीनगनों का प्रयोग किया था ;

(ग) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ;

(घ) कितने उपद्रवी मारे गये और कितने पकड़ लिये गये ;

(ङ) क्या मिजो उपद्रवियों की गतिविधियां और बढ़ गई हैं ; और

(च) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) 27 दिसम्बर, 1967 को सुरक्षा दल की एक गश्ती पार्टी ने जबकि वह मिजो पहाड़ियों में विद्रोहियों की एक छिपने वाली जगह की ओर जा रही थी, गोली चलाई। विद्रोहियों ने भी हल्की मशीनगनों का प्रयोग किया। इस कार्यवाही में, सुरक्षा दल के चार व्यक्ति मारे गये और तीन घायल हुए। विद्रोहियों में से पांच मारे गये थे, आठ घायल हुए और तीन पकड़े गए। कुछ सशस्त्र दल ने अपनी कार्यवाहियां बढ़ा दी हैं और मिजो विद्रोही सुरक्षा दल से मुठभेड़ करने से बच रहे हैं।

(च) कुछ नई सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं, और विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाहियां जारी हैं ।

मिजो लोगों से बरामद किये गये हथियार

669. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 दिसम्बर, 1967 को सुरक्षा सेना ने मिजो पहाड़ी जिले में हुई अनेक मुठभेड़ों में विद्रोही मिजो लोगों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया था, और

(ख) यदि हां, तो क्या ये हथियार तथा गोलाबारूद विदशों में निर्मित, मुख्यतः चीन में निर्मित, पाये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) सुरक्षा दलों द्वारा 27 दिसम्बर, 1967 को मिजो पहाड़ी जिलों में हुई अनेक मुठभेड़ों में विद्रोही मीजो लोगों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

देशभक्त मिजो लोगों को हथियार देना

670. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मिजो पहाड़ियों में प्रगतिवादी संरक्षित गांवों के लोगों को हथियार देने का निर्णय किया है ताकि वे विद्रोही नागाओं के अत्याचारों से अपनी रक्षा कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो इन लोगों को कुल कितने हथियार तथा गोला-बारूद दिये गये हैं;

(ग) इस बात के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि ये हथियार हमारी अपनी सेनाओं के विरुद्ध प्रयोग नहीं किये जायें; और

(घ) क्या हथियार देने से पहले इन लोगों को कोई प्रशिक्षण दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) सरकार ने मिजो पहाड़ी जिले के चुने हुए गांवों को हथियार और प्रशिक्षण के रूप में सहायता देने का निश्चय किया है, ताकि वे मिजो विद्रोहियों के आक्रमणों के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकें।

इस सहायता का दुरुपयोग न हो, यह देखने के लिये प्रत्येक संभव सावधानी बर्ती जायेगी । शस्त्रास्त्र, प्रशिक्षण, सतर्कता आदि के सम्बन्ध में ब्यौरा प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

पश्चिमी बंगाल में पुनः चुनाव

671. **श्री स० च० सामन्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पुनः चुनाव कराने का प्रस्ताव कहीं से प्राप्त हुआ है;

(ख) उस सम्बन्ध में सरकार को क्या कानूनी परामर्श दिया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) कुछ राजनीतिक दलों और व्यक्तियों ने पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव कराने का सुझाव दिया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में कानूनी सलाह ली गई है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव कराने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

672. श्री शीशीकन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा वैज्ञानिक रुचि पैदा करने के लिए सरकार भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था को एक प्रभावशाली संगठन बनाने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या जनता में विज्ञान के अध्ययन के लिए उसका प्रचार करने के लिए प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ; और

(घ) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : वर्तमान नीति यह है कि विज्ञान सहित सभी विषयों में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिएं। सभी राज्यों द्वारा इस नीति पर क्रमिक रूप से अमल किया जा रहा है ।

दिल्ली में पान पर बिक्री कर

673. श्री हिम्मतसिंहका : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने पान पर बिक्री कर लगाने के अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर कि क्या पान का बेचना उत्पादन उद्योग है, उनके मंत्रालय की राय ली थी ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ;

(ग) क्या दिल्ली में पान पर बिक्री कर लगाने के दिल्ली प्रशासन के प्रस्ताव पर सरकार ने स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कर के प्रवर्तन (लागू करने) की व्यवहारिकता तथा वांछनीयता पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने विधि मंत्रालय की राय इस विषय पर जानने की इच्छा प्रकट की है कि क्या यह कहा जा सकता है कि पान का पत्ता चबाने के लिए "पान" बनाये जाने तक निर्माण की एक प्रक्रिया में से गुजरता है । उन्हें सलाह दी गई थी कि तैयार "पान" निर्माण की एक प्रक्रिया में से गुजरा हुआ नहीं कहा जा सकता ।

(ग) और (घ) इस समय पान का पत्ता बिक्री कर से मुक्त है किन्तु तैयार "पान" मुक्त नहीं है । दिल्ली प्रशासन से पान के पत्ते पर बिक्री कर लगाये जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णित मामले

674. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** **श्री चक्रपाणी :**
श्री प० गोपालन : **श्री गणेश घोष :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उच्च न्यायालयों के समक्ष भारी संख्या में मामले अनिर्णित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या मामलों को निपटाने में विलम्ब के कारणों की जांच करने के लिये सरकार का विचार एक आयोग नियुक्त करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) राज्य प्राधिकारियों को अनेक उपचारीय कदम कार्यान्वित किये जाने के लिये सुझाए गये हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

न्यायपालिका की निष्पक्षता

675. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ई० एम० एस० नम्बुदरीपाद द्वारा हाल में दिये गये उन वक्तव्यों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिनमें उन्होंने न्यायपालिका के कार्य निष्पन्नता तथा निष्पक्षता और संविधान के कुछ उपबन्धों की आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सत्तारूढ़ लोगों के ऐसे वक्तव्यों से जनता के मन में उत्पन्न सन्देहों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह ज्ञात हुआ है कि श्री ई० एम० एस० नम्बुदरीपाद द्वारा दिया गया वक्तव्य केरल उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका का विषय है और 9 फरवरी 1968 को केरल उच्च न्यायालय ने श्री ई० एम० एस० नम्बुदरीपाद को न्यायालय की अवहेलना हेतु दोषी ठहराया ।

(ग) सरकार कोई विशेष कार्यवाही करना जरूरी इसलिये नहीं समझती है क्योंकि वर्तमान कानूनों में पहिले ही उपचारीय कार्यवाही करने की व्यवस्था है ।

राज्यपालों का चुनाव

676. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री, श्री नम्बूदिरिपाद के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की भांति राज्यपालों के चुनाव का उपबंध करने के लिये संविधान में संशोधन करने का समय आ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तित राजनैतिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों पर सविस्तार विचार करने के लिये कोई उच्च शक्ति सम्पन्न विशेष आयोग स्थापित रखने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) सरकार ने इस आशय के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार देखे हैं।

(ख) और (ग) संविधान सभा में विशिष्ठ रूप से इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि क्या राज्यपाल का चुनाव होना चाहिये या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होना चाहिये, अन्ततः यह तय किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होनी चाहिये । सरकार संविधान के वर्तमान उपबन्धों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती है अतः इस प्रश्न पर विचार करने के लिये किसी आयोग के नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं करती ।

समितियाँ/आयोग

677. श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पछले पांच वर्षों में भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने कितने आयोगों और समितियों की नियुक्ति की; और

(ख) क्या इन आयोगों और समितियों ने अपने प्रतिवेदन पूरे कर लिये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 26-7-67 तक 419 आयोगों/समितियों की नियुक्ति हुई थी ।

(ख) अधिकांश समितियों और आयोगों ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं । यह सम्बन्धित प्राधिकारी पर जिन्होंने शेष समितियों और आयोगों की नियुक्ति की है, निर्भर करता है कि

वे तमाम मामलों को ध्यान में रख कर जहां सम्भव हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि निश्चित करें ।

Translation Cells

678. **Shri Tulshidas Jadav :** **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Mnister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the Translation Cells for translating from English into Hindi and vice versa have been opened in the vari ous Departments and Ministeries of the Central Government following the passage of the Offical Languages (Amendment) Bill ;

(b) the names of the Departments in which such an arrangement already exists and the time by which these Cells will be set up in the remaining Department ;

(c) whether necessary funds have been provided for running the Translation Cells during the next financial year ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Instructions in this regard are yet to be issued.

(b) Some nucleus staff already exist in almost all the Ministries and Departments. This will have to be suitably augmented to comply with the provisions of the Official Languages (Amendment) Act, 1967.

(c) Necessary funds will be provided after requirements of additional staff have been assessed in light of instructions being issued.

(d) Does not arise.

Hindi-knowing Employees

679. **Shri Tulshidas Jadhav :** **Shri Vilmiki Choudhary :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number ot employees possessing the working knowledge of Hindi in various offices and Sections of various Ministries and Departments of the Central Government and the percentage of the Branches and Sections in which not even a sigle employee possesses the working knowledge of Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

On the basis of available information, in addition to 183,770 employees who already possessed knowlecge of Hindi following have passed one or more of the Hindi examinations :

Hindi Examinations				1,94,866
Hindi Typewriting	..	..	..	7,194
Hindi Stenography	..	..	..	1,163
		Total	..	2,03,223

Collection of information regarding the Branches and Sections in which not even a single employee possesses the working knowledge ot Hindi will invol ve labour and expediture which may not be commensurate with the results achieved.

Hindi Training Scheme

680. **Shri Tulshidas Jadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of employees in the Central Government offices who have been given training under the Hindi training scheme so far ;

(b) whether after such training they are provided with opportunities to work in Hindi so as to enable them to improve their efficiency in Hindi work ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) The number of employees who have passed one or more Hindi Examinations under the Hindi Teaching Scheme is as follows :

Hindi examinations		..	..	1,94,866
Hindi Typewriting	..	..	..	7,194
Hindi Stenography	..	..	..	1,163
		Total	..	2,03,223

(b) The purpose of imparting this training is not only that Government employees, if they so wish, can work in Hindi but that thy can comprehend what has been written in Hindi by others. Opportunities to enable them to use this knowledge, which have existed so far, would further increase with the implementation of the Provisions of the Official Languages (Amendment) Act, 1967.

(c) Does not arise.

ऊंची शिक्षा-प्राप्त लोगों का विदेशों को जाना

681. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** **श्री हेम बरुआ :**

श्री कं० हाल्दर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊंची शिक्षा-प्राप्त लोग अब भी बराबर विदेशों को जा रहे हैं और अधिकतर इंजीनियर जो विदेशों से नहीं लौटते, बहुत ऊंचे दर्जे के इंजीनियर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद):

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय रजिस्टर से उपलब्ध सूचना के अनुसार उन प्रथम श्रेणी के इंजीनियरिंग स्नातक—जो विदेशों में रह गये और जो अध्ययन के बाद भारत लौट आए—के आंकड़ों में उल्लेखनीय अन्तर नहीं है ।

(ख) वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के भारत लौटने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) विदेश से वापस लौटने वाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजीविदों

को जब तक उन्हें उपयुक्त रोजगार न मिल जाए तब तक अस्थाई रोजगार प्रदान करने के लिए "वैज्ञानिक समूह" की स्थापना ।

(2) विदेश में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजीविदों के नामांकन के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक विशेष खण्ड रखना और उनके नामों की सूचना सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघीय और राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और बड़े-बड़े निजी क्षेत्र के संस्थापकों को भेजना ।

(3) संघीय लोक सेवा आयोग और अधिकतर राज्य लोक सेवा आयोग इस बात से सहमत हो गए हैं कि जिन भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजीविदों के ब्योरे राष्ट्रीय रजिस्टर में दिए गए हैं उन्हें आयोगों द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए "व्यक्तिगत सम्पर्क" उम्मीदवारों के रूप में माना जाए । विदेश में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजीविदों को भारत स्थित पदों के लिए इंटरव्यू करने के लिए भी संघ लोक सेवा आयोग ने प्रबन्ध किए हैं ।

(4) उन वैज्ञानिकों को यात्रा अनुदान की अदायगी की व्यवस्था, जो भारत की अनुसंधान संस्थाओं में नियुक्ति के लिए चुने जाने पर उन संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने का आश्वासन दें ।

(5) सभी अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्या पदों का निर्माण जिन पर विदेश में अध्ययन और कार्य कर रहे वैज्ञानिकों में से तुरन्त संस्थाई नियुक्ति की जा सके ।

निजी थैलियों का समाप्त किया जाना

682. श्री न० कु० साल्वे :
श्री हेम बरुआ :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री हेमराज :
श्री रा० बरुआ :
श्री श्रीधरन :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों को समाप्त करने के प्रश्न पर सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) सरकार का शासकों की निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का विचार है ।

(ख) ब्यौरों के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

दिल्ली में पुलिस संगठन

683. श्री न० कु० साल्वे : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बल को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का एक भाग बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठन को कार्य प्रणाली में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिये हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिजो लोगों द्वारा घात लगा कर हमला किया जाना

684. श्री न० कु० साल्वे : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में आइजल तथा सिलचर के बीच मिजो विद्रोहियों ने सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस कर्मचारियों पर कितनी बार घात लगाकर हमला किया ;

(ख) क्या मिजो आदिम जातीय लोगों को खुले आम हथियार ले जाने की अनुमति है और यदि हां, तो क्या यह भी एक कारण है जिसकी वजह से सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस को घात लगा कर किये जाने वाले हमलों का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 1967 के दौरान मिजो विद्रोहियों ने ऐजल और सिलचर के बीच केन्द्रीय रक्षित पुलिस पर आठ बार छिप कर हमला किया।

(ख) जी नहीं। सभी लाइसेंसधारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने हथियार पुलिस या निकटतम सैनिक चौकी में जमा करा दें और सूचना मिली है कि ऐसा कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास में राष्ट्रीय झन्डे का जलाया जाना

685. श्री न० कु० साल्वे : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1968 को मद्रास में हुई एक ऐसी घटना की ओर दिलाया गया है जिसमें फोर्ट सेन्ट जार्ज के ऊपर लगे झंडे को फाड़ दिया गया था, बताया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

कनकर्ड विमान

686. श्री नम्बियार :
श्री एस्थोस :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री अनिरुद्धन :
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इन्डिया ने कनकर्ड विमानों के आर्डर खारिज करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आर्डर खारिज करने के फलस्वरूप पेशगी दी गई धनराशि एयर इण्डिया को वापस नहीं मिलेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क), (ख) और (ग) : एयर इण्डिया ने कनकर्ड वायुयानों की खरीद के लिए कोई आर्डर नहीं दिये थे, परन्तु ऐसे 2 वायुयानों की 5.00 लाख डालर जमा करके उपलब्धि आरक्षित की थी । एयर इण्डिया द्वारा उपलब्धियों को आरक्षित करने के करार को रद्द करने के लिये अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के गैर-तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल

687. श्री बी० चं० शर्मा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बलराम मधोक :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री नम्बियार :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जनवरी, 1968 को इण्डिया एयरलाइन्स कारपोरेशन के लगभग 2,700 गैर-तकनीकी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ;

(ख) क्या उनकी मांगों पर विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) इस हड़ताल के फलस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हां । इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के 2,179 गैर-तकनीकी कर्मचारियों ने 15. 1. 1968 को हड़ताल की थी।

(ख) और (ग) कर्मचारियों की मांग यह थी कि कार्यालय की सीमाओं के अन्दर बैठक करने पर रोक लगाने के बारे में दिल्ली क्षेत्र के प्रबन्धक-वर्ग द्वारा 13 जनवरी, 1968 को जारी किया गया पत्र वापस लिया जाना चाहिए । प्रबन्धक-वर्ग ने यूनियन के प्रतिनिधियों को उक्त पत्र का सही आशय समझाया । हड़ताल 20. 1. 68 को समाप्त कर दी गई ।

(घ) हड़ताल के परिणामस्वरूप कारपोरेशन को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि कोई सेवाएं रद्द नहीं की गयीं ।

दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में दाखिला

688. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री बलराज मधोक :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री टी० पी० शाह :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में इंजीनियरों की बहुलता के कारण दिल्ली प्रशासन ने कुछ पौलीटेकनिक्स को धीरे-धीरे बन्द करने तथा दिल्ली कालेज आफ़ इंजीनियरिंग में दाखिले पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंजीनियरों की इस बहुलता के कारणों का विश्लेषण किया गया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुन सेन) :

(क) जी नहीं । पंचवर्षीय योजनाओं के लिए तकनीकी कर्मचारियों की मांग के संबन्ध में निश्चित संकेत उपलब्ध होते ही इस सामान्य प्रश्न पर विचार किया जाएगा कि वर्तमान तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का नियमन किस प्रकार किया जाना चाहिए ।

(ख) प्रत्यक्ष रूप में वर्तमान बेरोजगारी उद्योग में अपसरण और चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रायोजनाओं की गति मन्द कर देने के कारण है ।

(ग) उपलब्ध प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की सेवाओं के उपयोग के तरीकों और साधनों पर विचार किया जा रहा है ।

हवाई अड्डों का विस्तार

689. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री अंबुचेजियान :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रानेन सेन :
श्री बेदब्रत बरुआ :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डा विस्तार पेनल ने देश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विस्तार के बारे में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) जी, नहीं । समिति की अन्तरिम परपोर्ट के मार्च, 1968 में प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

छात्रों को नागरिक-रक्षा का प्रशिक्षण

690. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों के लिए नागरिक-रक्षा का प्रशिक्षण अनिवार्य करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप दिया जायेगा ; और

(ग) क्या इसे सभी राज्यों के छात्रों पर लागू किया जायेगा तथा यह प्रशिक्षण स्कूल अथवा कालेज के किस स्तर से अनिवार्य किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) ;

(क) से (ग) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय सेवा की योजना तैयार की जा रही है । योजना में सिविल रक्षा प्रशिक्षण को एक ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है ।

खाद्य समितियों को शक्तियां प्रदान करने के लिये केरल विधेयक

691. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री राने :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार कुछ खाद्य समितियों को शक्तियां प्रदान करने के लिये विधेयक को पास करने जा रही है यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने इस विधान की स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हां, श्रीमान् । केरल सरकार ने बताया है कि राज्य विधान सभा की अगली बैठक में केरल सिविल सप्लाइज पोपुलर कमेटीज बिल पुरः स्थापना से पूर्व प्रकाशित किया गया है ।

(ख) राज्य सरकार के इस निर्णय पर भारत सरकार को खेद है तथापि वह आगामी परिणामों की प्रतीक्षा करना उचित समझेगी ।

भारत तथा लेटिन अमरीका के देशों के बीच नौवहन सेवा

692. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और लेटिन अमरीका के देशों के बीच निकट भविष्य में नौवहन सेवा चालू की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) फिलहाल भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच सीधी नौवहन सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

New Delhi Institute for the Blind

693. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that inmates of a New Delhi Institute, for the Blind were severely beaten up recently ;

(b) whether it is also a fact that they were neither given food for three days nor taken to hospital for treatment after they were injured by beating ; and

(c) if so, the full account of the incident and the action taken by Government against the guilty persons ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT 109/68]**

होटल विकास ऋण

694. श्री बे० कृ० दासचौधरी : श्री रा० बरुआ :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय होटलों को दिये जाने के लिये होटल विकास ऋणों की शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो शर्तों को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) होटलों के लिये ऋण स्वीकृत करने की शर्तें तै कर ली गयी हैं । नियम जल्दी ही जारी कर दिये जायेंगे ।

विमानों में भोजन व्यवस्था

695. श्री क० लकप्पा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विमानों में भोजन व्यवस्था में सुधार करने के लिये उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

विमानों में खान-पान व्यवस्था में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

इंडियन एयरलाइन्स :

कारपोरेशन ने भोजन के प्रकार पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 6 अनुभवी खान-पान अधिकारियों (केटरिंग आफीसर्स) की नियुक्ति की है । उन्हें इस लाइन में आने विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शाकाहारी भोजन तैयार करने में सलाह देने के लिए एक खान-पान विशेषज्ञ की सेवाएं भी इस्तेमाल की जा रही हैं।

एयर इंडिया :

विमानों में ले जाने वाले वाले खानों के प्रकार (क्वालिटी) को अधिक अच्छा बनाने की दृष्टि से बम्बई और दिल्ली से बाहर जाने वाले विमानों के लिए खान-पान सामग्री की सप्लाई के लिये नये टेन्डर मांगे जा रहे हैं ।

खान-पान प्रबन्ध विषयक योग्यता संपन्न अधिकारी भर्ती किये गये हैं। ये अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण करते हैं तथा खाने तैयार करने के बारे में सलाह भी देते हैं । विलायती खाने में सुधार करने के लिये एक विदेशी खान-पान विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का भी विचार है । भारतीय हवाई अड्डों पर नियुक्त खान-पान अधिकारियों को खान-पान संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

House Collapse in Delhi

696. **Shri Sharda Nand :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Municipal Corporation and the Delhi Administration have taken a final decision in regard to the report submitted on the 31st May, 1967 by the Commission appointed to enquire into the serious incident of a house collapse in Mahalla Dharampura, Delhi ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether any compensation has been paid to the dependents of the deceased persons on the basis of the report of the Commission ; and

(d) if not, the reasons for the delay in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) The final decision on the report of the Commission is to be taken by the Delhi Administration, which is awaiting the views of the Delhi Municipal Corporation on the re-commendations made by the Commission.

(c) The Commission did not suggest the payment of any compensation to the dependents of the deceased persons.

(d) Does not arise.

"इंडियन एग्जामिनर" नामक पुस्तक

697. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में काकिनाडा के पादरी ने 'इंडियन एग्जामिनर' नामक पुस्तक प्रकाशित की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त पुस्तक में ऐसे कई अंश हैं जो हिन्दुओं की

भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिये लिखे गये हैं और उसमें एक स्थान पर लिखा गया है कि "कुछ छोटी कन्याओं को छोड़कर हिन्दू धर्म में कोई कुमारी कन्या नहीं है" ; और

(ग) क्या सरकार का इसे अवैध घोषित करने तथा लेखक के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) : आंध्र प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है । यथा समय सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में अपराध संबन्धी स्थिति

698. **श्री सीताराम केसरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अपराध सम्बन्धी स्थिति बड़ी गम्भीर हो गई है और इससे नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है, वे अपराध जो लगभग प्रत्येक दिन होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में इनका कोई पता नहीं लग पाता ।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति की जांच करने और पुलिस बल को अधिक शक्तिशाली बनाने के बारे में विचार किया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि अपराधों का प्रभावी ढंग से पता लगाने में अपराधियों को मिलने वाला राजनैतिक संरक्षण बाधक रहा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं श्रीमान् । राजधानी में अपराधों के विभिन्न मदों में, स्थानीय और विशेष नियमों के अधीन मामलों को छोड़कर कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे पुलिस की ओर से बढ़ी हुई सतर्कता का पता चलता है ।

(ख) 1967 के दौरान दिल्ली पुलिस में दर्ज कराये गये भारतीय दंड संहिता के 17422 मामलों में से अभी तक 8389 मामलों का पता नहीं लगा था ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा अपराध स्थिति पर लगातार पुनर्विचार किया जाता रहा है और समय-समय पर नियन्त्रण करने के लिये उचित उपचारीय उपाय अपनाये गए हैं । हाल ही में दिल्ली पुलिस को अपराध की खोज के लिये उत्तम संचार सुविधाएं और वैज्ञानिक सहायता दे कर, आधुनिकतम बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

(घ) सरकार की दृष्टि में ऐसी कोई घटना नहीं आई है ।

बीटल वृन्द तथा हिप्पी वृन्द

699. **श्री सीताराम केसरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ सप्ताह में कई बीटल तथा हिप्पी लोग देश में आए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय युवकों/युवतियों पर बीटलों के प्रभाव की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने भारतीय युवकों / युवतियों द्वारा बीटलों के तौर-तरीके अपनाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सच है कि बीटलों तथा हिप्पियों की समाज-विरोधी गतिविधियों के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) हाल के महीनों में अप्रचलित पोशाक और वर्ताव वाले कुछ विदेशी लोग भारत में आ रहे हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : कभी-कभी दुर्व्यवहार की शिकायतें आई हैं । कानून भङ्ग करने के भी कुछ विशिष्ट मामले हैं । इस प्रकार के सभी मामलों में उचित कार्यवाही की गई थी । कानून के अधीन की गई कार्यवाही के अतिरिक्त, अनुचित कार्यवाहियों के विरुद्ध सतर्कता को बढ़ाया गया है ।

हायर सेकन्डरी तक निःशुल्क शिक्षा

700. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री सिद्धय्या :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य करने तथा उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करने की सरकार की योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी और यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) सरकार की योजना है कि सबसे पहले 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा शुरू की जाये । उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में उच्च / उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है :—

आन्ध्र प्रदेश (केवल लड़कियों के लिये)
जम्मू और काश्मीर
केरल (केवल मुसलमान लड़कियों के लिये)
मध्य प्रदेश (केवल लड़कियों के लिए)
मद्रास
मैसूर
उड़ीसा (केवल लड़कियों के लिए)
उत्तर प्रदेश (केवल लड़कियों के लिये)

(ख) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का संबंध मूलतः राज्य सरकारों से है। फिर भी यदि राज्य योजना में इस योजना को शामिल किया जाता है तो उपलब्ध केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाया जा सकता है।

पैसिफिक एरिया ट्रैरिस्ट एसोसियेशन द्वारा पर्यटन के लिए सर्वेक्षण

701. श्री सीताराम केसरी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री काशीनाथ पाण्डे :
श्री जो० ना० हजारिका :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैसिफिक एरिया टूरिस्ट एसोसियेशन द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि प्रतिकूल दशाओं के कारण भारत में अमरीकी पर्यटक काफी संख्या में नहीं आयेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण में उल्लिखित बाधाओं को दूर करने तथा पर्यटकों के मन पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) पर्यटन विभाग इस समय सर्वेक्षण के परिणामों की जाँच कर रहा है और राज्य सरकारों, एवं यात्रा व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के निकट सहयोग से उचित सुधार करने के लिए कदम उठाने का इरादा रखता है।

National Highways in M. P.

702. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to widen the National Highways in Madhya Pradesh and to make them smooth ;

(b) whether it is a fact that the bad condition of roads results in less traffic and

(c) if so, the steps taken to improve them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) :

(a) Out of a total length of 1669 miles of National Highways in Madhya Pradesh, about 130 miles have already been widened to two-lane width. The draft Fourth Plan contemplated the widening of an additional length of 438 miles of the pavement of N.H. No. 3 (Agra-Bombay road) and N. H. no. 6 (Dhulia-Nagpur-Calcutta road) to two-lane width and the strengthening of the Pavement of 249 miles of N. H. No.3 and N. H. No. 25 (Lucknow-Kanpur-Jhansi-Shivpuri road) to provide a smooth surface. The question of taking up the works will be considered, as soon as the Plan is finalised and funds are provided.

(b) and (c) Bad condition of roads will certainly result in the slow movement of traffic. All defects are normally set right, when carrying out maintenance and repairs of the roads.

राज भाषा विधेयक

703. श्री भोगेन्द्र झा : श्री शारदा नन्द :
श्री कं० हाल्दर : श्री गु० सि० ढिल्लो :
श्री म० स्व० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये अंग्रेजी तथा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को अनुदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आवश्यक प्रशासनिक निर्देश तैयार किये जा रहे हैं ।

केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में विचार गोष्ठी

704. श्री हिम्मतसिंहका : श्री हाल्दर :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय समाज विज्ञान स्कूल द्वारा प्रायोजित तथा जनवरी, 1968 के मध्य में त्रिवेन्द्रम केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में हुई दो दिन की विचार गोष्ठी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में क्या-क्या विचार व्यक्त किये गये, क्या-क्या सुझाव दिये गये तथा क्या-क्या निर्णय किये गये और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) गोष्ठी के सम्बंध में सरकार ने समाचार पत्रों में पढ़ा है । केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित मामलों पर प्रशासनिक सुधार आयोग अध्ययन कर रहा है ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम

705. श्री हिम्मतसिंहका : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 से लेकर आज तक गत आठ महीनों में दिल्ली परिवहन उपक्रम को प्रतिमास 1 लाख रुपये से अधिक का घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे लाभदायक उपक्रम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) अप्रैल 1967 से गत आठ महीनों में दिल्ली परिवहन संस्थान की राजस्व प्राप्तियां और उस द्वारा की गयी अदायगियां नीचे दी जा रही है :—

प्राप्तियाँ	...	418.65 लाख रु०
अदायगियां	....	402.18 लाख रु०

परन्तु उक्त अदायगियों में संस्थान की 1967-68 की ऋण पुर्नभुगतान तथा देयतायें, जो 129.94 लाख रु० होती है और जिसका प्रभार राजस्व खाते में आता है, और अन्य समंजन भी जो खातों के अंतिम रूप से बन्द करने पर किया जाता है, शामिल नहीं है।

(ख) वर्तमान स्थिति के निम्न कारण हैं :–

(1) पेट्रौल की वस्तुओं, फालतू पुर्जों, इत्यादि के उत्पादन शुल्क और कर में वृद्धि के फलस्वरूप परिचालन लागत में वृद्धि।

(2) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप वेतन मानों का पुनरीक्षण और उसके बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि।

(3) राज्य सरकारों द्वारा सड़क-कर में वृद्धि।

(4) मई 1964 के बाद किराये में तदनुकूल वृद्धि का न होना।

(ग) अगामी वित्तीय वर्ष से इस संस्थान का सीमित पैमाने पर एक्सप्रेस सेवायें चलने का प्रस्ताव है जिसमें 5 पैसे अधिभार प्रति टिकट प्रति यात्री लिया जायेगा। इस स्त्रोत से होने वाली आय का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है ;

छोटे तथा मध्यवर्ती पत्तनों के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन

706. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री गणेश घोष : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में छोटे तथा मध्यवर्ती पत्तनों के विकास के लिये, राज्य–वार कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई थी ; और

(ख) प्रत्येक राज्य ने योजना-वार, कितनी राशि का उपयोग किया था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

Free and Compulsory Primary Education in States

707. **Shri Sheopujan Shastri:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of State Governments which have made primary education free and compulsory in their respective States ;

(b) the number of States which have not done this so far ; and

(c) the time by which primary education would be made free and compulsory by them ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) to (c) All State Governments have made Primary Education free, except that West Bengal has not been able to extend fee primary education to all its urban areas.

As regards compulsory primary education, most State Governments have enacted legislation for it.

भुवनेश्वर में मन्दिरों तथा स्मारकों का विकास

708. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में भाग दो योजनाओं के अधीन मंदिरों तथा स्मारकों के विकास तथा सुधार की योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं का कुल अनुमानित व्यय क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को लागू करने के लिये अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) कार्यान्वित किये जाने में यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (घ) : भुवनेश्वर के मन्दिरों के चारों ओर किये जाने वाले सुधारों के ब्यौरे की राज्य सरकार से प्रतिक्षा की जा रही है। ब्यौरे के उपलब्ध होने पर ही निधियों का नियतन और योजनाओं का कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

उदयगिरि तथा रत्नागिरि पर्यटन क्षेत्र का विकास

709. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में उदयगिरि, रत्नगिरि पर्यटन-क्षेत्र के विकास के लिये योजनायें लागू की जा चुकी हैं जिससे अधिक पर्यटकों के लिए ये आकर्षण केन्द्र बन सकें;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितनी राशि व्यय की गई है : और

(ग) विकास संबंधी इन योजनाओं के लिये योजनावार अनुमानित व्यय क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (ग) उदयगिरि और रत्नगिरि कॉम्प्लेक्स के पर्यटन विषयक विकास के लिए योजना-वार ब्यौरों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है। पर्यटन योजना के भाग II के अन्तर्गत अस्थायी रूप से 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

कोणार्क में पर्यटक सुविधायें

710. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कोणार्क में पर्यटन संबन्धी सुविधाओं के एकीकृत विकास के लिए केन्द्रीय योजनाओं के भाग एक का ब्यौरा क्या है :

(ख) इसका अनुमानित व्यय क्या है ;

(ग) क्या इन योनाजओं के अन्तर्गत कोई कार्य आरम्भ भी हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा काम में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मत्री (ड० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) कोणार्क में पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए समेकित आयोजना के ब्योरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, और इस कार्य के किये जाने के बाद ही निधि की व्यवस्था की जायगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भुवनेश्वर का हवाई अड्डा

711. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डे में हाल में एक नये धावन पथ (रनवे) का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना व्यय हुआ ; और

(ग) क्या यह नया धावन-पथ डकोटा विमानों अथवा अन्य बड़े विमानों के उतरने के लिये बनाया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) जी, नहीं । मौजूदा धावन-पथों (रनवेज़) में से एक को 15.42 लाख रुपये की लागत से और अधिक मजबूत बनाया गया है ।

(ग) मज़बूत बनाया गया धावन-पथ वाईकाउण्ट और उसी प्रकार के वायुयानों के परिचालनों के लिए उपयुक्त है ।

विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति

712. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में विदेशों में अध्ययन के लिए शिक्षा मंत्रालय ने उड़ीसा में छात्रों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां दीं, और

(ख) इन दो वर्षों में इन छात्रवृत्तियों पर सरकार की कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) :

(क)

वर्ष	दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या
1966–67	4
1967-68	7

(ख) 1966-67 कोई नहीं
1967-68 कोई नहीं

कोचीन पत्तन

713. श्री एस्थोस : श्री श्रीधरन :
श्री अ० का० गोपालन : श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन पत्तन में रेत जमा हो जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोचीन पत्तन में क्या त्रुटियां पायी गई हैं ;

(ग) क्या सरकार का इन त्रुटियों को दूर करने का कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का ये त्रुटियां कब तक दूर किये जाने की आशा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हां ।

(ख) अपर्याप्त निकर्षक बेड़े के कारण कोचीन पत्तन अधिकारी कुछ समय से आन्तारिक जल मार्ग और घाटों में आवश्यक निकर्षण नहीं कर सके । 2

(ग) उपचारी उपाय किये जा रहे हैं । "लेडी विलिंगडन" निकर्षक से 1 घंटे की दो पारियों में आन्तरिक जल मार्ग को 4-9-67 से चार महीने तक के लिये लिया गया । गंगा नाम का एक पुराना निकर्षक अभी हाल ही में कोचीन पत्तन ट्रस्ट ने कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों से लिया है । एक नये चूषण निकर्षक और एक मेरे हापर लेने के लिये टेंडर प्राप्त हो गये हैं और पत्तन ट्रस्ट उनकी जांच कर रहा है । पत्तन ट्रस्ट एक नये बकेट ड्रेजर के लिये विशिष्टियां तैयार कर रहा है ।

(घ) आशा की जाती है कि गंगा ड्रेजर के और प्रस्तावित नये निकर्षक जलयान के प्राप्त होने पर पत्तन अधिकारी अपने निकर्षण कार्य को कर सकेंगे और मिट्टी भरने की समस्या को हल कर सकेंगे । परंतु इसके लिये ठीक-ठीक समय बताना कठिन है कि ये दोष कब तक पूरी तरह से दूर कर दिये जायेंगे ।

गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल

714. श्री एस्थोस : श्री अब्राहम :
श्री अनिरुद्धन : श्री भगवान दास :
श्री रमानी :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल के बारे में 13 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(ख) यदि हां; तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) जी हां । अभी हाल ही में राज्य मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का विचार मालूम हो गया था और उन विचारों के प्रकाश में मामले की आगे परीक्षा की जा रही है।

Samyukta Sadachar Samiti

715. **Dr. Surya Prakash Puri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 1963, the then Home Minister, had constituted a Samyukta Sadachar Samiti under his Chairmanship with a view to rooting out corruption within a period of two years :

(b) the progress made by the said Samiti so far, the expenditure incurred thereon and the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that the office of this Samiti which is situtated in 'M'Block, New Delhi has been locked by two different groups and the matter is sub-judice ; and

(d) if so, the cause of the dispute and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) to (d) The Samyukta Sadachar Samiti is a non-Government body whose activities and affairs do not come within the purview of the Government.

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक

717. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष में भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों का उतना स्वागत नहीं किया गया जितनी कि उन्हें आशा थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लास एंजिल्स के मिस्टर हेनरी एस० रासमुस्सन ने यह सलाह दी है कि उसके देश के पर्यटकों को, उनको हुई परेशानी को ध्यान में रखते हुये, भारत नहीं जाना चाहिये और जर्मनी के एक दूसरे पर्यटक ने, जो पेंटर था, कहा था कि भारत के लोग खतरनाक हैं; और

(ग) यदि हां, तो शिकायत के क्या कारण थे और विदेशी पर्यटकों के लिये वस्तुतः एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) :

(क) पर्यटकों के साथ हर समय शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु वे बहुत से विभिन्न प्रकार के लोगों के सम्पर्क में आते हैं और यह संभव है कि उनमें से किन्हीं को व्यक्ति रूप से कभी किसी अशिष्ट व्यवहार का सामना करना पड़ा हो ।

(ख) समय-समय पर शिकायतें आई हैं और इनकी जांच की जाती है, परन्तु विशिष्ट रूप से उल्लिखित शिकायतों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु हर शिकायत के मुकाबले में कितने ही अधिक सराहना भरे भावों की अभिव्यक्ति हुई है उस सौहार्द-पूर्ण आतिथ्य के लिये जो पर्यटकों को भारत में मिला तथा उस विविध प्रकार के प्राकृतिक एवं स्मारकीय सौंदर्य के लिये जिसके उन्होंने यहां दर्शन किये ।

(ग) इन शिकायतों के निरपेक्ष रूप से, पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं को और उन्नत बनाने तथा आम लोगों को यह समझाने का कि विदेशी यात्रियों की देखभाल में रुचि लेना हम में से हर व्यक्ति के लिये कितना आवश्यक है एक निरंतर प्रयत्न किया जा रहा है । वास्तव में 1967 में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष समारोहों के मनाने का यह भी एक मुख्य उद्देश्य था ।

केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर

718. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर से ग्राहकों को अब तक कोई लाभ नहीं होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि या तो उनमें प्रायः अत्यावश्यक वस्तुएं होती ही नहीं और यदि होती हैं तो उनके मूल्य गैर-सरकारी बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं के मूल्यों से अधिक होते हैं; और

(ग) क्या उन्हें सुव्यवस्थित करने की कोई योजना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी द्वारा संचालित विभिन्न स्टोर उपयोगी सेवा कर रहे हैं । यह कहना कि ग्राहकों को स्टोरों से अब लाभ नहीं हो रहा है युक्तियुक्त नहीं है ।

(ग) हाल में सोसाइटी और स्टोर के संचालन का सर्वेक्षण करने के लिये व्यवस्था की गई है ताकि इसमें जिन सुधारों की आवश्यकता हो, की जा सके ।

दिल्ली में स्कूलों के लिये स्थान

719. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में टेंटों में कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या भवनों में चलाये जाने वाले स्कूलों की कुछ कक्षायें टेंटों में भी लगती हैं तथा इन टेंटों में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं होती है और इनके छोटी कक्षाओं के 10 से 12 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को बिठाया जाता है ; और

(ग) टेंटों में लगने वाले स्कूलों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही

की जा रही है तथा इन स्कूलों के लिये भवनों की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

अमरीकी पर्यटक

720. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी पर्यटक भारत में आना पसन्द नहीं करते ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारणों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पिछले छः महीनों में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । यह समाचार पी० ए० टी० ए० (पैसिफिक एरिया ट्रेवल एसोसियेशन) द्वारा हाल में प्रकाशित किये गये एक सर्वेक्षण में दिया गया है।

(ख) पर्यटन विभाग इस समय सर्वेक्षण के परिणामों की जांच कर रहा है और वह राज्य सरकारों एवं यात्रा-व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के निकट सहयोग से उचित सुधार करने के लिये प्रभावी उपाय प्रयोग में लाने का इरादा रखता है ।

(ग) और अधिक अच्छी सुविधायें प्रदान करने की अपनी नीति के अंग के रूप में सरकार स्वागत प्रबंधों में सुधार करने, परिवहन व होटल आवास की और अधिक अच्छी व्यवस्था करने तथा प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्वों को कम से कम कर देने के लिये समय-समय पर कदम उठाती रही है ।

विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

721. श्री श्रीचन्द गोयल : श्री श्रद्धाकर सुपकार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्ति गिरफ्तार/नजरबन्द किये गये ?

गृह--कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो केन्द्र अथवा राज्य सरकारों को बिना अभियोग चलाये किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने का अधिकार देता हो । इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

केरल के लिए ड्रेजर

722. श्री चक्रपाणि : श्री अ० कु० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने इस्तेमाल के लिये एक ड्रेजर दिये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) भारत सरकार केरल को कब तक ड्रेजर भेज देगी;

(घ) क्या केरल सरकार ने मांग की है कि ड्रेजर उनको ही दे दिया जाये ; और

(ङ) ऐसे अन्य कौन से राज्य हैं जिनके पास अपने ड्रेजर हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) : लघु पत्तनों की आवश्यकता पूर्ति के लिये भारत सरकार ने दो कटर सेकशन ड्रेजर का बेड़ा प्राप्त कर लिया है । उनका व्यवहार निकर्षित सामग्री के निस्सरण के लिये सहायक उपस्करों जैसे पाइपलाइन और, या हापर बारजे की उपलब्धता पर निर्भर करता है । पाइपलाइन के पहले सेट के सितम्बर 1968 तक प्राप्त हो जाने की आशा है और दूसरे की जनवरी, 1969 तक । बारजों के 1968 के उतरार्ध में प्राप्त होने की आशा है। सहायक उपस्कर प्राप्त हो जाने के बाद ही केरल सरकार की प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जिन सागर गामी निकर्षकों को प्राप्त करने का प्रस्ताव केरल सरकार ने किया है उस प्रकार के निकर्षक किसी राज्य सरकार के पास फिलहाल नहीं हैं । फिर भी आंध्र प्रदेश, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर की राज्य सरकारों के पास छोटे निकर्षक हैं जो पत्तन में आन्तरिक निकर्षण करने के योग्य हैं।

नौवहन के लिये धनराशि

723. श्री अब्राहम : श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन : श्री राममूर्ति :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नौवहन के लिये रखी गई कुल राशि में से योजना के अन्त में कितनी राशि व्यय नहीं की गई थी ; और

(ख) क्या सरकार ने तीसरी पंच वर्षीय योजना के बाद इस राशि को अगले वर्षों में व्यय करने की अनुमति दी है ;

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) यद्यपि नौवहन टन भार के विस्तार के लिये तीसरी योजना में

51 करोड़ रुपये का आवंटन सोचा गया था किन्तु योजना के पांच वर्षों में बजट व्यवस्था 36.86 करोड़ रुपये की ही की गई और यह समस्त राशि पोत प्राप्त करने के लिये नौवहन विकास निधि समिति को ऋण में देकर खर्च कर दी गई । अतः बाद के वर्षों में अव्यय अधिशेष आगे ले जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

कालीकट हवाई अड्डा

724. **श्री अब्राहम :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री सुशीला गोपालन :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के मुख्य मन्त्री ने केन्द्र सरकार से कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण के लिये शीघ्र मन्जूरी देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस के कब तक निर्मित होने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) साधनों की विषम अवस्था को दृष्टि में रखते हुए उपलब्ध निधियों को प्राथमिकता के क्रम से विभिन्न हवाई अड्डा प्रायोजनाओं के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है । प्राथमिकताओं का कार्य अब एक हवाई अड्डा आयोजना दल द्वारा किया जा रहा है जो कि इस प्रयोजन के लिये इस मन्त्रालय द्वारा स्थापित किया गया है । इस दल की रिपोर्ट के आधार पर, कालीकट को कौन सी प्राथमिकता दी जाय, इसके बारे में निर्णय शीघ्र किये जाने की सम्भावना है । यह आशा है कि कालीकट को उचित प्राथमिकता मिलेगी ।

केरल में पत्तनों का विकास

725. **श्री प० गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने उस राशि का, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पत्तनों के विकास के लिये नियत की गई थी और जो खर्च नहीं की गई है, उपयोग आगे के वर्षों में करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इसके लिये आवश्यक मन्जूरी दे दी है ; और

(ग) केरल सरकार को आगे के वर्षों में उपयोग करने के लिये कितनी राशि उपलब्ध होगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में केरल में

लघुपत्तनों के विकास के लिये स्वीकृत उद्व्यय 155.65 लाख रुपये था। इसके विपरीत तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य सरकार को 70.44 लाख रुपप की राशि ऋण के दिये गये थे और 85.21 लाख रुपये रह गए थे। केरल सरकार ने रुके हुये निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये 156,93 लाख रुपये की राशि मांगी जो इन निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित प्राक्कलित लागत पर आधारित थी। चूंकि राज्य सरकारों को ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता पहले दिये हुये वचनों तक ही सीमित रहती है अतः केरल की सरकार छूटे हुये निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिये 85.21 लाख रुपये के अधिशेष की ही हकदार है। इसमें से 1966-67 में राज्य सरकार को 25.00 लाख रुपये दिये गए थे। शेष 60.25 लाख रुपये राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 1967-68 और 1968-69 में धन के उपलब्ध होने और व्यय की प्रगति पर उपलब्ध होंगे।

Congress Session Held at Hyderabad

726. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a large number of facilities had been provided by Government for the 71st Congress Session held recently at Hyderabad ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the total expenditure incurred by Government thereon ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

(a) to (c) Facts are being ascertained from the State Government.

Re-Employment of Retired Officers

727. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the top most officers are re-employed,after their retirement, whereas the number of other lower rank officers who are re-employed after retirement is very small ;

(b) whether it is also a fact that this causes great resentment among the employees ;

(c) if so, whether Government propose to consider the proposal of keeping no officer in service after he has attained the age of 53 years; and

(d) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Under the existing instructions, no proposal for extension/re-employment beyond the age of superannuation should ordinarily be considered. Extension /re-employment may be given only in exceptional circumstances,and in any event not beyond the age of60 in respect of non-technical/non-scientific posts and not beyond the age of 62in the case of scientific/technical personnel. The over-riding consideration in granting extension/re-employment is that it must be clearly in the public interest. One of the following two condititions has also to be satisfied to bring a case within the ambit of public interest justifying extension/re-employment—(i) that other officers are not ripe enough to take over the job, or (ii) that the retiring officer is of out-standing merit.

Having regard to the fact that the uumber of officers occupying high positions is small as compared to the number of officers at lower levels, the ratio of number of officers in high positions who are re-employed to their total number could be higher than that in the case of officers of lower levels.

(b) to (d) Do not arise.

Theft of Oil From Jawahar Jyoti

728. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some workers have been apprehended while stealing oil from Jwahar Jyoti in Teen Murti New Delhi; and

(b) if so, the action taken by Government against them and the names of the officials thus apprehended ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No Sir. However, two workers posted at Teen Murti House, on daily wages, were arrested on the night between 9/10- 1- 1968, near Teen Murti Lane when they were found in possession of a tin of mustard oil.

(b) As the workers failed to produce any proof of ownership of the tin of oil, a criminal case u/s 379/411 I. P. C. has been registered against them and is under investigation.

यूरी मोडिन का वक्तव्य

729. **श्री देवकीनंदन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथे आम चुनाव में हस्तक्षेप करने में नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के एक भूतपूर्व कर्मचारी श्री यूरी मोडिन का सम्बन्ध पता लगाने के हेतु उसके वक्तव्य की प्रति प्राप्त करने में सफल हो गई है ;

(ख) क्या चौथे आम चुनाव में रूस के हस्तक्षेप के आरोपों की जांच पूरी हो गई है ; और

(ग) क्या सरकार जांच–प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) श्री यूरी मोडिन द्वारा दिये गये वक्तव्य का सरकार को पता नहीं है ।

(ख) पिछले आम चुनावों और अन्य प्रयोजनों के लिये विदेशी पूँजी के प्रयोग के बारे में गुप्तवार्ता विभाग का प्रतिवेदन अभी परीक्षाधीन है ।

(ग) यह प्रतिवेदन एक गुप्त दस्तावेज है और सदन के सभा-पटल पर नहीं रखा जायगा ।

भारत के साम्यवादी दल के लिये विदेशी निधियां

730. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इन्डियन एक्सप्रेस' दिनांक 11 दिसम्बर, 1967 में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय साम्यवादी दल का

एक वर्ग 'अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही निधि, के अन्तर्गत साम्यवादी चीन से तथा अन्य साम्यवादी देशों से उदारता से सहायता प्राप्त करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी पूंजी का बड़ा भाग दल द्वारा तोड़-फोड़ की और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिये खर्च किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण):

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) सरकार के पास इस विषय में जो सूचनायें उपलब्ध हैं वे इस प्रकार की हैं कि उन्हें प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा ।

केरल में 'गोपाल सेना'

731. **श्री वेवकीनंदन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साम्यवादी दल की मार्क्सवादी शाखा ने केरल में 'गोपाल सेना' बनाई है जो, सेना की तरह की एक संस्था है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मालावार विशेष पुलिस सेना के भूतपूर्व कर्मचारी इन स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने के लिये लगाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण):

(क) साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने करल में एक स्वयं सेवक दल की स्थापना की है । सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इसे 'गोपाल सेना' कहते हैं ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

Bridge over Ganga at Patna

732. **Shri Mrityunjya Prasad :** **Shri K. H. Madhukar :**

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1505 on the 6th June, 1967 and state the progress since made in regard to the scheme for the construction of a permanent or temporary pontoon bridge over the river Ganga near Patna ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) :

As already stated in the reply given to Unstarred Question no. 1505 on the 6th June, 1967 in the Lok Sabha, the Government of Bihar are primarily concerned with the construction of a road bridge over the Ganga near Patna, as it would fall on a State road, it is, however, understood that recently they have received a report on the investigation arranged by them for the selection of a suitable site for the bridge and are examining that report.

जयन्ती शिपिंग कंपनी

733. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री 30 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा० धर्म तेजा, उनकी धर्मपत्नी तथा अन्य संबन्धियों द्वारा लिए गए जयन्ती शिपिंग कम्पनी के शेयरों तथा उनका भुगतान किस प्रकार किया गया इस संबन्ध में की जा रही जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) जाँच अभी जारी है और कुछ कानूनी बातें इससे संबद्ध हैं। अतः अब तक कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना संभव न हो सका ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लीसा हाब्स लिखित 'इन्डिया, इंडिया'

735. **श्री जार्ज फरनेन्डीज:** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लीसा हाब्स द्वारा लिखित 'इंडिया, इंडिया'' नामक पुस्तक पर, जो मेसर्स मिग्रोन्हिल द्वारा प्रकाशित की गई हैं, अधिकारियों द्वारा भारत में बिक्री के लिये पाबन्दी लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पुस्तकों की बिक्री पर पाबन्दी लगाने के पीछे क्या सिद्धान्त हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) भारत सरकार ने अभी तक, लीसा हाब्स द्वारा लिखित 'इंडिया, इंडिया' नामक पुस्तक पर पाबन्दी लगाने वाले कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यदि यह दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-क या नवयुवक (हानिकारक प्रकाशन) अधिनियम, 1956 में दी गई व्यवस्थाओं को प्रभावित करे तो पुस्तक की बिक्री पर पाबन्दी लगाई जा सकती है।

रूरकेला में हुई गड़बड़

736. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 और 14 जनवरी, 1968 को हुई घटनाओं के फलस्वरूप 14-1-68 को रूरकेला में दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था ;

(ग) क्या ये घटनायें एक स्थानीय पत्रिका में छपे लेख के परिणामस्वरूप हुई बताई जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को दंड देने तथा इन घटनाओं को पुनः न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) इस आन्दोलन का कारण कलकत्ता के 'देश' नामक के बंगला साप्ताहिक में प्रकाशित एक लेख था।

(घ) सामान्य स्थिति लाने के लिये असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण कर लिया गया और शान्ति समितियां स्थापित की गईं ।

दरभंगा जिले में स्थानों का विकास

737. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के दरभंगा जिले में कमसाल स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट अहिल्याशन और निकट ही गौतम कुन्ड पर वर्ष में कई बार लोग बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन दो स्थानों का विकास पर्यटन केन्द्रों के रूप में करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग) पर्यटन विभाग के सामने अहिल्याशन और गौतम कुन्ड का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ; और न ही उपलब्ध धन-राशियों के सीमित होने के कारण इस समय इन स्थानों के विकास-कार्य को पर्यटन योजना में सम्मिलित करना संभव हो सकेगा ।

बिस्फी का विकास

738. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13वीं शताब्दी के मैथली कवि, विद्यापति, के जन्म स्थान बिस्फी और विश्व के सबसे प्राचीन दार्शनिकों में से एक दार्शनिक, याज्ञवल्क्य के ऐतिहासिक निवास स्थान नगबान जो कि बिहार के दरभंगा जिले के कमतौल रेल्वे स्टेशन के निकट बिस्फी खण्ड में है, के निकट के विकास के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुमारी जनेवा राचेवस्की

739. **श्री भोगेन्द्र झा :** श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी उद्भव की अमरीका राष्ट्रीयता वाली कुमारी जनैदा राचेवस्की को नवम्बर, 1967 के तीसरे सप्ताह में दार्जिलिंग छोड़ने का आदेश दिया गया था परन्तु उनकी प्रार्थना पर उनको भारत में और समय तक रहने की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वह दार्जिलिंग से गायब हो गई थी और उसका पता लगाने के लिये आदेश दिये गए थे और फिर वह मद्रास में मिल गई थी;

(घ) क्या वह किसी अंग्रेज के साथ थी और यदि हाँ, तो उस अंग्रेज की ठीक पहचान क्या है ; और

(ङ) क्या भारत में रहने के समय उसकी गतिविधियों का पता सरकार ने लगाया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ) राजकुमारी जनैदा राचेवस्की से 15 नवम्बर, 1967 से पूर्व भारत छोड़ देने को कहा गया था किन्तु बाद में स्थानीय अधिकारियों द्वारा दार्जिलिंग में 31 दिसम्बर, 1967 तक रहने की अनुमति दे दी गई ताकि वे जाने की व्यवस्था कर सके । वे दार्जिलिंग से एक अंग्रेज, मिस्टर वूड के साथ मद्रास को रवाना हुई जहाँ से 8 जनवरी, 1968 को वे भारत से चली गईं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि वे अवांछनीय गतिविधियों में ग्रस्त थीं।

डालरों पर अमरीकी प्रतिबन्धों का पर्यटन पर प्रभाव

740. श्री हेम बरुआ : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी अधिकारियों द्वारा डालर पर लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्धों का भारत में पर्यटन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

यदि हाँ, तो विदेशी पर्यटकों को भारत में आने का प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) संयुक्त राज्य के प्राधिकारियों द्वारा विदेश-यात्रा पर अभी तक कोई पाबंदियाँ नहीं लगायी गयीं, परन्तु संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक भाषण में अमरीकी नागरिकों से अपील की है कि वे दो वर्षों के लिए पश्चिमी गोलार्द्ध से परे की सब गैर-आवश्यक यात्राओं को स्थगित कर दें । इस अपील अथवा किन्ही भी संभव पाबंदियों के जो कि पर्यटकों की भारत-यात्रा पर इसके बाद लगायी जा सकती हैं, प्रभाव का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता।

(ख) योजना के अनुसार पर्यटन को प्रोत्साहन देने के क्रिया-कलापों को जारी रखने और उनका अगले कुछ वर्षों में विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

कालेज शिक्षा में सुधार

741. डा० रानेन सेन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज शिक्षा में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्ति की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में दर्ज मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन सिफारिशों की छानबीन की है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या-क्या निर्णय किये गये है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ ।

(ख) सिफारिशें बहुत सी हैं और ये समिति की रिपोर्ट में दी हुई हैं, जो संसद-पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) रिपोर्ट को विचार के लिए शिक्षा आयोग (1964–66) के पास भेजने का निर्णय किया गया था । इस बीच आयोग ने चौथी आयोजना अवधि में कुछ योजनाओं के लिए कालेजों को सहायता देने के क्षेत्र और पद्धति को उदार बनाने का निर्णय किया था । हालांकि स्वायत्तशासी कालेजों की स्थापना का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है, फिर भी पहले पहल मेरठ, राजस्थान और दिल्ली विश्वविद्यालयों के कालेजों की वर्तमान उपलब्धियों, विकास कार्यक्रमों आदि की जांच और विचार करने के लिए छोटी-छोटी समितियों को नियुक्त करने का निर्णय किया गया है ।

आपात स्थिति के हटाये जाने के पश्चात् छोड़े गये नज़रबन्द

742. श्री उमानाथ :
श्री हेम बरुआ :
श्री गणेश घोष :
श्री रमानी :
श्री राममूर्ति :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ दे :
श्री विश्वनाथन :
श्री धीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के हटाये जाने के पश्चात् सम्पूर्ण देश में कुल कितने नज़रबन्दों को छोड़ा गया;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कई लोगों को छोड़ दिये जाने के तुरन्त पश्चात् पुनः गिरफ्तार किया गया ;

(ग) राज्यवार कितने नजरबन्द पुनः गिरफ्तार किये गये; और

(घ) उनको पुनः गिरफ्तार करने के कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना बताने वाला

विवरण के सदन सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 95/68]

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये प्रादेशिक भाषाएं

743. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री बाल्मिकी चौधरी :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री लीलाधर कटकी : **श्री तुलसीदास जाधव :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती सम्बन्धी परीक्षाएं प्रादेशिक भाषाओं में लेने के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने कोई प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में कब शुरूआत होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) आयोग ने आठवी सूची में उल्लिखित भाषाओं को संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिये वैकल्पिक माध्यम बनाने के उद्देश्य से आवश्यक प्रारम्भिक कार्य करने में कुछ प्रगति की है। अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं और टाइपराइटर इत्यादि जैसे उपकरण प्राप्त किये जा रहे हैं । प्राथमिकता की दृष्टि से एक भाषा से अधिक भाषाओं के जानकार तथा योग्यता-प्राप्त परीक्षक ढूंढे जा रहे हैं ।

सरकार और आयोग दोनों ही यथाशीघ्र इस निर्णय को अमल में लाने के लिये चिन्तित हैं । अब तक की प्रगति को देखते हुए सरकार को विश्वास है कि 1969 में होने वाली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ विषयों के लिये इन भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम बनाने की शुरूआत हो जायेगी ।

सड़कों का विकास

744. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का सुधार करने के लिये सरकार का कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

संभवतः माननीय सदस्य का विचार ग्रामीण सड़कों से है । अभी इस समय यह सूचित करना संभव नहीं है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास के लिये सम्पूर्ण व्यवस्था के रूप में इन सड़कों के लिये कितना आवंटन किया जायेगा क्योंकि योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

स्वास्थ्यवर्द्धक स्थान के रूप में नागौर

745. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि माउण्ट आबू के बाद राजस्थान में निवासयोग्य सबसे ऊंची पहाड़ी बागोर है जो खेत्री तांबा परियोजना के निकट है और जिसकी ऊंचाई 2300 और 2400 फुट के बीच है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त पहाड़ी एक बीच की किस्म के हिल स्टेशन बनाने के लिये बहुत ही उपयुक्त है, जो खेत्री कस्बे से केवल छः मील और दिल्ली से लगभग 100 मील की दूरी पर होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थान को स्वास्थ्यवर्द्धक स्थान में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (ग) बागोर की, एक हिल स्टेशन के रूप में विकास के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । उपलब्ध वित्तीय साधन भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के विकास-कार्य के लिये जाने की अनुमति नहीं देते और इसलिए फिलहाल इस स्थान पर पर्यटन-सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Khosla Commission

746. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) when the recommendations made by the Khosla Commission in regard to the revision of pay scales of the Delhi Police employees will be implemented ; and

(b) the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) All necessary action on the recommendations of the Delhi Police Commission contained in their interim report has been taken and necessary enhancement in existing allowances and grant of new allowances like the metropolitan duty allowance have been made keeping in view the Commission's recommendations regarding pay and emoluments.

(b) Does not arise.

Bomb Explosion in Lal Bazar Police Headquarters, Calcutta

747. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that the bomb which exploded in Lal Bazar Police Headquarters, Calcutta, on the 21st December, 1967, bore Chinesemarking ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the number of persons against whom action has been taken by Government in this connection and the nature of action taken against them ; and

(d) the loss incurred by Government as a result of this explosion ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) No, Sir; it was only an improved time bomb chemically operated and manufactured indigenously.

(c) A case under the Explosive Substances Act has been registered and it is under investigation. So far no person has been arrested in this connection.

(d) There was no loss or damage to any Central Government property.

Unemployment Among Engineers

748. **Shri Nihal Singh :** **Shri K. M. Koushik :**
Shri P. Ramamurti : **Shri K. M. Abraham :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of Engineering Gradudates and Diploma holders who are unemployed as on the 31st December, 1967 ;

(b) the number of engineering institutes which are proposed to be closed by Government in view of the large scale unemployment among engineers ;

(c) whether Government have formulated any scheme for the creation of a Technical Personnel Corps to help the Engineering Graduates and Diploma Holders in getting employment and for providing them financial assistance during the period of unemployment ; and

(d) if so, the details thereof and when it is likely to be implemented ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):

(a) According to the Live Registers of the Directorate General of Employment and Training 6951 engineering graduates and 28290 diploma holders were reported to be unemployed at the end of December 1967.

(b) No proposai is under consideration to close down any engineering institution but in some States admissions have been reduced.

(c) and (d) The ways and means of utilising the services of unemployed technical personnel are under consideration.

भारतीय पत्तनों की कार्यप्रणाली

750. श्री यशपाल सिंह : श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री उमानाथ : श्री गणेश घोष :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पत्तनों की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिये एक विश्व विशेषज्ञ दल हाल ही में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) से (ग) इन्टरनेशनल ऐसोसिएशन आफ पोर्ट्स एण्ड हारबर्स द्वारा प्रायोजित न्यूयार्क लन्दन और गोथेनबर्ग के पत्तनों के विशेषज्ञों का एक दल आजकल भारत के बड़े पत्तनों के दौरे पर है। यह विकास की विभिन्न समस्याओं को समझने और सरकार से सिफारिश करने के लिये है

कि जहां आवश्यकता हो वहां गहराई में किस प्रकार अध्ययन किये जा सकते हैं। यह दल भारत में 9 फरवरी को आया था। उसने दौरा अभी प्रारम्भ किया है। वे भारत में लगभग एक माह तक रहेंगे और उसके बाद सरकार को अपनी सिफारिशें देंगे।

न्यूजीलैण्ड की पर्यटक बाला

752. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूजीलैंड की एक पर्यटक बाला 9 जनवरी, 1968 से लापता है जैसा कि 11 जनवरी, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी तलाश की गई है; और

(ग) उसके लापता होने संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग) न्यूजीलैंड की एक पर्यटक बाला दिसम्बर, 1967 में काठमाण्डू जाते हुए दिल्ली से गुजरी थी। उसने दिल्ली से अपने माता-पिता को लिखा था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसके माता-पिता ने न्यूजीलैंड उच्च आयोग के जरिये जनवरी के महीने में उसका पता लगाने के लिये पूछताछ की। बाद में रक्सौल की निष्कासन चौकी ने उसके 24-12-1967 को काठमाण्डू के लिये जाने की पुष्टि की और न्यूजीलैंड उच्च आयोग ने भी उसकी काठमाण्डू में उपस्थिति की पुष्टि कर दी। अतः उसकी तलाश बन्द कर दी गई।

Arrests in West Bengal during Independence Movement

753. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government possess records in respect of the large number of persons detained by the then Government of Bengal for taking part in the Independence Movement, under the Bengal Criminal Law Amendment Act during the period from 1924 to 1929 and 1930 to 1941 ; and

(b) if so, where such records are available ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) and (b) The records in question must be available with the Government of West Bengal. In so far as Government of India is concerned the information is being collected.

Leader of Revolutionary Terrorist Parties

754. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) Whether Government possess records of judgments in cases of the leaders of revolutionary or terrorist parties, who took part in the Independence movement from 1907 to 1938, were sentenced to death under various sections by the then British Government and most of them were hanged to death ; and

(b) if so, where such records are available ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) Copies of a few judgments relating to the trials of revolutionaries or terrorists are available among the former Home Department's Political Records.

(b) The records are likely to be available among the records of the Courts which tried the cases and also of the appropriate State Governments.

Martyrs of Independence Movement

755. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Central Intelligence Bureau have a collection of the photographs of the persons condemned to death, persons killed or incapacitated as a result of the firing during the Independence movement ;

(b) if so, whether, Government consider that time has come when this collection of photographs should be made available for use by the public or for historians ;

(c) whether persons preparing the history of the Independence movement have requested to make available such photographs ; and

(d) if so, whether Government propose to collect such photographs and keep them at one place as national treasure ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Proceedings against Freedom Fighters of Delhi

756. **Shri Shashi-bhushan Bajpai**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government possess complete records of cases of all those freedom fighters, who were proceeded against under the Emergency Powers Ordinances or under the Punjab Criminal Amendment Act from 1930 to 1945 with a view to suppress the Independence Movement ; and

(b) if so, whether such records are available ;

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha ;

Records of America Gadar Party Leaders

757. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government are in possession of records of the(i) leaders of America Gadar Party, participating in the Indian Independence movement who went to Burma along with Shri Sohan Lal Pathak and inspired the troops of Singapore Army stationed in Singapore for the Independence movement ; (ii) soldiers who were condemned to death or imprisoned for long terms in the name of Singapore Mutiny ; and

(b) if so, where such records are available ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) (i) The Government of India have some records relating to the Gadar Party leaders who went to Burma along with Sohan Lal Pathak.

(ii) No Sir.

(b) The records referred to Gadar Party leaders in respect of (a) (i) are available in the National Archieves of India. The records relating to the Singapore Mutineers referred to in (a) (ii) should be available in Singapore itself.

शिक्षा संस्थाओं की पवित्रता

759. श्री समर गुह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में पुलिस द्वारा शिक्षा संस्थाओं के अहाते के अन्दर की पवित्रता भंग करने के समाचार सरकार को मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सलाह से तथा उनकी सहमति से एक साभान्य नीति बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने पर विचार कर रही है जिससे कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं को निपटाने के लिये भी बिना शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों की अनुमति के पुलिस शिक्षा संस्थाओं के अहाते के अन्दर दाखिल न हो ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) और (ख) शिक्षा संस्थाओं के अहाते के अन्दर पुलिस के दाखिल होने के कुछ समाचार प्राप्त हुए हैं । उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है । [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 96/68]

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Tourist Spots in Bihar

760. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of tourist spots in Bihar ;

(b) whether the Bihar Government have asked for financial assistance for the promotion of tourism ;

(c) if so, the amount asked for ; and

(d) whether there is any proposal under consideration of Government to develop tourism in Bihar ; and if so, the outlines thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) The places of interest in Bihar selected for the provision of tourist facilities are Patna, Bodhgaya, Rajgir, Nalanda, and Hazaribagh and Ranchi areas.

(b) and (c) In the draft Fourth Five Year Plan on Tourism a provision of Rs.50 lakhs had been made under Part II or the development of tourist facilities in Bihar.

(d) The following tourist schemes have been taken up or are proposed to be taken up under Parts I and II of the Plan :—

Part I Schemes (expenditure to be incurred by the Central Government)

(i) Expansion of the tourist Bungalow at Bodh Gaya (under construction)

(ii) Construction of Reception Centres at Rajgir and Bodh Gaya.

Part II Schemes (expenditure to be shared on 50 : 50 basis by the Central and State Governments)

(i) Construction of a Tourist Shala at Rajgir (under construction).

(ii) Installation of a chair lift at Rajgir (under execution).

(iii) Construction of a Reception Centre at Patna (plans and estimates under consideration).

(iv) Development of tourist facilities in Hazaribagh area, additional facilities at Rajgir, Nalanda and Bodh Gaya (proposals under consideration).

बिहार में स्कूलों/कालेजों में शिक्षा का माध्यम

761. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक तथा अन्य स्कूलों तथा कालेजों में कौन-कौन सी भाषायें शिक्षा का माध्यम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें आदिवासियों की भाषाओं अर्थात् मुन्दारी, सन्थाली तथा पहड़िया के विकास की ओर ध्यान नहीं देती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार इन भाषाओं के विकास के लिये योजना बनाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) :

(क) से (ग) इस विषय का सम्बन्ध मुख्यतः राज्य सरकारों तथा संबन्धित विश्वविद्यालयों से है और इस विषय में विस्तृत तथा अद्यतन जानकारी भारत सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Private Schools in Bihar

763. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Higher Secondary Teachers' Association has demanded in a memorandum sent to Bihar Government and Central Government that (i) the Government should take over the management of private schools in order to safeguard the services of all the Government and private teachers, (ii) uniform scales of pay fixed for teachers of all the Higher Secondary Schools in the country ; and (iii) a uniform syllabus and text books be prescribed for the whole country ; and

(b) if so, the reaction of the Government to these demands and wheher Government contemplate to adopt a uniform policy in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) and (b) These are matters with which the State Governments are primarily concerned. As for the Government of India, no decision to take over private schools has been taken. It is also the view of the Government of India that rigid uniformity in the syllabus and text-books all over the country is not practicable.

Token Strike by Bihar Professors

764. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the professors of all the universities in Bihar except Patna University and the teachers of primary schools and High Schools observed a token strike for one day on the 12th January, 1968 ;

(b) if so, their demands and Government's reaction thereto ;

(c) whether it is a fact that the question of bringing uniformity in the pay scales of teachers of University, colleges and affiliated colleges is under consideration of the Finance Ministry ; and

(d) if so, when the decision in this regard is likely to be taken ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) Some teachers of Universities in Bihar and of High and Primary schools observed a token strike at different places on the 12th January, 1968.

(b) (i) Grant of Dearness allowance at Central rates.

(ii) Immediate implementation of U.G.C. pay scales with certain modifications.

While the demand number (i) has been ruled out by the State Government on the ground of prohibitive cost involved, the demand number (ii) has been referred to the Central Government.

(c) and (d) The matter is under consideration of the Central Government.

नागाओं द्वारा छिप कर हमला

765. **श्री मयावन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 दिसम्बर, 1967 को तापोंग गांव के निकट 50 नागा विद्रोहियों के एक गिरोह ने, जो पूर्व पाकिस्तान को जा रहा था, मनीपुर राइफल्स के कुछ कर्मचारियों पर आक्रमण किया और आसाम राइफल्स के बहुत से कर्मचारी मार दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों का अपहरण किया गया और कुछ मामलों में उनके हथियार छीन लिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो नागा विद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) 19 दिसम्बर, 1967 को मनीपुर के जिरीबाम सब-डिवीजन में 40 से 50 तक मिजो-कूकी विद्रोहियों के एक गिरोह ने मनीपुर राइफल्स की एक छोटी सी टुकड़ी पर आक्रमण किया। एक राइफलमैन मारा गया और दूसरा घायल हो गया। टुकड़ी का सरदार जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी यद्यपि घायल हो गया था परन्तु वह चौकी पर लौट आया। इस आक्रमण में एक राइफल और एक स्टेन गन खो गई थी। सुरक्षा दलों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं।

ट्रैवल एजेन्टों द्वारा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्रियों की बुकिंग

766. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा कितने व्यक्तियों ने यात्रा की तथा उनसे कितनी राशि अर्जित हुई ;

(ख) अधिकृत ट्रैवल एजेन्टों की संख्या, नाम तथा पते क्या हैं, उनको साधारणतया कितना कमीशन दिया जाता है, पिछले वर्ष उनके द्वारा कितने टिकेट बेचे गये तथा प्रत्येक ट्रैवल एजेन्ट को पिछले वर्ष कमीशन के नाम से कितनी राशि दी गयी ;

(ग) समाप्त हुए पिछले वर्ष के अन्त तक प्रत्येक ट्रैवल एजेन्ट से कितनी राशि लेनी बाकी है, और उसे प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) ट्रैवल एजेन्टों द्वारा टिकट बेचे जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) यात्री — 14.1 लाख

किराये की कुल अर्जित राशि — 2142.82 लाख रुपये

(ख) 126 अधिकृत ट्रैवल-एजेन्ट थे जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण (अनुबंध I) में दिया गया है। [पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०97/68] वर्ष 1966-67 के दौरान यात्री-टिकटों की बिक्री पर इन एजेन्टों को दिये गये कमीशन का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

1. देशीय यात्री-टिकटों की बिक्री — 5%
2. अन्तर्राष्ट्रीय यात्री-टिकटों की बिक्री — 7%

1966–67 में एजेन्टों द्वारा की गयी बुकिंग कुल यात्री-टिकटों की बिक्री का 38.79% थी । वर्ष 1966–67 के दौरान यात्रा-एजेन्टों को दिये गये कमीशन की कुल राशि लगभग 38,65,775 रुपये थी ।

(ग) 31 मार्च, 1967 को, वित्तीय वर्ष के अन्त में, प्रत्येक ट्रैवल एजेंट द्वारा देय राशियों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध II) [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 98/68] कुल बकाया राशि लगभग 34.22 लाख रुपये थी, जिसमें मार्च, 1967 में एजेन्टों के दूसरे पखवाड़े, अर्थात् 16 मार्च, 1967 से 31 मार्च, 1967 तक की बिक्री भी सम्मिलित थी जिसका पूरा भुगतान एजेन्टों द्वारा करार की शर्तों के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह में किया गया।

(घ) पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि के लिये तथा उन क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिये जिनका आई० ए० सी० के कार्यालयों से सीधा संपर्क नहीं होता, बुकिंग ट्रैवल एजेन्टों के द्वारा की जाती है।

विमान निगम

767. श्री बाबूराव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा गत 3 वर्षों में वर्षवार विमानों में कितनी कैंडी, सुपारी, कानों में लगाने की रूई, टूथपिक और ड्राई तौलिये यत्रियों की सेवा में प्रयोग किये गये तथा उनका मूल्य कितना था ;

(ख) गत 3 वर्षों में किन-किन सप्लायरों को कितनी-कितनी राशि के वार्षिक ठेके दिये गये तथा ये ठेके किस प्रकार दिये गये और यदि बिना टेंडर मांगे ठेके दिये गये, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या विमान की प्रत्येक उड़ान से पहले अथवा बाद में माल देने अथवा प्राप्त करने के लिये कोई स्टाक रजिस्टर रखे जाते हैं ;

(घ) क्या कोई अधिकारी इन रजिस्टरों की जांच करता है ; और

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में विमान चालक कर्मचारी बाकी बची हुई इन वस्तुओं को घर ले जाते हुए अथवा हवाई अड्डों पर स्थिति जलपान गृहों में बेचते हुए पकड़े गये थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क), (ख) और (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) जी, हां।

भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना

769. श्री बाबूराव पटेल :
श्री अम्बुचेजियान :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मयावन :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले कई लाख पाकिस्तानी नागरिकों को 'कारुण्य आधार पर' भारतीय नागरिकता प्रदान करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आधार पर जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है उनमें से हिन्दुओं, मुसलमानों, बौद्धों और ईसाइयों की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी है ;

(ग) गृह-कार्य मंत्रालय ने इस मामले में राज्य सरकारों की सलाह लेने के लिये उन्हें जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान गोहाटी में आसाम के मुख्य मन्त्री द्वारा 1 जनवरी, 1968 को दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि "हम महसूस करते है कि उन्हें स्थायी तौर पर रहने की अनुमति देने और नागरिकता अधिकार प्रदान करने का यह उचित समय नहीं है, अभी पहले जैसी स्थिति रहनी चाहिये" ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) पाकिस्तान में बहुसंख्यक जाति से सम्बन्ध रखने वाले घुसपैठियों से अतिरिक्त, लगभग 3000 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जिन्हें कारुण्य आधार पर एक-एक वर्ष की शर्त पर भारत में ठहरने की अनुमति दी गई थी और जो इस देश में 5 वर्ष या अधिक समय से रह रहे हैं, भारतीय नागरिकता प्रदान करने का सुझाव राज्य सरकारों के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा गया था।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

Class IV Employees

770. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the knowledge of English was compulsory for class IV employees of the Central Government until recently ;

(b) whether Government propose to effect some changes in the conditions of service of class IV employees following the passage of the Official Languages (Amendment) Bill ; and

(c) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Since 16th November, 1961, direct recruits to the post of Peon, Jamadar, Daftry and Record Sorter in Ministries of the Government of India and their Attached and Subordinate Offices are required to possess a minimum educational qualification of Middle School Standard. Further, since 6th September, 1955, persons who have passed Middle School Standard without English can also be appointed to the post of peon, when filled by direct recruitment, but if such peons are later promoted as Daftries, they have to pass a simple test in English to judge whether they have sufficient knowledge of English to enable them to perform the duties of the post of the Daftry.

In September, 1965, orders were issued to the effect that it was not necessary to prescribe any educational qualifications as an essential qualification or recruitment to any class IV posts like Farash, Sweeper, Chowkidar etc. other than those of peons, Jamadars, Daftries and Record Sorters and that it would be sufficient in the Primary School Standard Pass is prescribed only as desirable qualifications for recruitment to such posts.

(b) and (c) The matter is under examination.

अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन

771. श्री टी० डी० रामभद्रन : श्री अंबुवेजियन :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1967 को मद्रास में 42 वां अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सम्मेलन ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया कि वे अधिकारियों की स्पष्ट अनुमति के बिना पुलिस को शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में प्रवेश करने से रोकने के लिए हिदायतें जारी करें;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस सम्मेलन में और कौन-सी सिफारिशें की गई थीं; और

(च) सरकार ने कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):

(क) जी, हां ।

(ख) से (च) शिक्षा मंत्रालय को अभिसमय की कार्यवाही तथा सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

तट से दूर समुद्र में माल लादने के लिये जेटियों का निर्माण

772. **श्री रामभद्रन :** **श्री अंबुचेंजियान :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो राज्यों में तट से दूर समुद्र में माल लादने के लिये जेटियां बनाने तथा बजरे खरीदने में पत्तन अधिकारियों की सहायता करने के लिये गैर-सरकारी उपक्रम आगे आये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किन राज्यों को प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आपात स्थिति को समाप्त करना

773. **श्री रवि राय :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि आपात स्थिति समाप्त हो जाने के और अनुच्छेद 358 और 359 के लागू न रहने पर भी भारत सुरक्षा अधिनियम 6 महीने तक और लागू रहेगा ;

(ख) क्या आपात स्थिति समाप्त कर देने से उन लोगों के भाग्य पर प्रभाव पड़ेगा जो निवारक निरोध अधिनियम के अधीन विभिन्न राज्यों में नजरबन्द हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सुरक्षा अधिनियम को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ग) भारत सुरक्षा अधिनियम 1962 की धारा । (3) में व्यवस्था है कि जिस तिथि से आपात स्थिति की समाप्ति की घोषणा की जाती है उस तिथि से लेकर यह अधिनियम 6 महीने तक और लागू रहेगा ।

(ख) आपात घोषणा की समाप्ति का निवारक निरोध अधिनियम 1952 के अधीन की गई कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सड़क परिवहन कराधान जांच आयोग का प्रतिवेदन

774. श्री रवि राय :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन कराधान जांच आयोग समिति (केसकर समिति) के अन्तिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और क्या इस प्रश्न पर विभिन्न राज्य सरकारों की राय मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) और (ख) समिति की अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकारों, केन्द्रीय क्षेत्र के प्रशासनों और भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों को सामान्य टिप्पणियों, राय जानने के लिये भेज दी गई है। कई वैयक्तिक सिफारिशें उन्हें अलग से भेजी गयी हैं ।

राज्य सरकारों इत्यादि की राय प्राप्त होने के बाद सड़कों और सड़क परिवहन के कर्मचारी राज्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का विचार है जिसमें समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के उपायों पर विचार किया जायेगा ।

Foreign Tours by Indian Sports Teams

775. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether, it is a fact that as stated in the news item appearing in the Navbharat Times dated the 19th December, 1967 that he, while inaugurating the newly-constituted Sports Council, suggested that the foreign tours of the Indian Teams should be stopped as they had failed to gain international fame in sports ; and

(b) if so, the action taken in this connection so far and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) No, Sir.

What the Education Minister stated was that the foreign tours may be curtailed to the bares minimum and that more competitive matches be played in India and more preparation by wayt of practice be arranged so that the standard of the sports is raised.

(b) Government have been making a closer scrutiny of each and every proposal for sending Indian teams abroad.

Use of Hindi in Government Work

776. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to a news-item appearing in the 'Navbharat Times' dated the 19th December, 1967 according to which the Secretary-General of the Hindi Association of Parliament was to present to Government the scheme prepared by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad for the effective use of Hindi ;

(b) whether it has since been presented ; and

(c) if so, the particulrs thereof and when it is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir.

(b) We have no information.

(c) Does not arise.

Office of Scientific and T. T. Commission

777. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that C. P. W. D. have handed over the new building constructed in Ramakrishnapuram to the Scientific and Technical Terminology Commission ;

(b) if so, the date by which the entire office of the Commission would shift to the new building and

(c) the reasons for not shifting it so far ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) Yes , Sir.

(b) and (c) The office of the Commission will be shifted as soon as telephones are installed in the new building.

Pak Agents in West Bengal

778. **Shri Ram Gopal Shalwale : Dr. Surya Prakash Puri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 8 districts of West Bengal viz. Calcutta, 24 Pargana, Cooch-Bihar, Jalpaigudi, Dinajur, Burdwan and Hoogly have become major strongholds of Pakistani agents and saboteurs ;

(b) whether it is also a fact that these areas are strongholds of Marxists and Communists and are inhabited by Pakistanis in large number ;

(c) whether it is also a fact that violent incidents take place in the areas and these elements resort to violent methods during all sorts of agitations which are immediately broadcast by the Radio Pakistan in detail ; and

(d) if so, the action taken by Government in this behalf ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

(a) to (d) Facts are being ascertained from the State Government.

केन्द्रीय स्कूल

779. श्री चन्द्र शेखर सिंह । क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय कठिनाइयों तथा योग्य अध्यापकों की कमी के कारण केन्द्रीय स्कूलों की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है ; और

(क) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) वित्तीय कठिनाइयों के कारण, इस योजना में से भी 1965 के मध्य से कटौती की गई है। केवल कुछ दुर्गम स्थानों में और विज्ञान विषयों के उत्तर स्नातक अध्यापकों में अच्छे अध्यापकों की कमी महसूस की गई है।

(ख) (1) निर्माण कार्यक्रम में भारी कमी की गई है। केवल सर्वोच्च प्राथमिकताप्राप्त मदों को ही लिया जा रहा है।

(2) उच्च प्राथमिकताप्राप्त कार्यों को भी उनके विशिष्ट विवरण में कमी करके आरम्भ किया जा रहा है और पर्यवेक्षण प्रभार में भी बचत की जा रही है।

(3) योजना में अदायगी पर भूमि अर्जन करने और स्कूलों के निर्माण का उपबन्ध था। इसकी बजाय प्रायोजन प्राधिकार से अनुरोध किया गया है कि वह निःशुल्क भूमि आवंटन करे या नाममात्र पट्टे के किराये पर दे।

(4) स्कूलों को चालू करने के लिये आरम्भ में जो जगह उपलब्ध थी उसे अब भी आवश्यक परिवर्तन के बाद प्रयोग में लाया जा रहा है।

(5) जहां पर एम० एस० सी० उपलब्ध नहीं हैं, वहां उनके स्थान पर अनुभवी बी० एस० सी व्यक्तियों को भर्ती किया जा रहा है।

हरियाना अध्यापक

780. श्री अब्दुल गनी दार : श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना राज्य के मान्यताप्राप्त स्कूल अध्यापक संघ ने हरियाना सरकार से दिल्ली तथा पंजाब की भांति गैर-सरकारी व्यवस्था वाले स्कूलों तथा कालेजों को 95 प्रतिशत अनुदान देने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस संघ ने अपनी मांग मनवाने के लिये हड़ताल करने की धमकी दी है ; और

(घ) इन संस्थाओं को 95 प्रतिशत अनुदान कब तक दिया जायेगा और यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (घ) हरियाना सरकार से तथ्य देने के लिए कहा गया है और उक्त सरकार से उत्तर मिलने पर इस मामले की जांच की जायेगी।

हरियाना के लिये परामर्शदात्री समिति

781. श्री अब्दुल गनी दार : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के लिये संसद् सदस्यों की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों में मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल के लिये संसद् सदस्यों की समिति को ऐसे अधिकार दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) न तो संबन्धित केरल राज्य विधान मण्डल (शक्ति-प्रत्यायोजन) अधिनियम 1965 न हरियाना राज्य (शक्ति-प्रत्यायोजन) अधिनियम 1967 उनके अधीन बनी समितियों के कार्य संचालन के बारे में कोई प्रणाली निर्धारित करता है। समितियों में गणना द्वारा निर्णय लेने की प्रथा रही है । अतः यह कहना सही नहीं होगा कि केरल सहकारी समिति के सदस्यों को मत देने के अधिकार दिये गये थे जो हरियाना सलाहकार समिति के सदस्यों को नहीं दिए गए ।

खम्पा शरणार्थियों का धर्म-परिवर्तन

782. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि ईसाई धर्म प्रचारक मंसूरी और चकरौता में तिब्बत से आये खम्पा शरणार्थियों को बड़ी संख्या में ईसाई बना रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर हो रहे उस धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) सरकार द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में वामपक्षी साम्यवादी सम्मेलन में माओ के चित्र का प्रदर्शन

783. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में हुए वामपक्षी साम्यवादी दल के सम्मेलन में माओत्से तुंग का चित्र लटकाया गया था और वहां- के मुख्य मन्त्री उस सम्मेलन में उपस्थित थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्यों की पूछताछ की जा रही है ।

ड्यूसलडार्फ में एयर इण्डिया के कर्मचारी

784. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया ने 1960 में ड्यूसलडार्फ स्टेशन को "आन-लाइन" स्टेशन से बदल कर "आफ़-लाइन" स्टेशन कर दिया था और उसके कर्मचारियों की संख्या 21 से घटा कर 7 कर दी गयी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्यालय का समूचा स्थान, जो आवश्यकता से अधिक था, 1965 तक प्रयोग किया जाता रहा और उसे न तो छोड़ा गया और न किराये पर चढ़ाया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1.5 लाख रुपये की हानि हुई ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस हानि के लिये किसी पर जिम्मेवारी निर्धारित की गई है; और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा वाणिज्यिक दृष्टि से एयर इण्डिया ने कार्यालय के स्थान को उसके पट्टे की अवधि समाप्त होने तक अपने पास ही रखने का निर्णय किया।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो

785. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच के लिये कितने मामले हाथ में लिये थे और कितने मामलों की जांच पूरी की गई थी ;

(ख) उनमें से कितने मामले एक वर्ष से अधिक पुराने हैं ; कितने मामलों को न्यायालय में निपटाया गया, कितने मामलों में दोष-सिद्धि हुई और अधिकतम कितनी सजा दी गयी और जुर्माना किया गया ;

(ग) वर्ष के दौरान कितने राजपत्रित अधिकारियों और कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं की दोष-सिद्धि हुई थी ; और

(घ) ब्यूरो द्वारा अभी कितने मामलों में निर्णय किया जाना शेष है ; उनमें से कितने मामले तीन वर्ष से अधिक समय से पुराने हैं और कितने एक वर्ष से अधिक पुराने हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) 1967 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 3,839 मामलों की जांच हाथ में ली। 1967 के दौरान 2,525 मामलों की जांच पूरी कर ली गई थी।

(ख) 133 मामले एक वर्ष से अधिक पुराने हैं। उनमें से 478 मामले न्यायालयों मे ले जाए गये, 1967 के दौरान 72 मामले निपटाये गये थे, जिनमें से 67 दोषसिद्धि में समाप्त हुए। एक मामले में सजा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष का कठोर कारावास थी और एक अकेले मामले में अधिकतम कुल जुर्माना (मामले में ग्रस्त अनेक व्यक्तियों पर किया गया था) 1,94,000 रुपये था।

(ग) 1 राजपत्रित अधिकारी, 44 अराजपत्रित अधिकारी और 68 सामाजिक व्यक्तियों की दोष-सिद्धि हुई थी।

(घ) 1967 के अन्त में ब्यूरो के पास 1,315 मामले शेष पड़े थे। इसमें से 62 मामले एक वर्ष से अधिक पुराने हैं और एक मामला 3 वर्ष पुराना है।

Anti-National activities of Pakistanis in Delhi

786. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Administration have requested the Central Government that strict action be taken against the Pakistani nationals engaged in anti-national activities in Delhi ;

(b) whether the attention of Government has also been drawn to the reports published in the newspapers that some Pakistani nationals are residing in Delhi even after the expiry of their passports ;

(c) if so, the details of the communication addressed to Government by the Delhi Administration ; and

(d) the action taken in the matter ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) No such report has come to the notice of the Government.

(c) and (d) Do not arise.

Pakistani Spies in Rajasthan

787. **Shri Ramavtar Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the activities of Pakistani spies are gaining momentum rapidly in the border areas of Rajasthan ;

(b) whether it is also a fact that Jaisalmer and Barmer areas in particular continue to be the camps of Pakistani agents ;

(c) whether it is also a fact that a Pakistani spy trasmitting strategic information by wireless equipment was caught by the Indian Army near Kishengarh fort on the 20th December, 1967 ; and

(d) if so, whether Government have made any enquiry in regard thereto and the action taken by Government to check the activities of the Pakistani agents ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

(a) to (c) No, Sir.

(d) Adequate arrangements exist to detect and counter espionage activities, and constant vigiliance is maintained by concerned agencies in this regard.

राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड

788. **श्री बीवीकन** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की 16 वीं बैठक 22 जनवरी, 1968 को मद्रास में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) बन्दरगाहों को आधुनिक रूप देने के लिये सरकार किस मुख्य प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) जी हां।

(ख) बोर्ड ने बड़े और छोटे पत्तनों सम्बन्धी विकास समस्याओं का पुनर्विलोकन किया और इन विषयों से संबन्धित प्रश्नों पर विचार किया—जलयानों और उपकरणों को देश में तैयार करना, निकर्शक बेड़े का विस्तार, पालपोत यातायात के लिए सुविधाएं और मछमार हारबरों का विकास। मुख्य-मुख्य निष्कर्ष नीचे दिये जाते हैं :—

(1) बड़े पत्तनों के विकास कार्यक्रम तैयार करने में चयनात्मकता बर्तने की आवश्यकता थी और ऐसा करने में आर्थिक परीक्षण प्रयुक्त किये जाने चाहिए।

(2) नये बड़े पत्तनों का अत्यधिक विकास और उपयोग के विए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे उनके पृष्ठप्रदेशों में उद्योग विकसित करने के उपायों पर विचार करें।

(3) हुगली में पर्याप्त गहराई बनाए रखने के लिए फर्राका बांध के महत्व पर बल दिया गया। बोर्ड ने नोट किया कि बांध का काम संतोषजनक तरह हो रहा है।

(4) बड़े और छोटे पत्तनों की जरूरी निकर्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय निकर्षक पूल के साधनों के विस्तार के विचाराधीन प्रस्तावों का स्वागत किया गया।

(5) समुद्री उपकरणों को देश में उत्पादन करने का जो इंजीनियरी क्षमता पहले ही देश में उपलब्ध है उसको प्रयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(6) खुले उर्वरकों की मशीनों द्वारा धरा-उठाई के प्रबन्ध को नोट किया और उन सुविधाओं को जहां तक व्यवहार्य हो वहां तक विस्तार करने का सुझाव दिया।

(7) बोर्ड चाहता था कि छोटे पत्तन और मत्स्य विकास जिन अधिकारियों के अधीन हैं उनमें और अधिक सहयोग के सुनिश्चयन की वांच्छनीयता के बाबत खाद्य और कृषि मंत्रालय को बता दिया जाय।

(8) बोर्ड ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को छोटे पत्तनों पर की सुविधाओं का सुधार करना चाहिए जिससे उर्वरकों इत्यादि को आयात करने में सुविधा हो। इसी प्रकार यांत्रिकी जहाजों के लिए पार्श्व घाटों की सुविधा में सुधार करने के प्रश्न पर भी राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए।

(9) अंडमान और नीकोबार द्वीप समूहों में पत्तन सुविधाओं के विकास करने के कार्यक्रम को नोट किया गया है।

(10) बोर्ड ने सुझाव दिया कि माल पोतों के उन कर्मिकों के परिवारों को जो बवंडरों और तूफानों में मर जाते है, सहायता देने की व्यवस्था के लिए उपाय करने पर विचार किया जाय।

(ग) डुबाव में सुधार, माल धरने-उठाने के नवीन उपस्कर की व्यवस्था, घाट क्षमता

में वृद्धि जो विभिन्न पत्तनों में योजना कार्यक्रम के रूप में जारी है, के अतिरिक्त बम्बई डॉक नवीनीकरण परियोजना, मद्रास बाहरी हारबर परियोजना और हल्दिया परियोजना जो अभी कार्यान्वित की जा रही है, का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। तूतीकोरीन और मंगलोर पर की नये पत्तन योजनाएं अभी कार्यान्वित की जा रही हैं। बड़े प्रस्ताव जिन पर विचार किया जा रहा है, नव शेवा परियोजना और मोरमुगाओं और विशाखापत्तनम् पत्तन हैं।

पत्तनों और नौवहन तकनीक के तेज विकास को दृष्टि में रखते हुए और आगे नवीनीकरण का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के दल द्वारा अध्ययन किये जाने वाला विषय है जो परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के आग्रह पर देश का भ्रमण कर रहे हैं। इस विषय की जांच बड़े पत्तन आयोग द्वारा, जो हाल ही में स्थापित किया गया है, भी की जाएगी।

भारत-यूगोस्लाविया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्य-क्रम

789. **श्री दीवीकन :** **श्री विश्वनाथ पाडेय :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्बन्धी भारत-यूगोस्लाविया संयुक्त समिति की 6 जनवरी, 1968 को नई दिल्ली में एक संयुक्त बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई करार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) करार का कार्यान्वयन कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी हां, 6 और 8 जनवरी, 1968 को

(ख) 1968 और 1969 के वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सहयोग के कार्यक्रम पर 11 जनवरी, 1968 को हस्ताक्षर किये गए थे।

(ग) इस कार्यक्रम में शिक्षा, कला व संस्कृति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, साहित्य तथा प्रकाशन, फिल्म, प्रेस, रेडिओ व टेलीविजन तथा खेलों के क्षेत्र में छात्रवृत्तिधारियों, कलाकारों और रंगमंच विशेषज्ञों, कला-मण्डलियों, फिल्म के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तथा कला व शिल्प कला आदि की प्रर्शनियों के आदान-प्रदान के जरिए विनिमय तथा सहयोग की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में निम्न बातें भी शामिल हैं—इतिहास, साहित्य, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना सम्बन्धी सामग्रियों का आदान--प्रदान, अधिछात्रवृत्तियों का अनुदान, भाषण देने वाले प्राध्यापकों तथा रचनात्मक सम्पर्कों का आदान-प्रदान, और डिग्री तथा डिप्लोमाओं की पारस्परिक मान्यता तथा समकक्षता; और

(घ) इस कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है।

तलकर्षण संगठन

790. **श्री दीवीकन :** **श्री मयावन :**

श्री मोहन स्वरूप :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में एक तलकर्षण संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ग) इस संगठन की स्थापना से देश की आवश्यकता कहां तक पूरी होगी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि एक तकनीकी समिति द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने बताया है कि आगामी दस वर्षों में समुद्र अथवा नदियों से 10 करोड़ घन मीटर कीचड़ अथवा रेत इत्यादि निकालने की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो देश में उपलब्ध तलकर्षक संयंत्रों को मजबूत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) से (ङ) : अगले दस वर्षों के लिये मूल निकर्षण की आवश्यकताओं की तकनीकी समिति द्वारा किये गये अध्ययन से सूचित होता है कि चतुर्थ और पंच-योजना अवधि में लगभग 100 मिलियन घन गज के सामान को निकर्षित करने की आवश्यकता पड़ेगी । समिति ने यह भी अनुमानित किया है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मौजूदा निकर्षक बेड़े को विभिन्न प्रकार के 10 निकर्षकों द्वारा बढ़ाया जाना जरूरी होगा जिसमें साथ के टगों, बारजों, लाचों, शिलाखंड के तोड़ने और ड्रिलिंग आउटफिट इत्यादि के विभिन्न स्थानों की दशाओं में कार्य हो सके । सरकार पहली कार्यवाही के रूप में एक केन्द्रीय निकर्षण संगठन गठित करने का विचार कर रही है जिसमें चार निकर्षक और सहायक उपस्कर होंगे । जो शीघ्रातिशीघ्र विभिन्न पत्तनों में निकर्षण के बैकलाग को साफ कर सकेंगे और धातुक निर्यात निकासिओं पर आवश्यक मूल निकर्षक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे ।

शिक्षा सम्बन्धी नीति के बारे में उपकुलपतियों की समिति

791. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संबंधी नीति तथा उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने के लिये उपकुलपतियों की एक अनौपचारिक समिति स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब स्थापित की जायगी ;

(ग) इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस समिति का उद्देश्य तथा लक्ष क्या होंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अनौपचारिक उपकुलपति समिति नियुक्त की है जो नीति तथा उच्चतर शिक्षा के विकास और विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच प्रादेशिक तथा अखिल भारतीय आधार पर समन्वय , स्नातकोत्तर अध्ययन सम्बन्धी विशेष

सुविधाओं सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों पर इसको परामर्श देगी । समिति के सदस्यों की एक सूची संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 99/68]

राज्यपालों की नियुक्ति के लिये प्रदर्शक सिद्धान्त

792. श्री चेंगलराया नायडू : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में प्रदर्शक सिद्धांतों को, जो केन्द्रीय सरकार से विचारधीन थे, अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है ;

(ग) प्रदर्शक सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या-क्या हैं ; और

(घ) क्या इन प्रदर्शक सिद्धान्तों को बनाते समय संविधान के विशेषज्ञों के विचारों को ध्यान में रखा गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) और (घ) जी नहीं, इस मामले पर प्रसिद्ध संविधान के विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी और उनके दृष्टिकोणों पर संसद् में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जाना है ।

(ख) इस स्थिति में कोई समय की सीमा बतलाना कि अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा, सम्भव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाजन आयोग का प्रतिवेदन

793. श्री वासुदेवन नायर। श्री मोहसिन :

श्री जार्ज फर्नेन्डीज :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, मैसूर तथा केरल के बीच सीमा विवादों के बारे में महाजन आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में क्या निर्णय किये गये है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

Staff employed for Hindi work in Central Government Offices

794. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons who had been appointed twelve years ago in the Central Government offices as Stenographers/Clerks/Typists for work in Hindi only and who have been continuously doing Hindi work ever since their appointment, will now be asked to do the work

in English also alongwith the Hindi work ignoring the fact that they do not possess adequqte knowledge of English ;

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken to obviate the difficulties that they will have to face while doing the work in English ; and

(c) whether such an action on the part of Government will not affect the progressive use, propagation and development of Hindi for official purposes ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs(Shri Vidya Charan Shukla):

(a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

जहाज-निर्माण के लिये स्थायी समिति

795. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज-निर्माण के लिये एक स्थायी समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है,

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब तक नियुक्त की जायेगी; और

(ग) प्रस्तावित समिति के क्या विशिष्ट कार्य होंगे ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) से (ग) नौवहन, पोतनिर्माण और पत्तनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में नयी दिल्ली में हुआ था, उसने पोतनिर्माण, पोत-मरम्मत और नौ-सहायक उद्योगों द्वारा अनुभवित कठिनाइयों के हल के लिये उपायों की सिफारिश करने तथा उन्हें रूप देने के लिये पोत-निर्माण, पोत-मरम्मत और नौ-सहायकों के लिये एक स्थायी समिति की नियुक्ति की सिफारिश की है । यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के भूतपूर्व कर्मचारी

796. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री 29 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2300 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की सलाह के अनुसार पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स के किन्ही भूतपूर्व कर्मचारियों को, जो भारतीय राष्ट्रजन हैं, एयर इन्डिया अथवा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में नौकरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 3 नियुक्ति किये हैं । एयर इण्डिया ने 2 भरती किये हैं और 2 और को नियुक्ति के लिए चुना है ।

मिजो नेशनल फ्रन्ट पर प्रतिबन्ध

798. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री विश्वनाथ पाण्डे :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवांछित गतिविधि अधिनियम के अन्तर्गत मिजो नेशनल फ्रन्ट के विरुद्ध किस आधार पर कार्यवाही की गई है; और

(ख) मिजो नेशनल फ्रन्ट पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद मिजो नेशनल फ्रन्ट की कार्यवाहियों तथा प्रभाव का यदि कोई मूल्यांकन किया गया है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) मिजो नेशनल फ्रन्ट ने स्पष्ट घोषणा की है कि इसका उद्देश्य भारतीय संघ के बाहर, आसाम के मिजो पहाड़ियों के जिलों और आसाम के कच्छार जिले के कुछ क्षेत्रों और मनीपुर तथा त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों को मिला कर एक स्वतंत्र राज्य की प्राप्ति है। इसने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सशस्त्र विद्रोहियों का एक दल गठित किया है जिसने सुरक्षा दलों, असैनिक प्रशासन तथा कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर आक्रमण किये हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार ने मिजो नेशनल फ्रन्ट को अवांछित गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 के अधीन 16 जनवरी, 1968 से अवांछित संस्था घोषित किया है।

(ख) इस संस्था पर, जिस पर पहले भारतीय सुरक्षा नियम के अधीन प्रतिबन्ध लगाये गये थे, प्रतिबन्ध अवांछित गतिविधि (निवारण) अधिनियम की धारा 3 (3) के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा इस घोषणा की पुष्टि हो जाने के पश्चात् लागू होगा।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

799. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय करेंसी के अवमूल्यन के कारण इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कितनी वित्तीय हानि अथवा लाभ हुआ है ; और

(ख) ब्रिटेन तथा कुछ अन्य देशों द्वारा करेंसी के अवमूल्यन के कारण उस लाभ अथवा हानि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) 1966 में रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 1966–67 में राजस्व-व्यय में 200 लाख रुपये की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा अवमूल्यन की तिथि को बकाया ऋणों से सम्बन्धित देयता में 523·43 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

(ख) पाउण्ड, स्टर्लिंग तथा अन्य विदेशी मुद्राओं के अवमूल्यन से इण्डिया एयरलाइन्स की राजस्व-आय पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

हरयाना के अध्यापकों द्वारा हड़ताल

800. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरयाना के सरकारी कालेजों के 1000 से अधिक अध्यापकों ने कोठारी आयोग द्वारा सुझाये गये वेतनमान तथा सेवा की सुरक्षा की मांगें मनवाने के लिये जनवरी, 1968 में हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) गैर-सरकारी कालेजों के कुछ अध्यापक जनवरी, 1968 में हड़ताल पर थे। किन्तु उनकी वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है।

(ख) हरयाना सरकार ने संशोधित वेतन-मानों को क्रियान्वित करने से सम्बन्धित कुछ पहलुओं पर प्रिंसिपलों और अध्यापकों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था, जिसके फल-स्वरूप 21 जनवरी को हड़ताल वापिस ले ली गई थी।

उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की बैठक

801. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** **श्री हेमराज :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 फरवरी, 1968 को उदयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की एक बैठक हुई थी, जिसमें जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के मुख्य मंत्री, हरियाना के राज्यपाल, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद तथा चंडीगढ़ के मुख्यायुक्त भी उपस्थित थे।

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुख्य विषयों पर विचार किया गया था; और

(ग) उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ल) बैठक में विचार किये गये विषयों की एक सूची संलग्न है [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 100/68]

(ग) जैसे ही बैठक में हुई कार्यवाहियों पर हुये निर्णयों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा उनको पहले की तरह संसद्-पुस्तकालय में रख दिया जाएगा।

Translation of text books in Hindi

803. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the further progress made in the translation of text books into regional languages ;

(b) whether the matter was recently discussed with the Vice-Chancellors of the Universities at Banaras ; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) The Commission for Scientific and Technical Terminology has so far brought out 125 standard books of university level. Out of these, 110 books are in Hindi and 15 in other Indian languages. These published books cover different subjects under science, technology, humanities and social sciences. Besides these published books, 127 books are in press and 25 are press-ready.

(b) and (c) The various aspects relating to the production of Hindi books of university level were discussed at the meeting of Vice-Chacellors of universities of Hindi-speaking States held at Banaras Hindu University, Varanasi. The Conference has recommended inter alia the establishment of a Standing Committee to co-ordinate and plan programmes for the production of university text books in Hindi.

गुजरात के पत्तनों का जल सम्बन्धी सर्वेक्षण

804. **श्री द० रा० परमार** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र तथा पत्तनों का अब तक ठीक तरह से जल सम्बन्धी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) 1947 से गुजरात समुद्रतट पर निम्नलिखित जलीय सर्वेक्षण किये गये :—

(1) कच्छ की खाड़ी के उत्तरी भाग के सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें कोरी क्रीक, जखाउ, मुंद्रा कांडला और नवलखी शामिल हैं।

(2) कच्छ की खाड़ी का दक्षिणी भाग जिसमें कोजी पिक्काकारी और पोर्ट ओखा शामिल हैं।

(3) खेवे की खाड़ी जिसमें ड्यू, पिपावाव लंगरगाह (पोर्ट अलबर्ट विक्टर), भावनगर, डहेज, सूरत रोड (मंगडोला पत्तन) 1963 से खेवे की खाड़ी में दक्षिणी महुंच जलमार्ग से शुरू करके उत्तर की ओर तक एक नियमित सर्वेक्षण किया जा रहा है। खेवे खाड़ी के भावनगर तक के एक बड़े भाग में सर्वेक्षण हो चुका है।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने वर्तमान मौसम के सर्वे कार्यक्रम में नर्मदा नदी के मुहाने के और खेवे की खाड़ी तक फैल, क्षेत्र के सर्वेक्षण को शामिल करने की मांग की है। अन्य उच्च प्राथमिकता के कार्यों के कारण और तकनीकी कारणों से उक्त कार्यक्रम में इन दोनों सर्वेक्षणों में से कोई भी शामिल न किया जा सका। फिर भी खेवे खाड़ी में, भावनगर के पहुँचम जलमार्ग का आगे का काम इस मौसम में जारी रखा जा रहा है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आहाते में विद्यार्थियों की गिरफ्तारी

805. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने जनवरी, 1968 में प्रधान मन्त्री के दौरे के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आहाते से कुछ छात्र नेताओं को उप-कुलपति की अनुमति लिये बिना गिरफ्तार किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उप-कुलपति ने इस सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मिजो तथा नेफा क्षेत्रों में स्वेच्छा सेवा

806. श्री शशि रंजन : क्या गृह-कार्य मन्त्री 20 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 785 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या मिजो तथा नेफा क्षेत्रों में काम करने के लिये किसी भारतीय स्वयंसेवी संगठन से अब तक कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 101/68]

आसाम ट्रंक रोड

807. श्री शशि रंजन : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम को शेष भारत के साथ मिलाने वाली 15 मील चौड़ी आसाम ट्रंक रोड बिहार और बङ्गाल के दो राज्यों के बीच बटी हुई है; और

(ख) क्या परिवर्तित राजनैतिक स्थितियों में इस प्रमुख सड़क को एक प्राधिकार के नियन्त्रण में लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय किशनगंज नगर के चारों ओर एक उपमार्ग के निर्माण के प्रस्ताव से है। प्रस्ताव की परीक्षा की जा रही है और निर्णय लेने के पूर्व उपमार्ग को एक ही राज्य के कार्यकारी नियन्त्रण में रखने की औचित्यता पर विचार किया जायेगा।

बिहार, आसाम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या

809. श्री शशि रंजन : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभाजन के बाद बिहार, आसाम तथा पश्चिम बंगाल के समीपवर्ती क्षेत्रों में अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक जातियों की जनसंख्या 20 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के अनुपात में थी जबकि अब यह अनुपात क्रमशः 55 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) विभाजन के तुरन्त बाद के किसी विशिष्ट समय या इस समय के विभिन्न धर्मों

की जनसंख्या के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विभाजन के बाद निकटतम समय जब जनगणना की गई थी 1951 था। इसी प्रकार जनसंख्या के नवीनतम उपलब्ध आँकड़े 1961 की जनगणना के अनुसार हैं। पूर्वी पाकिस्तान से मिले हुये बिहार, आसाम और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों के संलग्न विवरण में 1951 और 1961 की जनगणना के अनुसार हिन्दुओं और मुसलमानों की अलग-अलग कुल जनसंख्या के अनुपात एवं दूसरों के अनुपात जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 102/68]

(ख) भाग (क) में दिये गये आँकड़ों को देखते हुये यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मणिपुर में गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतन-मान

810. **श्री मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतन-मान में सुधार की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त सुधार भूतलक्षी प्रभाव से किया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करने के लिये मणिपुर प्रशासन से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पर्यटन के विकास के लिये राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त योजनायें

811. **श्री हेमराज** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिये राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों से केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1967 में और जनवरी 1968 में कितनी और कौन-कौन-सी योजनायें प्राप्त हुईं।

(ख) कितनी योजनायें (1) अखिल भारतीय, (2) विदेशी पर्यटकों, और (3) स्थानीय महत्व की हैं; और कौन-सी स्थानीय हितों की ; और

(ग) राज्यवार इन योजनाओं के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) वर्ष 1967 के दौरान और जनवरी, 1968 में राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों से, 1968-69 के लिए उनकी वार्षिक योजनाओं में शामिल की जाने के लिए, प्राप्त पर्यटन विषयक स्कीमों की सूची देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 103/68]

(ख) और (ग) राज्य सरकारों एवं राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट

स्कीमों की छान-बीन करने के बाद सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई स्कीमों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इन स्कीमों का दो वर्गों में श्रेणी विभाजन किया गया है, अर्थात् भाग (ii) जिनकी वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकारों और केन्द्र द्वारा बराबर की जाने का प्रस्ताव है और भाग (iii) जिनकी वित्तीय व्यवस्था पूर्णतया राज्य सरकारों द्वारा की जाने का प्रस्ताव है।

भाग (ii) स्कीमें सामान्यता अखिल भारतीय महत्व की हैं और विदेशी तथा देशीय दोनों ही प्रकार के पर्यटकों के लिए उपयोगी हैं। इसके विपरीत भाग (iii) स्कीमें मुख्यतया स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व की हैं।

शिक्षा सम्बन्धी नीति

812. **श्री शिव चन्द्र झा :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री काशी नाथ पाण्डे : **श्री लीलाधर कटकी :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) से (ग) मामले पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

राजभाषायें (संशोधन) अधिनियम

813. **श्री शिव चन्द्र झा :** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री रा० बरुआ : **श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजभाषायें अधिनियम पारित होने के कारण देश में हुई हिंसक घटनाओं के बारे में तथ्य तथा आँकड़े एकत्रित किए हैं; और

यदि हां, तो कितनी रेलगाड़ियाँ जला दी गईं तथा राज्यवार कितने मूल्य की राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट की गई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण):

(क) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 104/68]

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

बिहार में पर्यटन केन्द्र

814. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में बलिराजगढ़ तथा नव्यदेव नामक स्थानों को उनके ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैथिली भाषा

815. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मैथिली भाषा को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, क्या सरकार का विचार उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार का यह विचारपूर्ण निर्णय है कि विस्तृत राष्ट्रीय हित में आठवीं अनुसूची को और अधिक नहीं बढ़ाया जाय ।

दिल्ली में हत्यायें

817. **श्री चं० चु० देसाई** : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 में और जनवरी, 1968 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने व्यक्तियों की हत्याएं हुईं ; और

(ख) क्या पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई है और अपराधियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) 12 व्यक्तियों की ।

(ख) तीन मामलों में 8 अपराधियों को हिरासत में लिया गया है और शेष मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार करने की प्रयत्न जारी हैं । हिरासत में लिये गये अपराधियों में से 4 के विरुद्ध मामले न्यायालय में हैं ।

केरल में मार्क्सवादियों द्वारा शस्त्रों का कथित संग्रह

818. **श्री देवकी नन्दन पाठोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1967 के 'टाइम्स आफ् इंडिया' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल के उग्रवादी गुट केरल में विशेषकर मालाबार क्षेत्र में बहुत सक्रिय हो गये हैं और एक आन्दोलन लाने के लिये शस्त्र एकत्र कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

अध्यापकों द्वारा राजनीति में भाग लिया जाना

819. श्री पीलु मोडी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में इस विषय पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी कि क्या अध्यापकों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति दी जानी चहिये या नहीं ;

(ख) क्या समिति से यह सिफारिश की है कि अध्यापकों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये और जिन्होंने राजनीति में भाग लिया है उनका विश्वविद्यालय में स्थान नहीं होना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) समिति द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट पेश की जानी है ।

दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था

820. श्री जे० मुहम्मद इमाम : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ क्षेत्र में पुलिस कर्मचारियों (कान्स्टेबलों और हैड कान्स्टेबलों) की संख्या क्या है ;

(ख) इन पुलिस कर्मचारियों को दिये गये सरकारी मकानों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिये चालू वर्ष में और अधिक मकान बनाने की कोई योजना हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) हेड कान्स्टेबल 2,602
कान्स्टेबल 10,886

(ख)

	सरकारी मकान दिये गये	बैरक आवास दिये गये
हैड कान्स्टेबल	557	615
कान्स्टेबल	1,129	5217

(ग) मोटे आधार पर 96 हेड कान्स्टेबलों और 536 कान्स्टेबलों को आवास प्रदान

करने के लिये अतिरिक्त मकान 24 महीनों में पूरा करने के लिये 50 लाख रुपये की लागत का एक कार्यक्रम अक्टूबर, 1966 में आरम्भ किया गया था । ये मकान निवास के लिये अक्टूबर, 1968 तक तैयार हो जाने की आशा है । आने वाले वित्तीय वर्ष (1968-69) में 80 लाख रुपये का प्रबन्ध करके निर्माण के कार्यक्रम की गति बढ़ाने की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

हैदराबाद में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले मंत्रियों के निजी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता

821. **श्री जे० मुहम्मद इमाम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री हैदराबाद में हाल में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के समय अपने निजी कर्मचारियों को भी अपने साथ ले गये थे ;

(ख) क्या इन निजी कर्मचारियों का यात्रा व्यय सरकार ने दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उनके यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते आदि के रूप में सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

हैदराबाद में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने वाले केन्द्रीय मंत्री

822. **श्री जे० मुहम्मद इमाम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद में हाल में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने वाले केन्द्रीय मंत्रियों ने अपना यात्रा व्यय और दैनिक व्यय अपनी जेब से किया है अथवा उन्हें भारत सरकार द्वारा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

पर्यटक व्यापार से विदेशी मुद्रा की आय

823. **श्री ज० मुहम्मद इमाम** : **श्री नम्बियार** :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के होने से हमारी पर्यटक व्यापार से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कैसे और क्या इस कार्य को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र

व्यापार तथा विकास सम्मेलन की बैठक के कारण इस देश की पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली नगर निगम

824. **श्री मुहम्मद इमाम :** **श्री रामभद्रन् :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार के गृह-मंत्री और नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के बीच गम्भीर आरोप-प्रत्यारोप लगाने वाले पत्राचार के कारण दिल्ली नगर निगम के अधिक्रमण सम्बन्धी विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह उन पत्राचार की प्रतियां और इस विषय में उप-राज्य-पाल की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखेंगे ; और

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम के अधिक्रमण के संबंध में कोई निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) से (ग) समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। उप-राज्यपाल की रिपोर्ट एक गोपनीय कागजात है और उसकी जांच की जा रही है ।

गृह मंत्री और दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के बीच होने वाले व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार को सदन के सभा-पटल पर रखने का सुझाव नहीं दिया गया है ।

Spying in Rajasthan Border Areas

825. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that nearly 7000 nomads inhabiting the border areas of Barmer and Jaisalmer of Rajasthan and who claim to be disciplaces of Pirs have been found to be working as Pakistani spies in India as evidenced from their activities in Kishangarh District ;

(b) whether it is also a fact that a group of these youngmen has reached Karachi recently to receive military training ;

(c) whether it is a also a fact that these nomads have recently sent Rs.70,000 , more than 100 camels and other herds of cattle to their "Pirs' living in Pakistan as offerings ; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) It is a fact that some of the muslims living in Barmer and Jaisalmer Districts are disciples of Pir Pagaro, there is no information that they are working as spies for Pakistan .

(b) No, Sir.

(c) No, Sir. Only one instance of a present of cows to Pir Pagaro by a resident of Bhurasar District Bikaner on the occasion of his father's death, has come to notice.

(d) Does not arise.

Shipbuilding Industry

826. **Shri Y. S. Khushwah** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the production capacity of shipbuilding industry in the country at present ;

(b) the percentage of Indian and foreign components of machinery being used in the industry ;

(c) the percentage of raw material and spare parts available indigenously and imported for ship-building; and

(d) the names of the countries from which these materials and spare parts are imported and the amount of foreign exchange involved annually ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Vice-Chancellors taking part in Political activities

827. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Education** be pleased to be state :

(a) the names of Indian Universities whose Vice-Chancellors take part in political activities ; and

(b) whether they have the legal sanction to do so ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):

(a) The required information is not available.

(b) The University Acts do not prohibit Vice-Chancellors from taking part in poiticial activities.

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की अवधि में टैक्सियों के लिये परमिट

828 **श्री गादिलिंगन गौड :** क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की अवधि के लिये टैक्सियों के लिये नये परमिट देने का निर्णय किया था;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस प्रयोजन के लिये निर्धारित मूल्यों पर आयातित कारें बेचना स्वीकार किया था ; और

(ग) क्या सरकार ने अकस्मात इस योजना को त्यागने का निर्णय किया, जिससे अनेक व्यक्तियों तथा ट्रैवल एजेन्सियों को, जिन्होंने कि 'डी० एल० जेड०' परमिटों के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे, बड़ी परेशानी हुई ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) नये प्रवेशकों को, नियंत्रित मूल्यों पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा आयातित 'मोटर गाड़ियों' के टेक्सी के रूप में व्यवहृत करने के लिये दिये जाने का प्रश्न जब यह विदित हुआ कि सम्मेलन के प्रतिनिधियों की जरूरतों की पूर्ति के लिये लगभग 500 मोटर गाड़ियों की आवश्यकता होगी, विचाराधीन था। बाद में पता चला कि इस प्रयोजन के लिये लगभग 300 मोटर गाड़ियाँ पर्याप्त होंगी।

चूंकि कम मूल्यों पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की गाड़ियों को देने की रिआयत उनकी सामान्य नीलामी कीमतों में पर्याप्त कमी करती है और चूंकि दिल्ली में समस्त उपयुक्त स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन गाड़ियों के केन्द्रीयकृत के रूप में दिये जाने के कारण अन्य राज्यों में, जहां ऐसी गाड़ियों की कहीं अधिक आवश्यकता है, आशंका हो रही थी अतः यह निश्चय किया गया कि आदेशकों को देसी तौर पर तैयार गाड़ियों के मामले में तरजीह दी जाए। चूंकि सम्मेलन के सम्बन्ध में किसी को कोई डी० एल० जेड० परमिट नहीं दिया गया अतः दिल्ली में यात्रा एजेन्सियों और व्यक्ति विशेष को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जिन्हें डी० एल० जेड० परमिट दिये गये हैं उन्हें स्टेट ट्रेडिङ्ग कारपोरेशन द्वारा नीलाम की जा रही आयातित गाड़ियों को खरीदने की छूट है।

भारतीय नौवहन समवाय

829. श्री गाडिलिंगन गौड़; क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवहन सम्बन्धी समिति ने अपने हाल के प्रतिवेदन में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उन विभिन्न मार्गों पर, जिस पर इस समय भारतीय नौवहन समवायों की सेवाएँ अपर्याप्त हैं, व्यापार की संभावनाओं के सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन करें;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप हमारे लिये अपना निर्यात व्यापार बढ़ाना सम्भव होगा; और

(ग) इस सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि इनको क्रियान्वित किया गया तो उसके द्वारा कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) अध्ययन की सिफारिश वाणिज्य और नौवहन हितों ने की थी, सरकार ने नहीं। आल इंडिया शिपर कौंसिल के अध्यक्ष ने विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ अपर्याप्त सेवा है व्यापार क्षमता पर प्रस्तावित अध्ययन करने की अपनी इच्छा सूचित की है। यह नौवहन और अन्य संबद्ध हितों के सहयोग से की जायेगी। सरकार ने आल इंडिया शिपर कौंसिल से अध्ययन करने की और अपनी सिफारिशें सरकार को विचारार्थ भेजने की प्रार्थना की है।

(ख) और (ग) यह प्रस्तावित अध्ययन के परिणामों पर निर्भर करता है और अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता ।

चंडीगढ़ में मस्जिद

831. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चन्दीगढ़ में बहुत थोड़े मुसलमानों के लिये वहां सैक्टर संख्या 22 में एक लाख रुपये की लागत में एक मस्जिद बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी निधि से इतनी राशि व्यय करने का क्या औचित्य है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पालम हवाई अड्डे के लिये प्रवेश-टिकट

832. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में पालम हवाई अड्डे के प्रवेश-टिकटों की बिक्री से कितनी आय होने का अनुमान है ;

(ख) यह राशि किस काम के लिये खर्च की जायेगी; और

(ग) हवाई अड्डे पर टिकटों की बिक्री तथा प्रवेश करने वाले लोगों के टिकटों की जांच करने पर कितना व्यय होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) 16 अगस्त 1967 से 31 मार्च, 1968 तक की अवधि के दौरान और 1968-69 के दौरान पालम हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे के प्रवेश-टिकटों की बिक्री से क्रमशः 1.9 लाख रुपये और 3.6 लाख रुपये की आय होने का अनुमान है।

(ख) यह आय भारत की समेकित निधि (कन्सोलिडेटेड फण्ड आफ इंडिया) के नाम में जमा कर दी जाती है और किसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सुरक्षित नहीं की जाती।

(ग) व्यय 65,000 रुपया वार्षिक होने का अनुमान है ।

Foreign Assistance to Koyna Earthquake Victims

833. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of countries who have promised to give assistance for victims of Koyna earthquake ;

(b) the amount of assistance received from them so far ;

(c) whether Government have received any communication from any country regarding the distribution of this amount to the victims ; and

(d) whether any promise of help has also been made by OXFAM associations also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri K.S. Ramaswamy):

(a) and (b) : The quantum of assistance received from foreign countries for the victims of Koyna earthquake is as follows :

(i) About 8000 lbs. of skimmed milk powder from Australia ;

(ii) About 1,000 tonnes of wheat from Netherlands received though the Ramakrishna Mission ;

(iii) About 3000 Kgs. of sugar, 25 tonnes of food stuffs, 42 boxes of medicine and 4000 Kgs. of condensed milk powder from U. S. S. R.

In addition, USA have donated Rs.100,000 and West Germany Rs.25,000 . The U. N. O. have offered Rs.20,000 ($1.50 lakhs) and 1000 tonnes of foodgrains.

The Department of Food, Government of India, have also received an offer of 21 tonnes of skimmed milk powder from the Australian organisation 'Food for Indian Campaign' and another offer of 480 tonnes of wheat from the Chruch World Service, New Delhi.

(c) No.

(d) Government of India have not received any such offer.

नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के फ्लैटों में चोरियाँ

834. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 और 1967 में नार्थ एवेन्यु और साउथ एवेन्यु में संसद् सदस्यों के फ्लैटों में कई चोरियां हुई हैं ;

(ख) कुल कितनी चोरियां हुई हैं और कितने रुपये का माल चुराया गया ;

(ग) इनमें से कितनी चोरियों का पता लग चुका है; और

(घ) सरकार द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) से (ग) :

वर्ष	अपराध शीर्षक	सूचित मामले	चोरी की गई सम्पत्ति का मूल्य	पता लगाये गये तथा चालान किए गए मामलों की संख्या
1966	चोरी तथा सेंधमारी	16	5301 रु०	1
1967	तदेव	33	21,420 रु०	1

(घ) दो पुलिस चौकियां, एक साउथ एवेन्यु और एक नार्थ एवेन्यु में स्थापित की गई हैं ताकि इन क्षेत्रों में पुलिस और अधिक सतर्कता से कार्य कर सके । इसके अतिरिक्त इन दोनों एवेन्यु में पुलिस द्वारा चौबीसों घण्टे गश्त लगाना कायम है ।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन दल

835. श्री सिद्दिया : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के बारे में श्री यार्दी की अध्यक्षता में नियुक्त दल ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) क्या उनमें से किसी सिफारिश को इस बीच क्रियान्वित किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) गृह मन्त्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एम० आर० यार्दी की अध्यक्षता में, अनुसूचित जातियों को भूमि आवंटन के लिए किये गए उपायों और सेवाओं में उनके प्रतिनिधियों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए, नियुक्त कार्यकारी दल द्वारा रोजगार से सम्बन्धित दी गई सिफारिशों के सार का एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 105/68)

(ख) सरकार सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

Assam Road

836. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that erosion from Ghagra river has posed a threat to Assam Road near Sahai and Behram Ghat villages in Bara Banki District of Uttar Pradesh since August 1967 and that if preventive measures are not taken before the next monsoons, the road is likely to be washed away ; and

(b) if so, the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) The National Highway connecting Uttar Pradesh with Assam and passing through Bara Banki District crosses the Ghagra river at Ayodhya and not near Sahai (which should realy be Sohi) and Behram Ghat villages.The Bareilly-Amingaon Lateral Road financed by the Government of India also does not pass through the Bara Banki District. Presumably, the Hon'ble Member is referring to the road passing below the site of the railway (Elgin) bridge across the Ghagra river near the Behram Ghat and Sohi villages. It is a State road and the Government of Uttar Pradesh are concerned with all matters relating to it.

Allahabad High Court Work in Hindi

837. **Shri Ram Sewak Yadav**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether any application has been received from the Government of Uttar Pradesh urging the President to allow Allahabad High Court to conduct their work in Hindi; and

(b) if so, whether necessary orders have been issued by his Ministry in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) After the use of Hindi for arguments in civil cases beore the Allahabad High Court was authorised on 18th June 1966, no further reference has been received.

(b) Does not arise.

Secret Orders on use of Hindi

838. **Shri Ram Sewak Yadav : Shri N. S. Sharma:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a secret order has been issued by this Ministry to the effect that work should be got done in English also from those Government employees who have been posted to do Hindi work or who are doing work in Hindi ;

(b) whether it is also a fact that those employees who would or would not do work in English are liable to disciplinary action being taken against them merely because they want to work in Hindi; and

(c) if so, the reasons for issuing such an order ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs(Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

U. S. Aid to Indian Universities

839. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total amount and conditions attached to each aid given to the Indian Universties by the Government of U. S. A. and by institutions like the Ford Foundation during the last five years ; and

(b) whether the Universities or other eductional institutions seek the permission of Government before accepting such aids ?

The Minister of Education (Shri Triguna Sen) :

(a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(b) Yes, Sir. The Universities have been asked to seek Government's approval before accepting such aid.

पृथक पर्वतीय राज्य की मांग

840. **श्री नायनार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिसम्बर में हुई सर्व-दलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन की बैठक में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि एक पृथक पर्वतीय राज्य की स्थापना के लिये एक विधेयक पेश किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सारे मामले की जांच की जा रही है । अतः सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है ।

केरल में पर्यटन का विकास

841. **श्री नायनार :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को पर्यटन के विकास के लिये सहायता देने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिये पर्यटन विषयक चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में अस्थायी रूप से 45 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है; जिसमें से केन्द्र का हिस्सा 22·50 लाख रुपये है । योजना में सम्मिलित की गयी स्कीमें उनके लिये नियत की गयी धनराशि के साथ नीचे दी गयी हैं :—

	(लाख रुपये)
(क) पेरियार वन्य पशु शरण स्थान पर पर्यटन सुविधाओं का विकास ।	8·50
(ख) कोचीन और त्रिवेंद्रम में पर्यटन सुविधाओं का विकास-बोलगाथी पैलेस, नौकाओं तथा लौंचों में सुधार ।	8·50
(ग) मोटर लौंचों की खरीद	8·00
(घ) कैनानोर में पर्यटक बंगले का निर्माण ।	5·00
(ङ) कुट्टानाद में पर्यटक बंगले का निर्माण ।	5·00
(च) वेकम रेस्ट हाउस का सुधार	1·00
(छ) अंतर्जल के किनारे कोट्टायम में एक पर्यटक बंगले का निर्माण ।	3·00
(ज) अलवाये में पर्यटक बंगले का सुधार ।	6·00
	45.00

1969-70 से प्रारम्भ होने वाली चौथी योजना में सम्मिलित करने के लिये स्कीमों पर नये सिरे से विचार किया जायेगा ।

पेरियार वन्य पशु शरण स्थान पर पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिये पर्यटन विभाग के चालू वर्ष के बजट में 1.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

लन्दन स्थित ब्रिटिश विदेशी कार्यालय को जाली तार

842. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के उस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक जाली तार लन्दन स्थित विदेश-कार्यालय को भेजा गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है और कहा जाता है कि यह जाली तार ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ब्रिटिश उच्चायुक्त विदेश मन्त्रालय के ध्यान में यह बात लाये थे ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में की गई जाँच से प्रतीत हुआ है कि उक्त दस्तावेज जाली था ।

सड़क और पत्तन की सुविधाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता

843. श्री वेदव्रत बरुआ : श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सड़क तथा पत्तन की सुविधाओं के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता माँगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) और (ख) : जी हां, । मारमोगाव पोर्ट ट्रस्ट ने 4-1-68 को विश्व बैंक की एक संलग्न संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् को प्रतिवेदन दिया है जिसमें मारमोगाव पत्तन विकास की लगात के अंश की पूर्ति के लिये सहायता मांगी गई है जिसमें विदेशी मुद्रा की पर्याप्त राशि होगी । तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय कोणों से परियोजना का मूल्यांकन करने के लिये आई० डी० ए० द्वारा भारत को दल भेजे जाने की आशा है । दल के आने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सड़क सुविधाओं के विकास के लिये विश्व बैंक (आई० डी० ए०) से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

844. वेदव्रत बरुआ : क्या गृह-कार्य मन्त्री 15 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 660 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के उन सरकारी कर्मचारियों की जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

Pay Scales of Teachers

845. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of States where there is a disparity in the pay-scales of teachers of Government Schools and private Schools ;

(b) the details thereof ; and

(c) the steps being taken by the Central and the State Governments for removing this disparity ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) to (c) The recent study made by Education Commission revealed that there was disparity between the pay-scales of teachers of Government Schools and those of private schools in eight States. The extent of the disparity varied from State to State and from category to category of teachers.

Efforts are being made to remove the disparity to the extent that financial resources permit.

Regional Languages as Media of Instruction

846. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Universities State-wise along with the number of subjects for which they have adopted Indian languages as media of instructions ; and

(b) the scheme formulated by the Central Government for putting this principle into practice ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT—106/68]**

(b) The manner and speed of the programme of change-over to regional languages as media of education is to be left to the University system. Financial assistance will, however, be given to the State Governments for production of suitable books of university level to assist this change over. The State Governments have already been asked to formulate their schemes for the production of textbooks in regional languages .

प्रशासनिक सुधार आयोग

847. **श्री दीवान चन्द शर्मा :** **श्री नारायण रेड्डी :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने काम में क्या प्रगति की है; और

(ख) इस आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) आयोग ने अब तक सरकार को निम्नांकित विषयों में चार प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं :—

(i) नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएँ ;

(ii) योजना के लिये मशीनरी;

(iii) सरकारी क्षेत्र उपक्रम; और

(iv) वित्त, लेखा तथा लेखापरीक्षा ।

आयोग ने शासन के विभिन्न पहलुओं के परीक्षण के लिये अनेक अध्ययन दल तथा कार्यकारी दल नियुक्त किये । इसे अभी पांच अध्ययन दलों, दस कार्यकारी दलों तथा एक विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन प्राप्त होना बाकी है । अतएव इस अवस्था में आयोग के काम पूरा हो जाने की कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

विदेशों में जाने वाले वैज्ञानिक

848. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं जो पिछले दस वर्ष में वर्षवार अपने खर्च पर विदेशी विज्ञापनों के आधार पर विशिष्ट पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए विदेश गये हैं और उनकी ज्ञान विशिष्टता के क्षेत्र कौन-कौन से हैं ;

(ख) उन वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं जो वापस नहीं आये और जिन्होंने भारत सरकार की अनुमति से विदेशी राष्ट्रीयता अपना ली; और

(ग) उन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं जिन्हें उनके प्रशंसनीय कार्य पर विदेशी पुरस्कार मिले हैं और भारत सरकार की उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जहां उनके विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठाया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता अपनाने के लिए किसी भारतीय को भारत सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिकों का विदेश गमन

849. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में, वर्षवार भारत सरकार के खर्च पर उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों में गये तथा वापिस आये वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन-किन विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है;

(ख) जिन वैज्ञानिकों ने सरकार की अनुमति से विदेशी राष्ट्रीयता अपनायी है, उनके नाम क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार ने कितना धन खर्च किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता अपनाने के लिए किसी भारतीय को भारत सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ग) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

Confiscated Documents of a Birla Firm

850. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the C. B I. had filed an appeal in the Supreme Court in connection with the confiscated documents of a Birla firm ;

(b) if so, whether the appeal has been dismissed by the Supreme Court ; and

(c) the reasons for confiscating these documents ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) The C. B. I. had filed and appeal in the Supreme Court against the order of the Gujrat High Court to the effect that the seizure of documents from Messrs New Swadeshi Mills by the C. B. I. in connection with a case registered against a group of Birla Textile Mills was not in accordance with law.

(b) In pursuance of a suggestion made by the Supreme Court, a working arrangement was arrived at and in supersession of the Gujrat High Court's order, the Supreme Court passed an Order giving details of the arangments in regard to documents required for investigation and dismissed the appeal of the C. B. I.

(c) The documents were not confiscated but seized after a search for purposes of investigation

Conversion of Adivasis

852. **Shri Baswani** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any complaints have been received form the Madhya Pradesh Government in regard to conversion of Adivasis into Christianity by Christian Missionaries ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Funds Received by Students from Foreign Institutions

853. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Education** be pleased to state the number of Students receiving education in the country during 1967-68 with the finances provided by various foreign non-Government educational agencies like the Ford Foundation etc ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : Ministry of Education do not have this information.

Centrally Managed Schools in Bihar

854. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Eduestion** be pleased to state :

(a) the number of Centrally-run High Schools and Higher Secondary Schools in Bihar and the manner and the basis on which the Central Government manages these Schools and whether their number is comparatively less than those in other States ;

(b) whether Government propose to increase their number in Bihar and other States; and

(c) if so, the details in respect of each State ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) There are six Kendriya Vidyalayas in Bihar. They are being managed by the Kendriya Vidyalaya Sangathan, which is an autonomous organization registered under the Socities' Registration Act, and has been set up by the Government of India in the Ministry of Education, specifically for the purpose of managing Kendriya Vidyalayas all over the country . The number of such schools in other States ranges from three to twenty-one.

(b and (c) It may not be possible to increase the number of Kendriya Vidyalayas in any State in the near future.

Regional Language Policy

855. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the extent of progress made by the Central as well as State Governments in the implementation of the regional language policy and the results of translation, writings and publications of text books keeping this in view ; and

(b) if no progress has been made, the obstacles in its way and the action proposed to be taken by Government to overcome them ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) The Commission for Scientific and Technical Terminology has already brought out 125 standard books of university level. Out of these, 110 books are in Hindi and 15 in other Indian languages. These published books cover different subjects under science, technology, humanities and social sciences. Besides these published books, 127 books are in the press and 26 are press-ready.

Government of India his requested the State Governments to formulate schemes for production of text books in regional languages. Some of the State Governments have already set up Boards for working out details of the schemes for the purpose.

(b) No specific obstacle has yet come to the notice of the Government of India.

विद्रोही मिजो लोगों द्वारा गांव जलाया जाना

856. **श्री क० प्र० सिंह देव:** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जनवरी, 1968 को ऐजूल से 30 मील की दूरी पर मिजो विद्रोहियों ने तलुगवेन नामक पुनर्गठित गांव में लगभग 20 घरों की एक पंक्ति को बिलकुल जला दिया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिसम्बर, 1967 में इन विद्रोहियों ने बुमतलांग नामक पुनर्गठित गांव में लगभग 50 घरों को जला दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दोनों अवसरों पर मकानों को आग लगाने से पहले विद्रोहियों ने घोषणा कर दी थी कि गैर-कानूनी घोषित मिजो नेशनल फ्रन्ट को ग्रामीणों द्वारा कर न दिये जाने के कारण उनको सजा देने के लिये ऐसा किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इन गाँवों की रक्षा करने के लिये सरकार ने कौन-सी रक्षा कार्यवाही की है ; और

(ङ) आग लगने से कितनी हानि हुई है ; और

(च) अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को कितनी सहायता दी गई है ?

गृह--कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 6 जनवरी, 1968 को मिजो विद्रोहियों ने बड़े सवेरे तलुंगवेल के 18 मकानों को आग लगा दी।

(ख) 7 दिसम्बर, 1967 को विद्रोहियों के एक गिरोह ने बंगटलांग ग्रुप के केन्द्र पर गोली चलाई और जवाबी गोली में एक झोपड़ी को आग लग गई जिसके परिणामस्वरूप 56 झोपड़ियाँ नष्ट हो गईं ।

(ग) ऐसी किसी पूर्व घोषणा की कोई जानकारी नहीं है तथा विद्रोही वफादार ग्रामवासियों को आंतकित करने की इच्छा रखते थे ।

(घ) ग्रुप केन्द्रों में सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा कर दिया गया है। कुछ चुने हुए स्वयं सेवकों को हथियार देने का भी प्रस्ताव है।

(ङ) तथ्यों को सुनिश्चित किया जा रहा है ।

(च) आग से पीड़ित प्रत्येक परिवार को 100 रु० के मूल्य के कपड़े, कम्बल, बर्तन आदि दिये गये हैं। बंगटलांग में नष्ट हुए मकानों का पूर्णरूप से पुनः निर्माण किया गया है तथा तलुंवैगल में यह काम पूरा होने वाला है। जिनका अनाज का भंडार नष्ट हो गया उन्हें निःशुल्क राशन दिया जा रहा है तथा पीड़ित परिवारों को निःशुल्क धान के बीज आदि देने के लिये प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

मनीपुर में सशस्त्र नागाओं का प्रवेश

857. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए नागा लोग जिन्होंने पीकिंग में गुरिल्ला युद्ध-प्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अपर बर्मा के सोमरा क्षेत्र से, मणिपुर के उखरूल सब-डिवीजन में छोटी-छोटी टोलियों में प्रवेश कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये विद्रोही नागा लोग अपने साथ चीनी स्वचालित शस्त्रास्त्र तथा गोलाबारूद भी ला रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो सीमाओं की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सीमा उलंघन को रोकने के लिये सुरक्षा दलों द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है। चीन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् किसी विद्रोही के लौटने की अब तक कोई निश्चित सूचना नहीं है।

फिल्म उद्योगों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये राष्ट्रपति का पुरस्कार

858. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** **श्री जुगल मंडल :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या इस वर्ष गणतंत्र-दिवस पर राष्ट्रपति के पुरस्कार के लिए फिल्म उद्योगों से संबन्धित कुछ व्यक्तियों के नामों की सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी व्यक्ति ने इस पुरस्कार को स्वीकार करने से इन्कार किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) पूछी गयी सूचना का देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

बदरपुर–जोआई–शिलांग सड़क

859. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर--जोआई--शिलांग सड़क को वर्ष भर खुली रहने वाली सड़क बना दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) और (ख) चूंकि यह राज्य सड़क है अतः इसे विकसित करने का मूल-दायित्व राज्य सरकार का है। उसकी महत्ता के कारण भारत सरकार ने जोवाई से बदरपुर तक उसके निर्माण की लागत देना स्वीकार कर लिया है । बदरपुर में बरक नदी और लुभा नदी के ऊपर पुलों को छोड़ कर यह सड़क सब ऋतुओं में व्यवहत योग्य बनाई गई है ।

कठिन नींव की दशा के कारण लुभा पुल के पूर्ण होने में देरी हो गयी और पुल को मूल डिजाइन में परिवर्तन जरूरी हो गया। पुल के शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की आशा है ।

बरक पुल का निर्माण नवम्बर, 1967 में स्वीकृत किया गया था और कार्य शीघ्र शुरू हो जायेगा ।

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिल्चर

860. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज खोलने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उस इंजीनियरी कालेज का प्रशासनिक कार्यालय इस समय कहां है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कालिज को संस्था के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है । प्रधानाचार्य की नियुक्ति और अभिशासकों के बोर्ड का गठन किया जा चुका है। विस्तृत आयोजनाएं और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) कालिज का प्रशासकीय कार्यालय शिलोंग में कार्य कर रहा है ।

आसाम में न्यायाधिकरण

861. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा ; क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठियों के मामलों पर विचार करने वाले न्यायाधिकरणों को मार्च, 1968 तक बन्द करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आसाम में अभी कितने घुसपैठिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) लगभग 75,000.

पारादीप बन्दरगाह

862. श्री स० कुन्डू : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में पारादीप बन्दरगाह में जहाज खड़े करने का स्थान (कार्गो बर्थ) का निर्माण करने तथा उस बन्दरगाह के तल की और अधिक सफाई करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) से (ग) पारादीप पत्तन में एक सामान्य माल घाट के और घुमाऊ घेरे को चौड़ा करने के लिये मूल निकर्षण के निर्माण का जिससे पत्तन अपनी मौजूदा 50000 डी० डब्लू० टी० पोतों के आवागमन की क्षमता के विपरीत 60000 डी० डब्लू० टी० के पोतों का आवागमन कर सके के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

उड़ीसा में छोटे बन्दरगाह

863. श्री स० कुण्डू : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उड़ीसा के चन्दबाली तथा गोपालपुर नामक छोटे बन्दरगाहों का सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इन बन्दरगाहों का सुधार करने के लिये कोई और प्रस्ताव भी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर०वी० राव) :

(क) से (ग) चन्दबाली और गोपालपुर के लघु पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व उड़ीसा की राज्य सरकार का है । उन्होंने रिपोर्ट की है कि तीसरी योजना अवधि में चंदबाली पत्तन से सम्बन्धित सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल पर 2.79 लाख रुपये का व्यय

किया गया था और गोपालपुर पत्तन के बारे में विकास योजना बनाने के प्रयोजन के लिये उपयोगी आंकड़े जमा करने, खोजबीन तथा सर्वेक्षण करने में 50 लाख रुपये ।

राज्य सरकार ने अभी हाल ही में एक और प्रस्ताव भेजा है जिसमें चन्दबाली और गोपालपुर पत्तनों के विकास के लिए क्रमशः 17.25 लाख रुपये और 5.60 लाख रुपये की सीमा तक केन्द्रीय सहायता मांगी गई है । स्कीम जलीय सर्वेक्षण, निकर्षण, जेटियों का निर्माण, चन्दबाली में एक कारखाने की स्थापना और गोपालपुर में माडल अध्ययन से सम्बन्धित हैं ।

उड्डयन क्लब

864. **श्री० क० प्र० सिंह देव:** क्या पर्यटन और असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विमान चलाने के प्रशिक्षण के भावी कार्यक्रम तथा भारत में उड्डयन क्लबों के कार्य के बारे में विचार करने के लिए एक समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह):

(क) और (ख) जी, हां । नागर विमानन के महानिदेशक (नामित) की अध्यक्षता में एक विभागीय समिति स्थापित कर दी गयी है जिसमें रक्षा मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय, आई० ए० सी०, एयर इण्डिया और एयरो क्लब ऑफ इण्डिया में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया गया है । इस समिति का उद्देश्य मौजूदा 'फ्लाइंग' और 'ग्लाइडिंग' उपदान स्कीमों का पुरालोकन करना तथा देश में फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लबों के भविष्य में कार्य के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करना होगा ताकि इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध निधियों की सीमा के अन्दर रहते हुये सार्थक उड़ान-कार्य (फ्लाइन्ग) को प्रोत्साहित किया जा सके ।

(ग) समिति के अपनी रिपोर्ट इस वर्ष के दौरान प्रस्तुत कर देने की आशा है ।

दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन

866. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को एक दक्ष महा-नगरीय पुलिस दल बनाने की दृष्टि से इसका पुनर्गठन करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उप-राज्यपाल द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) उप-राज्यपाल ने दिल्ली पुलिस दल में और अधिक दक्षता और अनुशासन लाने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं ।

(ख) और (ग) सरकार इन पर विचार कर रही है।

विमान सेवाएं पुनः चालू करने के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत

867. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवाएं पुनः चालू करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ बातचीत पूरी हो चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई सेवाओं को पुनः स्थापित करने के लिये सरकार के बातचीत को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया । परन्तु भारत सरकार ने परस्पर रुचि के अन्य मामलों के साथ इस मामले का भी भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा के लिये सुझाव दिया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र

868. श्री मोहसिन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय के परिपत्र केवल हिन्दी में ही जारी किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उससे अहिन्दी-भाषी राज्यों को कोई चिन्ता उत्पन्न हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्रोही मिजो लोगों की कार्यवाहियां

869. श्री दीवीकन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 के पहले सप्ताह में मिज़ो पहाड़ी जिले में हुई मुठभेड़ों में सुरक्षा सेनाओं द्वारा 6 विद्रोही मिज़ो मारे गये और 24 विद्रोही मिज़ो पकड़ लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन मुठभेड़ों में कुछ विदेशी हथियार तथा व्यक्ति पकड़े गये थे ; और

(घ) इन मुठभेड़ों में सुरक्षा सेना के कितने कर्मचारी घायल हुए तथा कितने मारे गये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1 ली से 7वीं जनवरी, 1968 तक की अवधि के दौरान 2 मिज़ो विद्रोही मारे गये और 68 पकड़े गये ।

(ग) कोई विदेशी नहीं पकड़ा गया। इन मुठभेड़ों के दौरान पकड़े गये हथियारों पर चिन्ह मिटाये गये पाये गये।

(घ) सुरक्षा दलों का एक कर्मचारी मारा गया और 30 घायल हो गये ।

आंग्ल भारतीय स्कूल

870. श्री विश्वनाथन : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों द्वारा जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कायम रखने की अवस्था में स्कूलों के प्रबन्धकों को स्कूल बन्द करने के लिये कह दिया गया है, आंग्ल-भारतीय स्कूलों के लिये पैदा हुए खतरे की जानकारी है; और

(ख) अल्पसंख्यक जातियों के हितों तथा उनके स्कूलों की रक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) भारत सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए कोई नया कदम उठाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी ।

व्योम बालाओं की भर्ती

871. श्री विश्वनाथन : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डियन एयरलाइंस द्वारा व्योम बालाओं के चयन के लिये दिये गये विज्ञापन की जानकारी है, जिसमें हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य अपेक्षित था ;

(ख) क्या यह बात सरकार द्वारा बार-बार दिये गये इस आश्वासन का उल्लंघन नहीं करती कि भर्ती के समय हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य नहीं होगा ; और

(ग) यदि हां, तो अहिन्दी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के प्रति किये गये अन्याय को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार का कारपोरेशन के साथ सलाह मशविरा करके इस बात पर विचार करने का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सेवाओं अथवा पदों के लिये भर्ती के बारे में संसद् द्वारा पारित संकल्प को कारपोरेशन की सेवाओं अथवा पदों के बारे में किस प्रकार कार्यान्वित किया जाये ।

राजनैतिक और श्रमिक विवादों में पुलिस द्वारा निवारक कार्यवाही

872. श्री लोबो प्रभु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है, कि पुलिस ऐसे राजनैतिक और श्रमिक विवादों की घोषणा हो जाने पर, जिनसे शांति भंग होने की सम्भावना है, कानून के अन्तर्गत निवारक कार्यवाही करे ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से निकट सम्पर्क बनाये रखती है।

Refusal of Presidential Awards

873. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons who have returned their awards in protest against the Official Language Bill passed by Parliament recently ;

(b) whether they have returned the cash prize accompanying these awards ; and

(c) if so, their names ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) to (c) The following six persons have returned the medals after renouncing the Padma Awards in protest against the Offical Languages (Amendment) Bill :—

1. Shrimati Mahadevi Verma.
2. Shri Sumitranandan Pant
3. Dr. Govind Das.
4. Shri Haribhau Upadhyaya.
5. Shri Akshaykumar Jain.
6. Shri Gopal Prasad Vyas

No cash prizes are attached to these awards.

हिन्दी में टिप्पणी लिखना

874. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में कितने प्रतिशत फाइलों में टिप्पणी-लेखन हिन्दी में किया जाता है ;

(ख) कितने प्रतिशत फाइलों में यह टिप्पणी-लेखन अन्तिम आदेश दिये जाने तक जारी रहता है ;

(ग) हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों तथा मंत्रियों के लिये इस भाषा में टिप्पणियों को समझने के लिये क्या सुविधायें दी जाती हैं।

(घ) प्राप्त होने वाले अथवा भेजे जाने वाले कुल पत्रों और उत्तरों में कितने प्रतिशत हिन्दी के होते हैं ; और

(ङ) यदि इस भाषा के प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की अयोग्यता के कारण हिन्दी में टिप्पणियां नहीं लिखी जा सकती है तो कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बदलने की आवश्यकता है और इसके लिये सरकार का किस प्रकार व्यवस्था करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ख) चूंकि लिखने वाले की इच्छा के अनुसार सचिवालय की फाइलों पर टिप्पणी लिखने के लिए

हिन्दी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, इस सूचना को एकत्रित करने में जो समय और धन का व्यय होगा वह प्राप्त हुये परिणामों के तुल्य नहीं होगा । यद्यपि आमतौर पर कहा जाता है कि उन फाइलों की संख्या, जिन पर आंशिक रूप से या सम्पूर्ण रूप से हिन्दी में टिप्पणी लिखी जाती है, वर्तमान में बहुत कम है ।

(ग) सम्बन्धित हिन्दी टिप्पणी का अंग्रेजी में अनुवाद या कम से कम उसका सार प्रस्तुत किया जाता है ।

(घ) 31-12-66 को समाप्त होने वाले आधे वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले और भेजे जाने वाले कुल हिन्दी पत्रों में से लगभग 80 प्रतिशत पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया ।

(ङ) राज भाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 में सरकारी कार्य के लिए हिन्दी और अंग्रेजी का समान रूप से प्रयोग करने की व्यवस्था है । अतः अधिकारियों या कर्मचारियों को केवल इसलिए कि वे हिन्दी में लिखने की योग्यता नहीं रखते, बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

समाचार पत्रों में कार्यक्रमों की घोषणा

875. श्री लोबो प्रभु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है कि समाचार-पत्र ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा करने में जिम्मेवारी से काम लें जिनसे शांति भंग होने की आशंका हो ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

समाचार-पत्रों ने शान्ति बनाये रखने से सम्बन्धित समाचारों के प्रकाशन में, कुल मिलाकर, आत्मसंयम से काम लिया है । अतएव सरकार की ओर से कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मंत्रियों का उद्घाटन समारोह में भाग लेना

876. श्री लोबो प्रभु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्घाटन-समारोहों में मंत्रियों और अधिकारियों के भाग लेने के बारे में कोई नियम बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जहां तक मन्त्रियों का सम्बन्ध है उद्घाटन-समारोह के बारे में न तो कोई नियम बनाये गये हैं और न कोई अनुदेश जारी किये गये हैं । इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के बारे में अनुदेशों की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रखी है। [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 107/68]

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष

877. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटकों को दी जाने वाली विशेष रियायतों को तीन महीने के लिये और बढ़ाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन रियायतों को बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इनके कारण सरकार को कितना नुकसान हो रहा है और पर्यटकों को इन विशेष रियायतों के जरिये हमारे देश में और अधिक धन खर्च करने के लिये प्रेरित करके कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) वीज़ा शुल्क के हटाने को छोड़ कर वे सब विशेष रियायतें जो विदेशी यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के अन्तर्गत दी गयी थीं 31.3.68 तक बढ़ा दी गयी हैं । इन रियायतों की अवधि इसलिये बढ़ा दी गयी है ताकि संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यू. एन. सी. टी. ए. डी.) में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को अधिक अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा सकें और इन रियायतों को स्थायी रूप से प्रदान करने के समस्त प्रश्न की जांच करने के लिए उपयुक्त समय मिल सके ।

(ग) इन रियायतों के वित्तीय प्रभाव को ठीक-ठीक आंक सकना प्रायः असम्भव है, परन्तु यह काफी निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इनसे विदेशी मुद्रा की हानि तो दूर रही लाभ अवश्य हुआ है । यात्रा व्यापार ने इन रियायतों का बड़ा स्वागत किया है क्योंकि इनसे और अधिक विदेशी यात्रियों को भारत आने के लिये प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है, तथा पर्यटकों ने इनकी सराहना की है ।

फिरोजपुर और हारिके में सिंचाई हैडवर्क्स का नियंत्रण

878. श्री गु० सिं० ढिल्लों : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मन्त्री दिसम्बर, 1967 के तीसरे सप्ताह में उनसे मिले थे और यह मांग की थी कि फिरोजपुर और हारिके स्थित सिंचाई हैडवर्क्स भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड से वापस लेकर पंजाब सरकार को हस्तांतरित कर दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) वर्तमान पंजाब के मुख्य मन्त्री 17 दिसम्बर, 1967 तथा कुछ अन्य अवसरों पर मुझसे मिले थे किन्तु मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने विशेष रूप से इस विषय पर मुझसे चर्चा की थी ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तुंगभद्रा पर पुल

879. श्री अगाड़ी : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री 27 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3726 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर में माधववरम मन्त्रालय और करनूल जिलों की सीमा के निकट तुंगभद्रा नदी पर अन्तर्राज्यीय पुल बनाने के सम्बन्ध में अब आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां तो, उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख) अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार से माधवावरम मन्त्रालय मार्ग पर तुंगभद्रा नदी पर पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी मैसूर सरकार से प्राप्त प्रार्थना पर की इस पुल के लिये अनुदान दिया जाये चतुर्थ योजना आवंटन को अन्तिमरूप दिये जाने के बाद विचार किया जायेगा ।

Forcible Collection of Taxes by Mizos and Kukis

880. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mizo-Kuki rebels are collecting contributions forcibly at the rate of Rs.10 per family from the residents of Sadar Hills area,a major portion of which will be deposited in the Mizo Fund ;

(b) if so, the action taken by Government to give help such helpless people of that area; and

(c) the results thereon ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y.B. Chavan) :

(a) to (c) Attempts were made by these hostiles to extort funds from some villages in Sadar Hills sub-division of Manipur but these were largely unsuccesssful on account of action taken by the Government in strengtheing police posts and giving assistance to the villagers for defend ing themselves.

Pakistani Agents

881. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government have published the names of those Indian citizens in their Gazette who as Pakistani agents, have been supplying information regarding the movement of our armies to Pakistan during the Indo-Pak conflict consequent to which our armies had to retreat and who thereafter fled to Pakistan ; and

(b) if so, the steps taken by Government in the interest of the security of the country to ensure that the people settled on the border of Rajasthan could not again indulge in such anti-national activities in future ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) No, Sir

(b) Adequate machinery exists to counter the activities of anti-national elements and constant vigilance is maintained in this regard by the agencies concerned.

Arrests on Charge of Spying Against India

882. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian citizens arrested since 1962 so far on the charge of spying against India within the Indian territory ;

(b) the number of persons prosecuted and punished and the number of cases pending in ourts in each State, year-wise; and

(b) the action proposed to be taken by Government to check such activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) A statement containing information received from 7 State Governments and 7 Union Territories is attached. **[Placed in Library. See No. LT—108/68]** Information relating to the remaining States and Union Territories is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Adequate arrangements exist for countering espionage activities in the country.

Fast by Deputy Mayor of Delhi

883. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Dy. Mayor of Delhi observed a fast in front of his official residence in Delhi on the 17th January, 1968 ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) Yes, Sir.

(b) The fast was stated to be in protest against the alleged police excess at the Palam Air Port at the time of the departure of Shri Ulug-Zade Aziz SATIEMONICH.

(c) Government do not consider that any action is called for.

State Government Employees on Deputation at Centre

884. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3139 , dated the 6th December, 1967 and state :

(a) the number of State Government employees on deputation with Central Government who are receiving pay and dearness allowances, etc. according to Central Government scales ;

(b) whether those of such employees as are getting pay and dearness allowances at State Government grades plus deputation allowance, were consulted in regard to their preference for Central Government scales or State Government scales :

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) the number of those employees who are getting State Government Scales ;

(e) whether it is a fact that orders have been issued in some of the subordinate offices of the Ministry of Home Affairs that only State Government scale and dearness allowance are permissible to employees coming on deputation from their respective States; and

(f) if not, whether Government would consult them about their option for Central Government scales or State Government scales plus deputation allowances ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) to (f) Under the existing orders every State Government employee who is selected for deputation at the Centre to a post carrying a pay scale higher than the scale of pay of the post from which he comes, has the option either to elect to receive his grade-pay as applicable to him under the State Government plus deputation allowance or to receive pay in the pay-scale of the post to which he has been deputed at the Centre. If he elects to draw the former he would be entited to dearness allowance at the rates as admissible to him under the State Government. Should he, however, elect to receive pay in the pay-scale at Central Government rates, he would be entitled to dearness allowance at Central Government rates. There is, thus, no element of compulsion and the employees concerned are free to choose between the State and Central Government rate, whichever is more beneficial to them. However, there are certain posts, e. g., Central Reserve Police at the Centre, for which special deputation terms are allowed. There terms provide for pay in the Central Government posts being fixed at the grade-pay admissible to the officer under the State Government plus a special pay and in some cases a deputation allowance or compensatory allowance in addition. Since the officers who come on deputation to such posts draw State scales of pay, they are entitled to dearness allowance only at State Government rates. In respect of deputation to the Centre to posts carrying equivalent scales of pay, now no deputation allowance is admissible but the deputationists draw pay in the pay scale of the post at the Centre or in the State scale applicale to him, at this option and also draw dearness allowance at the Central or State rates, as the case may be. Even in these cases there is no element of compulsion, since the officer's consent would be taken before he is deputed by the State Government.

The information relating to the number of State Government employees on deputation to the Centre who are drawing pay at State Government rates or at the Central Government rates, as the case may be, is not readily available.

Theft of Documents connected with Kutch Dispute

885. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some important documents connected with Kutch dispute have been stolen from the Gujarat Police custody ; and

(b) whether an enquiry has been conducted by Government in this regard and if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) The Gujarat Government have enquired into the allegations about missing of some documents connected with Kutch dispute from the custody of Gujarat Police. The enquiry has revealed that there is no truth in the allegations. The Government of Gujarat have intimated that no important document connected with the Kutch dispute has been stolen from the custody of the Gujarat police.

(b) Does not arise.

Damage caused by Agitations in Gauhati

886. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the extent of loss of Central Government property suffered as a result of the agitations that broke out in Gauhati on the 26th January, 1968 ;

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

त्रि-भाषी सूत्र

887. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री मयावन :
श्री मोहन स्वरूप : श्री देवराव पाटिल :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने त्रि-भाषी सूत्र में कोई परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी हाँ ।

(ख) सुझावों में बहुत विभिन्नता है जो अध्ययन की जाने वाली भाषाओं की संख्या चार तक बढ़ाने से लेकर, दो तक घटाने के बारे में है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

मनीपुर में सांस्कृतिक एकता सम्मेलन

888. श्री मेघचंद्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में एकता स्थापित करने हेतु मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में 27 और 28 जनवरी, 1968 को एक सांस्कृतिक एकता सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार मनीपुर के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों की जनता में निकटतम एकता के होने का स्वागत करेगी ।

मनीपुर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

889. श्री मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री कोइरिंग सिंह के नेतृत्व में मनीपुर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मनीपुर की स्थिति के सम्बन्ध में फरवरी, 1968 के पहले सप्ताह में गृह मन्त्री तथा अन्य नेताओं से मिला था ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) इस अवधि में मुझसे न तो श्री कोइरिंग सिंह और न उनके नेतृत्व में कोई प्रतिनिधि मंडल ही मिला था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मणीपुर की हज समिति

890. **श्री मेघचंद्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की हज समिति ने अपने भूतपूर्व प्रधान द्वारा वर्ष 1967 के आवेदन कर्त्ताओं से लिये गये हज शुल्क का गबन किये जाने के आरोपों के आधार पर उसके विरुद्ध इम्फाल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का गबन बताया जाता है ; और

(ग) मामला किस न्यायालय में विचाराधीन है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) 38636 रु०

(ग) पूर्वोक्त शिकायत प्राप्त होने पर, मनीपुर सरकार ने भारतीय दंड-संहिता की धारा 406 के अधीन मामला दर्ज किया । अभी मामले की जांच की जा रही है ।

गोहाटी में राष्ट्रीय ध्वज जला दिया जाना

891. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1968 को गोहाटी में राष्ट्रीय ध्वज उतार दिया गया और जला डाला गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 26 जनवरी, 1968 को गोहाटी में कुछ स्थानों में राष्ट्रीय ध्वज उतार लिया गया । राष्ट्रीय ध्वज के जलाये जाने की एक शिकायत की जाँच की जा रही है ।

(ख) 26 जनवरी, 1968 को गोहाटी में हुई घटनाओं की जाँच करने के लिये सरकार ने एक जाँच आयोग का गठन किया है जिसके प्रधान आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे ।

विद्रोही नागाओं के मुखियों की चीन जाने की योजना

892. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुये नागा नेता तथा कथित नागा फेडरल आर्मी के कमान्डर-इन-चीफ, जनरल-मोवू अंगामी तथा भूतपूर्व छिपे हुये विदेश सचिव श्री इसाक स्वू चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी इस गतिविधि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) सरकार को इस बारे में सूचनाएँ मिली हैं ।

(ख) किसी भी बड़े विद्रोही दल को हमारी सीमाओं के पार जाने से रोकने के लिये हमारी सुरक्षा सेनाएँ सदा सतर्क रहती हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष में भारत आये विदेशी पर्यटक

893. **श्री रा० बरुआ :** क्या पर्यटन तथा अंसैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में जिसे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष के रूप में मनाया गया था, भारत में कुल कितने विदेशी पर्यटक आये; और

(ख) क्या सरकार ने कुछ योजनाएँ बनाई हैं जिनसे वर्ष 1968 में भी अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के पहले 9 महीनों में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 1,25,118 है जो कि 1966 की इसी अवधि में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या से 14.4% अधिक है । 1967 की अन्तिम तिमाही के आंकड़ों की अभी गणना नहीं की गयी है । लेकिन यह अनुमान है कि 1967 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या लगभग 1,78,000 होगी ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के दौरान पर्यटकों को दी गयीं आप्रवास और सीमा शुल्क औपचारिकताओं संबंधी रियायतें 31 मार्च, 1968 तक बढ़ा दी गयीं हैं । विदेशों में प्रचार और पर्यटन वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम को पर्यटन कार्यालयों, भारतीय दूतावासों और एयर इंडिया के कार्यालयों द्वारा और आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

श्री आर० पी० कपूर द्वारा लिखित पुस्तक 'रिवाल्यूशन ऑर डिक्टेटरशिप'

894. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व आई० सी० एस० अधिकारी श्री आर० पी० कपूर द्वारा लिखित पुस्तक 'रिवाल्यूशन ऑर डिक्टेटरशिप' की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) संविधान में सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता सुनिश्चित की है ।

"रेवोल्यूशन ऑर डिक्टेटरशिप" (क्रान्ति अथवा तानाशाही) नामक पुस्तक

895. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सिविल सेना के भूतपूर्व अधिकारी श्री आर० पी० कपूर द्वारा लिखित 'रेवोल्यूशन ऑर डिक्टेटरशिप' नामक पुस्तक की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे इस बात से संतुष्ट हैं कि बहुत सी गुप्त जानकारी जो भारत सरकार ने अब तक प्रकट नहीं की थी नहीं दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पुस्तक के लेखक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है, जिसने अब प्रगट की गई जानकारी अपनी सरकारी हैसियत में प्राप्त की हो ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस पुस्तक में सरकारी गुप्त सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Delhi Administration

896. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Executive Councillor and Lt. Governor of Delhi have approached Government separately in connection with the affairs of the Delhi Administration ;

(b) whether it is a fact that the Chief Executive Councillor has complained about the interference by the Lt. Governor in two cases particularly ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) The Chief Executive Councillor and the Lt. Governor do approach the various Ministries of the Government of India jointly or separately from time to time in connection with the affairs of the Delhi Administration.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Licences to Private Arms Dealers in Madhya Pradesh

897. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 473 on the 15th November, 1967 ad state :

(a) whether Government have since issued final orders to issue licences to the private arms dealers in Madhya Pradesh for the manufacture of muzzle-loading guns for crop protection purposes ; and

(b) if not, the causes for the delay ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No, Sir.

(b) In accordance with the Industrial Policy Resolution of the Government of India, manufacture of arms and ammunition is the exclusive monopoly of the Central Government. As the proposal of Madhya Pradesh Government involves modification of their present policy as enunciated in the Industrial Policy Resolution, the Government of India are considering the whole matter in consultation with the Ministries concerned.

मध्य प्रदेश में हिन्दी संस्थाओं को अनुदान

898. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में हिन्दी संस्थाओं को वार्षिक अनुदान देती है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन संस्थाओं के नाम तथा पते क्या हैं और 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में प्रत्येक संस्था को अलग-अलग कितना अनुदान दिया गया; और

(ग) इन हिन्दी संस्थाओं को किस आधार पर अनुदान दिये जा रहे हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)

(क) से (ग) स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को आर्थिक सहायता मुख्यतः हिन्दीत्तर प्रदेशों में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिये दी जाती है। हिन्दी भाषी प्रदेशों की हिन्दी संस्थाओं को केवल हिन्दी के विकास की योजनाओं के लिये ही सहायता मिलती है, जो योजना के स्वीकृत खर्चे के 75 प्रतिशत के आधार पर दी जाती है। मध्य प्रदेश में 1966-67 के वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भोपाल, को बीस हजार रुपये का अनुदान दिया गया था। 1965-66 और 1967-68 में मध्य प्रदेश की किसी अन्य संस्था को अनुदान नहीं दिया गया।

मनीपुर में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान

899. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के शिक्षा विभाग के किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को 1-4-1964 से लागू हुए पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने एच० ई० और जे० बी० स्कूलों के मुख्य अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान दे दिये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) अपेक्षित सूचना मणिपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पाकिस्तान में साहित्य सम्बन्धी चोरी

900. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी पाकिस्तान में हो रही साहित्य सम्बन्धी चोरी की ओर दिलाया गया है, जिसमें भारतीय लेखकों की पूर्व अनुमति लिये बिना उनकी सैकड़ों भारतीय पुस्तकों का प्रकाशन शामिल है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कदाचार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना कापीराइट के मालिकों पर निर्भर करता है।

जम्मू तथा काश्मीर

901. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी लोक-सभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा के दौरान, आम राय यह था कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य का भारत के साथ अधिक एकीकरण करने हेतु सरकार को और कार्यवाही करनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) उन विचारविमर्शों में सरकारी रुख के प्रति सामान्यतया सहमती थी कि धीरे-धीरे संविधान के और उपबन्ध जम्मू और काश्मीर राज्य में लागू किये जाये।

(ख) 1966 के दौरान जम्मू तथा काश्मीर राज्य में संविधान के 81, 325, 326, 327 और 329 अनुच्छेद उचित संशोधन के साथ लागू किये गये थे ताकि देश के शेष भागों की भाँति लोक-सभा के लिये सीधे चुनाव हो सके ।

1967 के दौरान में संविधान (19वां संशोधन) अधिनियम 1966 जिससे संविधान का 324 अनुच्छेद संशोधित हुआ था तथा संविधान (इक्कीसवाँ संशोधन) अधिनियम 1961 तथा संगामी सूचि की प्रविष्टियाँ 16.18 और 19 राज्य में लागू की गई थीं ।

चालू वर्ष में संघ की सूची की प्रविष्टी 72 राज्य में संशोधित रूप में लागू कर दी गई हैं ताकि चुनाव याचिकों के बारे में राज्य उच्च न्यायालय के फैसलों की उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सके ।

विद्रोही नागाओं, मिजो और कुकी लोगों का गठबन्धन

901-क. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विरोधी गतिविधियां संगठित करने के उद्देश्य से विद्रोही नागाओं, विद्रोही मिजो लोगों और विद्रोही कुकी आदिवासियों के बीच गठबन्धन है;

(ख) क्या यह सच है कि वे लोग चीनियों के साथ सांठ-गांठ किये हुए हैं, जो उन्हें प्रशिक्षण और हथियार देकर तोड़फोड़ की कार्यवाहियां करने के लिये उकसा रहे हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) हमें शक है कि ऐसी सांठ-गांठ होगी क्योंकि इससे विद्रोहियों द्वारा सीमापार से शास्त्रास्त्र प्राप्त करने का काम सुलभ बन जाता है । सरकार को यह भी पता है कि भूमिगत नागाओं का चीन के साथ कुछ समय से सम्पर्क रहा है और चीन के प्रचार साधनों में नागालैंड की ओर प्रतिकूल निर्देश रहे हैं। सुरक्षा से नाएं बराबर सतर्कता रख रही हैं और समुचित उपाय कर रही हैं।

तमिल सम्मेलन में मलेशियाई प्रतिनिधि मण्डल

910–ख श्री लीलाधर कटकी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी 1968 के पहले सप्ताह के दौरान मद्रास में हुए दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यीय मलेशियाई प्रतिनिधि मण्डल के साथ बहुत खेदजनक तथा निराशापूर्ण व्यवहार किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिनिधि मण्डल के नेता ने यथोचित मान्यता न दिए जाने के कारण भारत की आलोचना की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रतिनिधि मंडल के नेता को सम्मेलन में भाषण नहीं देने दिया गया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गई थी और यदि हाँ, तो क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) मद्रास सरकार से सूचना माँगी गई है, जिसने जनवरी, 1968 के प्रथम सप्ताह के दौरान मद्रास में हुए द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन का समायोजन किया था । सूचना यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Ayyar Commission

901–C. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the non-Congress Government of Bihar have appointed Ayyar Commission to enquire into the charges levelled against 6 Ex-Ministers ;

(b) whether it is a fact that these charges have been published in the Gazette ;

(c) whether in regard to the petition filed by Sri Krishna Ballabh Sahay before the Supreme Court in this connection, the Attorney General had given an assurance to the Court that no action would be taken by the Commission till the 22nd January, 1968 ; and

(d) if so, whether the Attroney General had consulted the Central Government or the Bihar Government before giving this assurance ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) to (d) The Ayyar Commission was appointed by the Government of Bihar. The Attorney General appeared in the Supreme Court on their behalf. The Union of India was not a party.

आसनसोल में भूमि का अर्जन

901–घ. श्री देवेन सेन : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1952 में वर्दवान जिले के आसनसोल में निगा हवाईअड्डा बनाने के लिये ली गई लगभग 16,000 एकड़ भूमि मे से कुछ भाग का अर्जन और कुछ भाग का अभिग्रहण किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि न तो अर्जित की गई भूमि के लिये कोई कीमत दी गई है और न ही अधिग्रहीत भूमि के लिये कोई मुआवजा दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि आपातकाल समाप्त हो गया है फिर भी अधिग्रहीत भूमि वापिस नहीं दी गई है ; और

(घ) क्या इस मामले कि जांच की गई है तथा क्या भूमि की कीमत देने और जितनी अवधि तक भूमि सरकार के कब्जे में रही है उतनी अवधि का मुआवजा उसके मालिकों को देने तथा उन्हें उनकी भूमि लौटाने के लिये कोई आदेश दिये गये हैं ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) मामले से सम्बन्धित तथ्य प्राप्त किये जा रहे हैं और सभापटल पर रख दिये जायेंगे ।

पश्चिम बंगाल की स्थिति पर वक्तव्य

STATEMENT ON SITUATION IN WEST BENGAL

अध्यक्ष महोदय ; मुझे माननीय गृह-कार्य मन्त्री से अनुरोध करना है कि वह अपना वक्तव्य दें ।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : 14 फरवरी, 1968 को पश्चिम बंगाल विधानमण्डल के संयुक्त सत्र की कार्यवाही और उसी दिन मध्याह्न पश्चात् विधान सभा की कार्यवाही के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें सूचित किया है । राज्यपाल सभा-भवन में उस द्वार से प्रवेश नहीं कर सके जिससे उन्हें इस प्रकार के अवसरों पर सामान्यतः प्रवेश करना होता है क्योंकि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने मुख्य द्वार रोका हुआ था और वह नारे लगा रहे थे कि राज्यपाल वापिस जायें। इसलिये वह एक दूसरे दरवाजे से सभा-भवन में दाखिल हुए । विरोधी पक्ष के सदस्यों ने उन्हें घेरने और भाषण देने से रोकने का सुनिश्चित प्रयत्न किया। हालांकि राज्यपाल अध्यक्ष के बैठने के स्थान पर नहीं पहुंच सके, फिर भी उन्होंने विधान मण्डल के संयुक्त सत्र का उद्घाटन करते समय अपने भाषण के कुछ अंश पढ़ दिए। इस अवसर पर गड़बड़ी के दौरान उन्हें साधारण घाव भी आए ।

मध्यान्ह पश्चात् जब विधान-सभा की बैठक हुई तो अध्यक्ष ने अपने पूर्वनिर्णय का हवाला दिया और सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करते हुए एक छोटा-सा वक्तव्य दिया । उन्होंने अपने भाषण में राज्यपाल के भाषण का कोई उल्लेख नहीं किया और न ही राज्यपाल के भाषण की प्रतियां सदस्यों को दी गयीं। फिर भी राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव किया गया । मैंने 30 नवम्बर, 1967 के अपने वक्तव्य में अध्यक्ष के पिछले विनिर्णय के सम्बन्ध में उठाये गये मामले के बारे में भारत सरकार के विचार बताये थे । पश्चिम बंगाल की विधान सभा के अध्यक्ष की टिप्पणियों के बावजूद सरकार का अब भी यही विचार है कि डा० पी० सी० घोष के नेतृत्व में बनाया गया वर्तमान मंत्रिमंडल ही पश्चिम बंगाल का वैधानिक मन्त्रिमंडल है । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी 6 फरवरी, 1968 के अपने निर्णय में इसी

दृष्टिकोण की पुष्टि की है। विधान-सभा को अनिश्चित काल के लिये दोबारा स्थगित करके अध्यक्ष विधान-सभा को संविधान के अनुसार कार्य करने से रोक रहे हैं। राज्यपाल से अभी-अभी हमें एक पत्र मिला है और इस पर विचार कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर सकती है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कीनिया से भारतीय राष्ट्रजनों का निकाला जाना

श्री क० लकप्पा (तुमकुर): मैं वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह उस पर एक वक्तव्य दें:

"कीनिया से बड़े पैमाने पर भारतीय राष्ट्रजनों का निकाला जाना, जिसके फलस्वरूप वे बेरोजगार हो रहे हैं और उनकी सम्पत्ति की हानि हो रही है।"

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

कीनिया में 186,000 भारतीय मूल के लोग हैं जिनमें कोई 130,000 ब्रिटिश नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रिक कुल 4000 के करीब हैं; कोई 49000 कीनिया के नागरिक हैं। बाकी के दर्जे का अभी पता लगाया जाना है। भारत सरकार को कीनिया से भारतीय राष्ट्रिकों के उद्वासित किए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है हालांकि हाल में भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति, जिनके पास ब्रिटिश नागरिक पासपोर्ट थे, कीनिया से यूनाइटेड किंगडम जाते रहे हैं।

2. कीनिया आप्रवास अधिनियम, 1967 के परिमाणस्वरूप, ऐसे सभी निवासियों को, जो कीनिया के नागरिक नहीं हैं, कार्य और निवास अनुज्ञा-पत्र (परमिट) लेने होते हैं। आप्रवास अधिनियम को बढ़ाना नया कानून है जिसके अनुसार तमाम व्यापार के लिए लाइसेंस लेना जारी कर दिया गया है और गैर-नागरिकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; ये लोग कुछ क्षेत्रों में कुछ ही वस्तुओं में व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

3. कीनिया में भारतीय मूल के अधिकांश लोग कपड़ा, सिले-सिलाए कपड़ों और पंसारी का खुदरा व्यापार में एकाधिकार था। इस समुदाय का शहरों, कस्बों और देहाती इलाकों में भी खुदरा व्यापार में एकाधिकार था। स्वाधीनता के बाद कीनिया सरकार ने भारतीय मूल के लोगों को दो वर्ष का समय दिया और कहा कि अगर वे चाहें तो स्थानीय नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश ने यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता बनाए रखी और इस तरह वे अब उन विनियमों के अन्तर्गत आ गए हैं जिनमें ऐसे आदेशियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी है जो उन नौकरियों पर लगे हैं जिनपर कीनिया के नागरिक काम कर सकते हैं। न तो आप्रवास अधिनियम का और न व्यापार लाइसेंस बिल का भारतीय मूल के उन लोगों पर कोई असर पड़ेगा जिन्होंने कीनिया की नागरिकता ले ली है।

4. भारत सरकार ने विगत में भारतीय मूल के उन लोगों को भारत में बसने की इजाजत दी है, और कुछ मामलों में उन्हें कस्टम की सुविधाएं भी प्रदान की हैं, जिन्होंने

मजबूरी में उन देशों को छोड़ दिया जहाँ वे जाकर बस गए थे। भारत सरकार भविष्य में भी इसी आधार पर मामलों पर विचार करने के लिए तैयार रहेगी हालांकि उसे आशा है कि जो भारतीय विदेशों में जाकर बस गए हैं वे उन देशों की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको ढाल लेंगे।

श्री क० लकप्पा : भारतीय मूल के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किये जाने का यह एक उदाहरण है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार इन लोगों के सम्बन्ध में कीनिया सरकार से उच्चतम स्तर पर बातचीत करेगी क्योंकि कीनिया सरकार ने अपने वचन का पालन नहीं किया।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: यह कहना ठीक नहीं है कि कीनिया सरकार उत्तरदायित्वहीन ढंग से कार्य कर रही है।

श्री क० लकप्पा : प्रधान मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री नाथ पाई (राजापुर) इन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने के कारण ही इन देशों को प्रेरणा मिलती है कि वे भारतीय मूल के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सम्बन्ध कई लाख भारतीय मूल के व्यक्तियों से है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्रधान मन्त्री को देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि उप-मन्त्री द्वारा उत्तर दिया जाता है तो वह ठीक है। हम इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकते कि आपके प्रश्न का कोई मन्त्री विशेष ही उत्तर दे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमें यह महसूस करना चाहिये कि कीनिया एक स्वतन्त्र और सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न देश है और वे लोग किसी आर्थिक नीति विशेष का अनुसरण कर रहे हैं। वे केवल नागरिकों और गैर नागरिकों में ही भेद-भाव कर रहे हैं। परन्तु भारतीयों ने कीनिया का नागरिक बनना स्वीकार कर लिया है, उनके साथ भेदभाव का कोई बर्ताव नहीं किया जा रहा। अपनी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिये वह जाति, रंग या धर्म पर कोई ध्यान दिये बिना गैर-नागरिकों के प्रति इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। यह कार्यवाही केवल भारतीय समुदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि सभी विदेशियों के विरुद्ध की जा रही है।

श्री क० लकप्पा : मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि क्या सरकार कीनिया सरकार के साथ उच्चतम् स्तर पर बातचीत करेगी क्योंकि कीनिया सरकार ने अपने वचन को तोड़ा है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमने कीनिया सरकार के साथ समय-समय पर बातचीत की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कोई कठिनाई नहीं होगी। वहाँ के उप-राष्ट्रपति तथा गृह मन्त्री ने वहाँ के भारतीय समुदाय को आश्वासन दिया है कि जो लोग कीनिया के नागरिक बन जायेंगे या जिनके आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं उनके साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा। यह कार्यवाही उनके विरुद्ध की जायेगी जो कीनिया के नागरिक नहीं हैं।

श्री श्रीधरन : प्रधान मन्त्री यहाँ उपस्थित रहने के बावजूद कोई उत्तर नहीं दे रही हैं। इससे पता चलता है कि भारत सरकार इस मामले के सम्बन्ध में कितनी उदासीन है। कीनिया में ही नहीं भारतीय मूल के लोगों के साथ अन्य देशों में भी अच्छा व्यवहार नहीं किया

जा रहा है । क्या सरकार का विचार कोई समिति नियुक्त करने का है या कोई और ऐसी व्यवस्था करने का है जो ऐसे तरीकों के सुझाव दे जिससे इस प्रकार का व्यवहार दोबारा न हो और उसे शीघ्र से शीघ्र रोका जा सके ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: सरकार का कोई समिति नियुक्ति करने का विचार नहीं है । परन्तु कुछ सुप्रसिद्ध लोग जैसे संसद् सदस्य आदि उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं और इस सम्बन्ध बातचीत करते हैं। हमने भारतीय मूल के लोगों को सलाह दी है कि वह अपने देश में लोगों के साथ घुलमिल कर रहें।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is not correct to say that there is no discrimination against Indians there who have chosen to become citizens of Kenya. There is discrimination against Indians in the name of Africanisation in one way or the other. The African Officials have themselves admitted it.

I would like to ask the hon'ble Minister as to whether he asked for any Report from our High Commissioner and, if so, what has he stated in his report? Has this matter been discussed with Kenya Government ? Moreover the steps taken to rehabilitate them are not adequate. Therefore what further steps Government would take in this direction ? In 1965 a delegation of Members of Parliament visited that country and a suggestion was made that a Financial Corporation should be set up which should consist of Bank L. I. C. and some categories of affected people would also invest some money. What happened to this suggestion ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : I want to assure the hon'ble Member that we are not treating this problem shabbily , we are taking it quite seriously. People living there have been advised from time to time in this respect. We are always on the look out as to how best we can help them. Whatever help they have sought, we have considered the same. I am not aware of the suggestion of Bank and L. I. C. but we can consider this suggestion as well. While considering the steps to be taken in this repect, we have to see that the same may not affect them adversely. We have taken all these things in view.Recently our two Members had gone there, they have also made certain suggestions and we are examining them.

Shri Kanwar Lal Gupta : I had asked whether report of the High Commission has also been called for.

Shrimati Indira Gandhi : It is received regularly.

Shri Kanwar Lal Gupta : What are the contents of these reports.

श्रीमती इन्दिरा गांधी: वह स्वयं यहां पर आये थे । उनसे हमारी बातचीत हुई है । उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : वे सुझाव कौन से हैं

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझे खेद है कि मैं इस समय सभा को आंकड़े नहीं बता सकती।

श्री डी० चं० शर्मा : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि जो भारतीय कीनिया के नागरिक बन गये हैं, उनके हितों की रक्षा के लिये वह क्या कर रहे हैं ? जो लोग ब्रिटेन चले

गये हैं, अथवा जिन्होंने अपनी नागरिकता के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है, उनके बारे में क्या किया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : भारतीय मूल के लोग चार श्रेणियों में आते हैं। कुछ लोग वे हैं जो कीनिया के नागरिक बन गये हैं। हमारे विचार में इनका उत्तरदायित्व कीनिया सरकार पर है। जिनके पास ब्रिटेन के पार-पत्र हैं, उनके बारे में हमने कई बार कहा है कि उनके हितों का ध्यान ब्रिटेन को रखना चाहिये। नागरिकता के सम्बन्ध में जिनके आवेदन-पत्र कीनिया सरकार के विचाराधीन हैं, उनके बारे में कीनिया के अधिकारियों तथा हमारे उच्च आयुक्त ने हमें आश्वासन दिया है कि वे उन पर विचार करेंगे और शीघ्र निर्णय करेंगे। इसी बीच इन लोगों को निवास अनुज्ञा-पत्र और कार्य अनुज्ञा-पत्र दिये जायेंगे। चौथी प्रकार के वे लोग हैं जिन की नागरिकता के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। यदि इन लोगों में से कुछ लोग भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं तो हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।

रेल दुर्घटना पर चर्चा के बारे में

RE: DISCUSSION ON RAILWAY ACCIDENT

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : Mr. Deputy Speaker, may I enquire about the discussion on that railway accident.....

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अभी मेरे पास विचाराधीन है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I may submit that the hon'ble Minister himself should make a statement in such cases.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उस समय सभा में उपस्थित नहीं थे जब सभा में वक्तव्य दिया गया था।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मोटर कार किस्म जांच समिति का प्रतिवेदन और उस पर सरकारी संकल्प

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) मोटर कार किस्म जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 78/68]

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 1 (95)/67–ए० ई० इण्ड० (1) दिनांक 12

फरवरी, 1968 की एक प्रति जिसके द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णयों की घोषणा की गई।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 79/68]

भारतीय औद्योगिकी संस्था, दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन): मैं भारतीय औद्योगिकी संस्था, दिल्ली के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ:

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 80/68]

विमान (पांचवां संशोधन) नियम इण्डियन एरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) विमान अधिनियम 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत विमान (पांचवां संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति, एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1926 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 81/68]

(2) विमान निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष 1966-67 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) एयर इण्डिया के वर्ष 1966-67 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 82/68]

मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्री इ० कु० गुजराल की ओर से मैं लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में, जो प्रत्येक के सामने दिखाये गये हैं, मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 1 और 2 — तीसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 9 और 10	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 8	पहला सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 10	सोलहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण 12	पंद्रहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 16	चौदहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 83/68]

Shri Madhu Limaya (Monghyr) : Shri Morarji Desai, has assured the House that a Bill would be introduced according to which the property of tax evaders would be confiscated. What has happened to it ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इसकी जानकारी माननीय सदस्य को बजट के समय मिलेगी ।

Shri Madhu Limaye : There was great hue and cry at the time of the submission of report of Public Accounts Committee on Road Rollers/ What action has been taken in that respect.

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : इस सम्बन्ध में एक प्रश्न 19 तारीख को पूछा जा रहा है और हम उसका उत्तर देंगे ।

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

डा० राम सुभग सिंह : श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) जी० एस० आर० 1908 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दो) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 84/68]

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : On behalf of Shri Sher Singh I beg to lay on the Table :

(a) copy of the International Coypright (First Amendment) Order, 1968, published in Notification No. S O. 97 (English version) and S. O. 98 (Hindi version) in Gazette of India dated the 6th January, 1968, under section 43 of the Copyright Act, 1957.

[Placed in Library See. No. L. T. 85/68]

आश्वासनों की क्रियान्विति के बारे में

RE: IMPLEMENTATION OF ASSURANCES

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जब सभा में तिहाड़ जेल की दुःखद घटनाओं पर चर्चा की गयी थी तो उस समय गृह मन्त्री ने दो आश्वासन दिये थे । उनमें से एक यह था कि पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल और इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स के पदों को अलग-अलग कर दिया जायेगा और यह भी आश्वासन दिया गया था कि संघ राज्य क्षेत्र में न्यायपालिका और कार्यपालिका को भी अलग-अलग कर दिया जायेगा । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये आश्वासन क्यों नहीं पूरे किये गये ।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : (कन्नड़ भाषा में बोले)

मोटर गाड़ी अधिनियम और राष्ट्रीय राजपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : I beg to lay on the Table :

(1) Copy of the Punjab Motor Vehicles (Chandigarh Second Amendment)Rules, 1967, published in Notification No. 9038-HII (2)-67/36056, in Chandigarh Administration Gazette dated the 1st January, 1968, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act 1939 .

[Placed in Library. Please See No. L. T. 86/68]

(2) A copy of Notification No. S. O. 39 published in Gazette of India dated the 6th January 1968, under section 10 of the National Highways Act, 1956.

[Placed in Library. Please See No. L. T. 87/68]

सभा की कायवाही का साथ-साथ अनुवाद किये जाने के बारे में

RE: SIMULTANEOUS INTERPRETATION OF PROCEEDINGS

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, it is for you to make arangment for this purpose.

अध्यक्ष महोदय : यह एक तकनीकी मामला है । मैं इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दे सकता । इस सम्बन्ध में कुछ विदेशी तकनीशनों से भी परामर्श किया गया था । सचिवालय ने भी इस सम्बन्ध में विचार किया था । उनका विचार है कि यह व्यवस्था 14 या 15 भाषाओं के सम्बन्ध में नहीं हो सकती । एक या दो भाषाओं के लिये

और व्यवस्था की जा सकती है । इस सम्बन्ध में सरकार और सचिवालय आगे विचार करेगा । मैं सभी भाषाओं में बोलने की अनुमति देता हूँ परन्तु इसके साथ मेरा यह अनुरोध है कि यदि सदस्य उस भाषा में बोलें जो सब व्यक्तियों के आसानी से समझ में आये तो अच्छा होगा ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 14 फरवरी, 1968 की बैठक में प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधक) विधेयक, 1968 पारित कर दिया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 14 फरवारी, 1968 की बैठक में शपथ विधेयक, 1968 पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयके सभा-पटल पर रखे गये

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA LAID ON THE TABLE

सचिव : मैं 14 फरवरी, 1968 को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968

(2) शपथ विधेयक, 1968

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Seventeenth Report

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): मैं आय-कर के विषय में राजस्व प्राप्तियों संबन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 के पैरा 59 तथा 60 तथा राजस्व प्राप्ति संबन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967 के पैरा 51, 56, 57, 58, 59 तथा 60 के बारे में लोक लेखा समिति का 17वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION

रेल्वे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्नों के 13 फरवरी, 1968 को लोक सभा में दिये गए उत्तरों के सम्बन्ध में मैं सभा को यह सूचना देना हूँ जो मुझे बाद में मिली—मद्रास पुलिस द्वारा 22-12-1967 को 26 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से 15 को बाद में छोड़ दिया गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि शेष 11 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जायेगा।

प्रश्न के भाग (क) में जो रेलवे सम्पत्ति की हानि सम्बन्धी आंकड़े दिये गये थे, उनके बारे में पता चला कि केरल के नाम पर जो 15693 रुपये की हानि दिखाई गई है, वह हानि दक्षिण रेलवे के पूरे ओलवाकोट डिवीजन के बारे में थी। इस डिवीजन में केरल राज्य और कुछ मद्रास राज्य का हिस्सा आता है। हानि वस्तुतः उस भाग में हुई है जो मद्रास के अन्दर आता है। अतः विवरण के आंकड़ों में भी इसके अनुसार संशोधन कर किया जायेगा।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सभा में सोमवार, 19 फरवरी 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा—

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

(2) रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा।

(3) औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति के बारे के डा० हजारी के प्रतिवेदनों पर चर्चा।

2. जैसा कि पहले घोषित किया गया है वर्ष 1968-69 के लिये रेलवे बजट 19 फरवरी, 1968 को प्रश्नों के निपटाये जाने के पश्चात् पेश किया जायगा।

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में

RE. SITUATION IN BIHAR AND WEST BENGAL

श्री नाथ पाई (राजापुर): बिहार की स्थिति पर चर्चा करने के लिये मैंने आपको एक सूचना दी थी। आपने यह बड़ी अच्छी परम्परा डाली है कि संविधान से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श के लिये आप सभा को अवसर देते हैं। बिहार में जो कुछ हुआ है उससे संविधान की आत्मा का हनन होता है। आपने पश्चिमी बंगाल की स्थिति पर चर्चा का अवसर दिया था। बिहार

की स्थिति उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है । अतः इस सभा में बिहार की स्थिति पर चर्चा करने का अवसर दिया जाये। परन्तु मेरी सूचना पर आपने क्या निर्णय किया है, यह अभी तक मालूम नहीं हो सका।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री नाथ पाई के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ जिसमें उन्होंने बिहार की स्थिति पर चर्चा की मांग की है। बंगाल की स्थिति पर विस्तृत चर्चा के लिए अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास प्रस्तावों की अनेक सूचनायें आई हैं । उन पर विचार करने में मुझे कुछ समय लगेगा ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : बिहार और पश्चिमी बंगाल की स्थिति पर चर्चा का हम भी स्वागत करेंगे । ये बातें अखिल भारतीय महत्व की है और उन पर जिम्मेदारी की भावना से विचार करना है ।

समिति का निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि शिक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या 11/1/67—सी ए आई (1), दिनांक 15 दिसम्बर, 1967 के पैरा 1 के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, चार वर्ष की अवधि के शेष भाग के लिये केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या 11/1/67—सी ए आई (1), दिनांक 15 दिसम्बर, 1967 के पैरा 1 के अनुसरण लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, चार वर्ष की अवधि के शेष भाग के लिए केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS-*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जायेगी ।

Shri Achal Singh (Agra): Sir, the President has invited our attention to the main problems facing the country. We are grateful to him. He mentioned about severe famine and drought. Our Government should be congratulated because they have successfully over come the difficulties created by the drought. It is our misfortune that we are still importing the foodgrains though ours is an agricultural country. Now intensive efforts are being made to increase our agricultural output. Fertilizers are being supplied, tractors are being arranged and tube-wells are being sunk. We hope that our food problem will be solved in coming two or three years. Accordingly our economic condition will also improve.

The situations of lawlessness and disorders have also been touched in the Presidential Address. Regionalism, linguism and communalism are the root causes of communal distrubances or riots. They are menace to the very existence of our democracy. We should be aware of all these things. In the interest of our nation political parties should not encourage the lawlessness but they should help in curbing such incidents. We should make ourselves good citizens. Students should also behave in responsible manners.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

There is a great value of morality in democratic way of life. Politics should be blended with moral standards. Then only our democracy will succeed. The state of politial instability is also dangerous for parliamentary democracy. West Bengal, Bihar, Punjab and Uttar Pradesh are now facing the political instability. It is injurious to the interests of the people o State. One of its reason is the crossing of the floor or defections from the parties. The tendency of crossing of the floor is the greatest danger to democracy. Members defect from their parties for being Ministers in the ruling party. It is a kind of corruption. Now the time has come when there should be only two parties in India. Moreover, we should keep the employees of Central and State Governments satisfied, because the whole governmental structure is based on them. Instead of increasing their dearness allowance the essential commodities should be suppied to them on cheaper rates. With these words I support the motion of Thanks on the President's Address.

श्री संबन्धन (तिरूत्ताणि) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश का, जैसा कि लोगों को आशा थी धूमिल चित्र खींचा गया है, क्योंकि गत 20 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किये हैं, उनसे देश का दिवाला निकल गया है ।

राष्ट्रपति जी ने देश में व्याप्त अराजकता का जिक्र किया है । इसके कई कारण हैं । दक्षिण में जो अराजकता फैली उसका कारण भाषा बताया जाता है । वास्तव में भाषा का प्रश्न एक नाजुक मामला है और भाषा की समस्या को हल करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए । गत समय में भाषा विधेयक के साथ संकल्प जोड़कर सरकार ने कोई बुद्धिमत्ता नहीं की है । इससे हिन्दी समर्थकों को प्रोत्साहन मिला है । सेठ गोविन्द दास जी ने यहां तक कह दिया कि तमिलनाड की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाये । यदि केन्द्रीय सरकार ने ऐसा प्रयास किया तो तमिलनाड के लोग उसका विरोध करेंगे । सम्पूर्ण भारत में तमिल ही एक ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है । यदि सरकार द्वारा भाषा सम्बन्धी विधेयक न लाया जाता तो देश में इस प्रकार के दंगे न होते । पश्चिमी बङ्गाल में भी शान्ति-व्यवस्था बिगड़ी । यह बड़े खेद की बात है कि वहां राजपाल ने विधान मन्डल के मामले में बहुत गुप्त रूप से हस्तक्षेप किया है, जिसके विरोध में वहां अस्त-व्यस्तता उत्पन्न हो गई थी ।

इसके बाद लोक-सभा 2 बजे म० प० तक के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjouredmment for Lunch till Two of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassmebled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री संबन्धन : देश में आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में आज जो अस्त-व्यस्तता व्याप्त है, उसका मुख्य कारण केन्द्र के पास शक्तियों का केन्द्रीयकरण है । इसी कारण से हम चाहते हैं कि शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये । यदि केन्द्र के पास शक्तियाँ कम होंगी, तो राज्यों के हाथ में शक्तियां अधिक होने से वहां शान्ति और स्थिरता भली भाँति स्थापित की जा सकेगी । केन्द्र के पास प्रतिरक्षा और वैदेशिक-कार्य जैसे सम्पूर्ण राष्ट्र के महत्व के मामले होने चाहिये ।

राष्ट्रपति ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया है । आज केन्द्र और राज्यों के बीच छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो जाते हैं । राज्यों के पास संसाधनों का अभाव है जिससे वे अपनी जिम्मेदारियाँ सुचारु रूप से नहीं निभा सकते और यह स्थिति भी अच्छे केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के लिये घातक है। वास्तव में संघीय सरकार में संसाधनों का बटवारा केन्द्र और संघटक एककों के बीच समानता के आधार पर होना चाहिये । यदि केन्द्रीय सरकार चाहती है कि केंद्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध सुधरें तो उसे राज्यों को अधिक शक्तियां, विशेषकर वित्तीय मामलों में, देनी होंगी ।

वर्तमान केन्द्रीय सरकार राज्यों के साथ सहयोग नहीं करती । मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ । गत् निर्वाचन के बाद तमिलनाड की सरकार ने विधान-सभा के अनुपात में विधान परिषद् के स्थान बढ़ाने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया था जिसके सम्बन्ध में केन्द्र ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है । दूसरे, तमिलनाड की सरकार ने केन्द्र से सिंचाई के लिये 20 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी । परन्तु केन्द्र ने यह अनुरोध भी नहीं माना । गलत योजना के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ी है । इसी से घाटे की अर्थव्यवस्था की नौबत आ गई । घाटे की अर्थ-व्यवस्था दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । सरकार को घाटे की अर्थव्यवस्था और आगे नहीं अपनानी चाहिये । भारी उद्योग, मध्यम स्तरीय उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग सभी के सामने मंदी आई हुई है । यह सब गलत योजना का परिणाम है । योजना के निर्माण में दूरदर्शिता से काम नहीं लिया गया । बड़े इस्पात कारखानों की बजाय हमारे देश में छोटे-छोटे इस्पात कारखाने स्थापित किये जाने चाहिये । यदि बोकारो में स्थापित किये जाने वाले इस्पात कारखाने की परियोजना को छोड़ दिया जाये तो उस पर लगने वाली लागत से सलेम, होस्पेट और विशाखापतनम् में इस्पात संयंत्र लगाये जा सकते हैं ।

कई वक्ताओं ने बेरोजगारी का जिक्र किया । मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान हथ-करघा उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसके सामने संकट आया हुआ है । हथकरघा उद्योग से लगभग 50 लाख परिवार गुजारा करते हैं । अब सरकार हथकरघा पर कम खर्च कर

रही है जबकि इस पर अधिक खर्च करना चाहिये। हथकरघा उद्योग की उपेक्षा के कारण उसका निर्यात घट गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि खादी उद्योग के साथ-साथ वह हथकरघा उद्योग पर समुचित ध्यान दे।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Sir, the President has observed in his address that Government have taken keen interest in the uplift of socio-economic condition of the Scheduled castes. Scheduled Tribes and other Backward Classes. But there is still a great deal to be done in this respect. The Address of the President is of the highest order. But there is no humanity left in the public dealing officers these days. The five persons were murdered at Vaigakappa, on 19th January, but the police officers present there at the time of incident did not take any action in the matter. What had they been doing on 20th January ?

A clash took place between the Hindus and Satnamis, who are Harjans at Vaghappa in Madhya Pradesh. As a result of long-standing ill will between the two groups section 144 was promulgated in 16 villages. Appropriate steps should be taken so that such things do not recur in future. A Committee representing both the factors should be set up there which should be responsible for the maintenance of law and order there. That Committee should also be responsible for intimating to the authorities in case any clash takes place in the area.

All sorts of atrocities were Committed at Mungeli on 14th January and at Veghappa on the 20th January. The Government has not been vigilant in such cases.

National integration can be achieved only by rousing the feelings of oneness amongst others also. The treatment meted out to Satnamis has definitely caused a set.back to the goal of solidarity. The Government should see to it that every one should be able to preach his religion in accordance with his belief and he should be given full liberty for this purpose.

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग): राष्ट्रपति का अभिभाषण एक औपचारिक कार्य ही नहीं है बल्कि इसका गहरा महत्व भी है। परन्तु राष्ट्रपति का यह अभिभाषण बिलकुल निरर्थक है। यह एक दस्तावेज के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिनमें नियमित मामले हैं और भविष्य के लिये कोई आशा नहीं है, इसमें इस बात का कोई संकेत नहीं है कि लोगों को विभिन्न राष्ट्रीय विपत्तियों से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

देश को स्वतन्त्र हुए 20 वर्ष हो चुके हैं परन्तु सरकार कोई राष्ट्रीय समस्या हल नहीं कर पाई है। वह देश के लिये और समस्यायें पैदा कर रही है और कोई नहीं जानता कि देश के भाग्य में आगे क्या है। आज देश के समक्ष खाद्यान की कमी, मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिक दंगे तथा साम्यवादी विनाश जैसी समस्यायें हैं। ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक है कि सरकार इन समस्यायों की ओर पूरा-पूरा ध्यान दे, सरकार को देश को दल से ऊपर रखना चाहिये और देश के सभी लोगों के हित की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

हाल ही की समस्याओं में से एक बहुत ही चिन्ताजनक समस्या भाषा की समस्या है। दक्षिणी राज्यों में इस विवाद ने भयानक रूप ले लिया है। इस मामले पर विद्यार्थी बहुत उत्तेजित हैं। मैसूर में गोलीबारी हुई है तथा अन्य राज्यों में, विशेषतया आंध्र प्रदेश में, इससे भी बड़ी घटनायें हुई हैं। दक्षिण में नवयुवक समझाते हैं कि यदि विधेयक और संकल्प क्रियान्वित किया गया तो इससे उन्हें बड़ी हानि होगी तथा अन्य लोगों को बहुत लाभ होगा। यदि सरकार ये विधेयक पुरःस्थापित करने से पूर्व सभी राज्यों विशेषतया दक्षिणी राज्यों से परामर्श किया

होता, जैसा कि पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर अमल करने से पूर्व किया गया था, तो वर्तमान गम्भीर स्थिति उत्पन्न न होती।

माननीय मंत्री द्वारा पैदा की गई एक अन्य समस्या मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद है। जब सरकार ने आयोग नियुक्त करने का इरादा प्रकट किया तो मैसूर सरकार तथा वहां की जनता ने इसका विरोध किया और कहा कि कोई आयोग नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये और सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं उठाये जाने चाहिये। फिर भी मैसूर तथा महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री इस बात के लिये सहमत हो गये कि आयोग के प्रतिवेदन को एक पंचाट माना जाना चाहिये और इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये। अतः जब आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया तो मैसूर सरकार ने अपने वचन का पालन करते हुए प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया परन्तु महाराष्ट्र सरकार ने इसे नहीं माना।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति

Committee on Private Members' Bills and Resolutions

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 19 वें प्रतिवेदन से, जो सभा में 14 फरवरी, 1968 को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन से, जो सभा में 14 फरवरी, 1968 को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

विधुर पुनर्विवाह विधेयक, 1968

Widower's Re-marriage Bill, 1968

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the remarriage of widowers".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधुर पुनर्विवाह के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Raghuvir Singh Sahstri : Sir. I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968

(अनुच्छेद 4, 80 आदि का संशोधन

CONSTITUTION (AMENDMENT) (BILL,) 1968

(Amendment of articles 4, 80 etc.)

Shri ShivChandra Jha (Madhubani) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Consitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adoptcd.

Shri Shiv Chandra Jha : I introduce the Bill.

लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक, 1968

(नई धारा 7–क का जोड़ा जाना)

The Representation of the People(Amendment) Bill, 1968

(Insertion of new Section 7-A)

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Sir I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, मैं पुरःस्थापन की अवस्था पर दो कारणों से इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इस सभा में एक मत से यह महसूस किया गया था कि दलबदल की समस्या को किसी विधान द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। यह एक राजनीतिक मसला है और इसका रानीतिक हल ही होना चाहिये। इस विधेयक के पीछे जो भावना है मैं उसका स्वागत करता हूँ। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह दलबदल का खेल सब से पहले किसने आरम्भ किया ? कांग्रेस ने ही श्री अशोक मेहता से इस खेल को आरम्भ किया था। अतः दलबदल के समूचे मामले पर विचार करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई है जब तक वह अपना प्रतिवेदन नहीं दे देती तब तक यह विधेयक यहां नहीं लाया जाना चाहिये।

दूसरा कारण यह है कि प्रजा समाजवादी दल के एक सदस्य श्री मिश्र द्वारा प्रस्तुत किया गया इससे मिलता-जुलता एक विधेयक पहले ही सभा के समक्ष है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Dr. Govind Das : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 343, 345 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment to Section 343 and 345 etc.)

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Mohammad Imam : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968

(धारा 87-ख का हटाया जाना)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1968

(Omission of section 87-B)

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में अग्रेतर संशोधन करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री नारायण रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968

(अनुच्छेद 343 का प्रतिस्थापन, अनुच्छेद 344 आदि में संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1968

(Substitution of Article 343, amendment of articles 344 etc.)

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमड़ तथा दीव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री सेक्वीरा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968–जारी

(आठवीं अनुसूची में संशोधन)

COUNSTITUTION AMENDMENT BILL, 1968—(Contd)

(Amendment to Eighth Schedule)

उपाध्यक्ष महोदय : महाराजा कर्णी सिंह जी द्वारा पेश किये गये भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार किया जायेगा । वह अपना भाषण जारी रखें ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : श्रीमन्, राजस्थान राज्य के एकीकरण के समय से ही हम यह अनुभव कर रहे हैं कि इस राज्य की अपनी भाषा होनी चाहिये । भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये 1961 के जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों में यह दिया गया है कि 1.49 करोड़ व्यक्तियों द्वारा राजस्थानी बोली जाती है, सिंधी केवल 13 लाख लोगों द्वारा बोली जाती हैं, फिर भी, बावजूद इसके कि भारत में कोई सिंधी राज्य नहीं है, सिंधी भाषा को मान्यता दी गई है । यदि राजस्थानी भाषा का विरोध करने वाले यह तर्क देना चाहते हैं कि राजस्थान के लोगों की मातृभाषा राजस्थानी नहीं हिन्दी है तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार के अपने आंकड़ों में राजस्थानी भाषी शब्दों का प्रयोग किया गया है । उन आकड़ों के अनुसार हिन्दी बोलने वालों की संख्या तो केवल $6\frac{1}{2}$ लाख ही है । अतः राजस्थान को हिन्दी भाषी क्षेत्र नहीं कहा जा सकता ।

मुझे हिन्दी समर्थकों से सहानुभूति है, किन्तु तथ्य तो यह है कि हमारी मातृभाषा हिन्दी नहीं है ।

राजस्थानी भाषा के बारे में बहुत शोध-कार्य हुआ है और 2 लाख शब्दों का शब्दकोष तैयार किया गया है। इस भाषा का साहित्य और व्याकरण बहुत विकसित है। आज बहुत से विद्वान राजस्थानी भाषा में पुस्तकें लिखने पर लगे हुए हैं। राजस्थान राज्य का हमारे देश में विशेष महत्व है।

हिन्दी भाषा का अपना विशेष महत्व है। परन्तु जब पंजाब में पंजाबी है। गुजरात में गुजराती है तो राजस्थान में भी राजस्थानी होनी चाहिये। राजस्थान की कई बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी, बीकानेरी आदि। मैं समझता हूँ कि कुछ भाषाएं तो अपने राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी प्रयोग में लायी जाती हैं। जैसे हमारे राज्य राजस्थान के कुछ भागों में पंजाबी बोली जाती है और कुछ में गुजराती का प्रयोग होता है। इस प्रकार एक भाषा को आप सीमाओं में बांध नहीं सकते। सरकार ने सिंधी भाषा को मान्यता दे दी है, जबकि यह किसी राज्य की भाषा नहीं है। राजस्थान से हमारी सेनाओं के लिये भर्ती के लिये बहुत वीर सैनिक आते हैं। इस वीरभूमि की भाषा को भी मान्यता मिलनी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वहां के लोगों को बहुत क्षोभ होगा।

आज वहाँ की भाषा हिन्दी है। परन्तु वहाँ पर केवल साढ़े छः लाख व्यक्ति हिन्दी बोलते हैं। इसलिये सरकार को विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करना चाहिये जो इस बात पर विचार करे कि राजस्थानी को कैसे राज्य की भाषा बनाया जा सकता है। मेरे इस प्रस्ताव का केवल यही उद्देश्य है कि राजस्थानी भाषा को इसका उचित स्थान मिले।

हम अपनी भाषा को किसी पर लादना नहीं चाहते। राजस्थान के कुछ भागों में वृज भाषा प्रचलित है। यह एक बहुत अच्छी और प्राचीन भाषा है। हमें उस को भी प्रोत्साहन देना चाहिये।

कुछ लोग कहते है कि राजस्थानी भाषा है ही नहीं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। राजस्थानी के कई रूप है, जैसे अन्य भाषाओं के भी हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा के कई प्रकार हैं। इसलिये हमें यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करना होगा कि राजस्थानी एक सम्पूर्ण और विकसित भाषा है। यह भी कहा जाता है कि राजस्थानी भी हिन्दी की भांति देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। परन्तु मराठी भी तो कुछ भिन्नता से देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। राजस्थानी में तो हिन्दी से कुछ भिन्न अक्षर भी हैं। इस विषय को समझने की आवश्यकता है। राजस्थान में अंग्रेजी और हिन्दी राजस्थानी भाषा के माध्यम से पढ़ायी जाती हैं।

हिन्दी से हमारी भाषा बहुत प्रकार से भिन्न है। मैं भारत की बहुत सी भाषाएं जानता हूँ। परन्तु में राजस्थानी को सबसे अधिक घनिष्ठता से जानता हूँ क्योंकि यह मेरी मातृभाषा है। राजस्थानी को मान्यता देने से देश की एकता और अधिक मजबूत होगी।

एक बार जोधपुर में राजस्थानी साहित्य सम्मेलन कर हम भारत की सभी भाषाओं का विकास करना चाहते हैं जिसमें राजस्थानी भी है। डा० राधाकृष्णन ने भी क्षेत्रीय भाषाओं को समझने पर बल दिया था।

हम राजस्थानी लोग बहुत शान्तिप्रिय लोग हैं। हम अन्दोलनों में विश्वास नहीं रखते।

इसलिये हम मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमारी उचित मांग स्वीकार करें। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने का समर्थन करेंगे।

हमारे साहित्य में बहुत बड़े-बड़े ग्रन्थों की रचना हुई है। विदेशी भाषा-विशेषज्ञों ने भी राजस्थानी भाषा के महत्व को पहचाना है। हमारे क्षेत्र को राजपूताना कहते थे परन्तु वहां की भाषा राजस्थानी थी। इस राज्य का नाम राजस्थान रखा गया।

साहित्य अकादमी ने जो शर्तें एक भाषा को मान्यता देने के लिये नियत कर रखी हैं, हमारी भाषा उन सब शर्तों को पूरा करती है। राजस्थानी में आपको सभी विषयों पर पुस्तकें मिलेंगी। राजस्थानी भाषा क्षेत्रीय भाषाओं की सभी शर्तों को पूरा करती है।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : I have been a supporter of Hindi. I want its development at a rapid pace. It is our national language. Rajasthan Government has done much for this language. It is the official language of Rajasthan since last January. It is being used for all official language. There is no conflict between Hindi and Rajasthani. Hindi is our official language because it is spoken and understood by the largest number of our countrymen. Similarly it is akin to most of our regional languages. We do not want any clash between Hindi and regional language. I feel that with the development of regional languages Hindi will also benefit. Rajasthani is a very rich language.

There are three essentials for language. It should have its own vocabulary. Its literature should be rich and it should be used by a large number of people.

Rajasthani fulfills all these conditions. Mira, the great poetess, used this language. That language should be given its due recognition. There is much difference in Hindi and Rajasthani.

Dr. Govind Das (Jabalpore) : I support the demand of Rajasthani being granted recognition by Sahitya Academy. At that same time I feel that all the dialects like Maithili, Magadhi, Bhojpuri etc. should also be given recognition. It all these dialects are included in eighth schedule then the antagonists of Hindi will say that there is no language as Hindi. Hindi has been given the status of official language unanimously. It is wrong contention that it was by a majority of a single vote that Hindi was adopted as official language. Hindi is the language of largest percentage of our country. It should be used for all purposes. Its dialects should be given all encourgements but they should compete with Hindi. I am sorry to say that I oppose this Bill.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I oppose the Bill moved by Dr. Karni Singh. There are differnt dialects of Hindi used in different parts of Rajasthan. Hindi language is a very developed language. It has numerous dialects. It changes after a distance of every ten miles. In U.P. I know, its a bit different in almost all districts. Rajasthani is also a dialect of Hindi.

Shri Nahata was saying about the songs of Meera. I would say that Meera and other Hindi writers such as Tulsi, Keshav, Jaysi etc. have made great contribution to the development of Hindi.

I want to say that Maharaja Karni Singh by bringing about this Bill about Rajasthani languages is giving a big destructive weapon to those who want to learn the cause of Hindi.

Shri Karni Singh stated that there is a Rajasthani weekly published from Jaipur. I want to ask how many people subscribe to that weekly. Secondly I want to know whether Rajasthani language has got a Grammar of its own and if so who wrote it ?

One argument has been advanced is that Marathi language is written in Devanagri Script. But that language and the Gorakhali language have an independent place.

Another argument advanced is that so many manuscripts are lying unpublished of Rajasthani language. The sounds similar to the one that we should make Sanskrit as our official language. That argument was also advanced to finish the Hindi language.

I would request Shri Karni Singh to withdraw this Bill as we already have much trouble on account of language in the country. We should welcome the constitutional provision in this regard.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम्) : मैंने श्री करणी सिंह से पूछा कि क्या राजस्थानी भाषा का कोई व्याकरण है तो उन्होंने उत्तर दिया कि हां है और उसका नाम है "राजस्थानी व्याकरण जिसे श्री नरोत्तम दास ने लिखा है।" जब रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है राजस्थानी एक शक्तिशाली भाषा है तथा इसका साहित्य भरा हुआ है तो हम क्यों नहीं उन्हें गर्व अनुभव करने देते ? अच्छा है कि यह चीज ठीक समय पर ही हल हो जाये। गलत समय पर करना अच्छा नहीं होगा। उसमें संदेह ही उत्पन्न होगा।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। हमें इस पर दलबन्दी से नहीं सोचना चाहिये।

भाषा के प्रश्न पर हमें दो पहलुओं पर विचार करना होगा। एक तो यह कि क्या उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है और दूसरे क्या इसे राजनीतिक रूप से ऐसा माना जा सकता है।

डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी को एक स्वतंत्र भाषा की श्रेणी में लिखा है। एक भाषा की दूसरी भाषा से मिलने का अर्थ यह नहीं होता कि उन्हें एक में ही मिला दिया जाये। श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने कहा कि राजस्थानी भाषा का कोई समाचार-पत्र नहीं है। मेरा उत्तर यह है कि ऐसे तो सिंधी भाषा का भी कोई अच्छा समाचार-पत्र नहीं है। इसलिये हमें ऐसी भाषाओं को सुविधा देनी चाहिये। मैं श्री तेन्नेटि विश्वनाथम की बात का समर्थन करता हूँ। अच्छे कार्य को ठीक समय पर ही पूरा करना चाहिये।

मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।

Shri Bhola Nath (Alwar) : Sir, the bill brought forward by Maharaj Karni Singh is to sow seeds of disruption in the already divided country of ours.

Before independence there was one Assembly in Bikaner. The language spoken there was nor Rajasthani. Maharaja Karni Singh could have introduced Rajasthani language in the Assembly if he thinks that Rajasthani is a separate language. He did not do so then.

Secondly "Rajasthan" move was agreed upon by Sardar Patel just to please the Maharajas. Otherwise we have never named any State after the name of a class of people. We gave the states of U. P. and M. P. their respective names because they are geographically situated as such. It is not so in the case of Rajasthan.

We speak Marwari dialects in some parts of Rajasthan.

I therefore again reiterate that there is no language known as Rajathaani. Maharaja Karni Singh wants to revive his old order.

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : Sir, I support this resolution. I would have liked the Government itself brought forward this resolution in favour of Rajasthani language.

Rajasthani language is an amalgam of so many languages such of Mawati, Malwi, Bagi, Marwari and Dhoondhari.

The literature of Rajasthani is very ancient. This language had a forceful literature. It had both prose and verse. Had Rajasthani language been given its due place it would have helped much as the time of Chinese and Pakistani aggressions on our country.

Pandit Madan Mohan Malviya and Ravindra Tagore have spoken rightly about the Rajasthani language.

It is not correct to say that there are no periodicals in Rajasthani language. It has three to four monthly magazines and one fortnightly.

This language should be given proper facilities to prosper. Most of the people from Rajasthan support this resolution

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : Sir, I oppose this Bill about inclusion of Rajasthani into the Eighth Schedule of the Constitution. At present we find people trying to assert their leadership in the name of caste, language and province.

Rajasthani language may be having a good literature but it should not be included in the Constitution. It is not the inclusion in the Constitution that a language can be called good language. Secondly all the so many dialects will then have to be included in the Constitution.

The language which is spoken in Rajasthan is in fact the Marwari language. All these are the products of Hindi. One can find such dialects and change in pronunciation in English language too.

Punjabi is also a part of Hindi language. Rajasthani is also a corrupt form of Hindi. The D. M. K. People are supporting this Bill. They want to show that Hindi people are not in majority in the country.

It is necessary that this Bill should be considered carefully. Variation of words of language do not create a language. In case Rajasthani is included in the Constitution, people from other provinces will make agitation to recognise the languages of their provinces.

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : मैं उन लोगों में से हूं जो हिन्दी को केवल देश की एक सम्पर्क भाषा स्वीकार करते हैं । यदि आप अपनी भाषा का आदर करते हैं तो आपको दूसरी भाषाओं को भी आदर प्रदान करना होगा ।

हमारे सामने इस समय दो प्रश्न हैं और वे ये कि क्या राजस्थानी एक भाषा है और क्या राजस्थानी को अष्टम अनुच्छेद में शामिल किया जाना चाहिये । क्या राजस्थानी को भाषा आयोग ने भी भाषा माना है । इस आयोग ने सिफारिश की थी कि नैपाली भाषा को भी मान्यता दी

जानी चाहिये । मैं भाषा विशेषज्ञ नहीं हूँ । मुझे ज्ञात नहीं है कि राजस्थानी अलग भाषा है या बोली है । मेरे विचार से यह एक भाषा है ।

श्रीमती निर्लेप कौर (संगरूर): महाराजा कर्णी सिंह ने राजस्थानी के तर्क में बड़े जोरदार तर्क दिये हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में न्यायालय की भाषा क्यों नहीं है ? महाराजा रणजीत सिंह के समय में भी पंजाब में न्यायालय में पंजाबी भाषा नहीं थी बल्कि फारसी भाषा थी । किन्तु पंजाबी अब पंजाब की भाषा है ।

जहां तक बोलियों का सम्बन्ध है हिन्दी में भी बोलियाँ हैं, ऐसे ही राजस्थान में भी बोलियां हैं । हमें उनसे सबक सीखना चाहिये । हम केवल तर्क के आधार पर ही लोगों की भावना को नहीं दबा सकते । प्रादेशिक भाषाओं की इतनी आलोचना किये जाना मेरी समझ में नहीं आता । जब यह निर्णय किया जा चुका था कि देश का विभाजन भाषाओं के आधार पर होगा तो देश में 14 भाषाएं क्यों है 15 या 16 भाषाएं क्यों नहीं । यदि वह 20 हैं तो बीस क्यों नहीं । आप पंजाबी, राजस्थानी तथा महाराष्ट्र भाषाओं में भेद-भाव नहीं कर सकते ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Two or three months back a Resolution was passed on the Table of the House that the regional languages should be developed as far as possible, whether they may or they may not be included in the Schedule. I do not agree that the Rajasthani language should be included in the Schedule of the Constitution. Steps should be taken to develop Rajasthani, Haryana and other languages of the country.

श्री सेक्वीरा (गोवा, दमण तथा दीव): मैंने आज संशोधन से आठवीं अनुसूची को निकालने सम्बन्धी विधेयक पुरःस्थापित किया है । देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी मातृभाषा से प्रेम होता है जब तक आठवीं अनुसूची कायम रहेगी तब तक उस अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं और उन भाषाओं के बीच जो उसमें शामिल नहीं की गई हैं, भेदभाव बना रहेगा ।

प्रत्येक भाषा को समान महत्व दिया जाना चाहिये । लोगों की यह मांगे उचित हैं अतः इनको पूरा किया जाना चाहिये ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपने दल की ओर से राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का समर्थन करता हूँ । किसी भी भाषा का विकास उस भाषा के बोलने वाले लोगों के विकास के लिये होता है राजस्थान में 150 लाख व्यक्ति राजस्थानी या इससे मिलती-जुलती बोलियां बोलते हैं । राजस्थान के व्यक्तियों को अपनी भाषा को विकसित करने का अधिकार है । हिन्दी के समर्थकों को यह नहीं समझना चाहिये कि राजस्थानी भाषा उनकी प्रतिद्वन्दी है ।

उनको इस संकुचित भावना को छोड़ देना चाहिये कि केवल हिन्दी का ही विकास किया जाये । संसद् को राजस्थानी भाषा को मान्यता देनी चाहिये ।

श्री धी.रेश्वर कलिता (गोहाटी) : डा० कर्णी सिंह ने तर्क द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि राजस्थानी एक भाषा है । इसका अपना व्याकरण भी है, शब्दकोष भी और

साहित्य भी । इसे बोलने वाले लोग भी बहुत हैं । प्रत्येक भाषा का लोगों में अपना स्थान होता है और उसे विकसित किया जाना चाहिये । उसको किसी भी प्रकार-से से दबाया नहीं जा सकता, चाहे उसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये अथवा नहीं । अतः लोकतन्त्र तथा संवैधानिक निदेश के अनुसार जिन भाषाओं का विकास नहीं हो पाया है उन्हें विकसित किया जाना चाहिये और जिन भाषाओं को संविधान में स्थान दिया गया है उन्हें उचित स्थान दिया जाना चाहिये । राजस्थानी की तरह भारत में विकसित हो रही भाषाएं जैसे नेपाली, मनीपुरी तथा अन्य भाषाओं को हमें आठवीं अनुसूची में शामिल करने में झिझक नहीं करनी चाहिये ।

हमने संस्कृत को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया है, यद्यपि संस्कृत को कोई नहीं बोलता तो हम राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल करते ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री कन्डप्पन (मेतूर) कुछ सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध इसलिये किया है कि यदि राजस्थान के लोगों की समुचित आकांक्षाओं को स्वीकार कर लिया गया तो इससे हिन्दी का अहित होगा । हम किसी भी भाषायी का समुदाय, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, का दमन कर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते ।

यदि हिन्दी भाषा-भाषियों की यह भावना है तो मुझे भय है कि राजस्थान में इस प्रश्न को लेकर कोई अभियान अवश्य होगा । हमें राजस्थानी भाषा को बनाये रखना चाहिये और इस पर महान भाषा के रूप में गर्व करना चाहिये । मैं सरकार से यह निवेदन करूँगा कि डोगरी और राजस्थानी जैसी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

Shri Onkar Lal Berva (Kotah) : Rajasthani has not been given any recognisation even at State level. Different dialects are being spoken in Rajasthan. It is for us to decide which language should be given recognisation. There is no one common language.

The move for inclusion of Rajasthani lauguage in the Eighth schedule is getting the support of those who are opposed to Hindi getting its right place.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): राजस्थानी भाषा राजस्थान में काफी लोगों द्वारा बोली जाती है । इसके अतिरिक्त और भी ऐसी भाषाएं हैं जिसे देश के लाखों लोग बोलते हैं । यदि हम सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश पर ध्यान दें तो हमें पता लगेगा कि वहाँ बहुत से लोग अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली और मागधी बोलते हैं । उनमें से केवल खड़ी बोली को, जो विकसित होकर अब हिन्दी भाषा बन गई है, क्यों सभी लोग स्वीकार करते हैं । मैं राजस्थान के व्यक्तियों या राजस्थानी भाषा का विरोधी नहीं हूँ । मुख्य प्रश्न उसको आठवीं सूची में शामिल किये जाने से है । हमने किसी भी भाषा को केवल सिवाय, सिंधी भाषा को छोड़कर अनुसूची में शामिल नहीं किया है । ऐसा हमने एकमत से किया है । ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि सिंध में यह राष्ट्रभाषा थी और सिंध अविभाजित भारत का एक अंग था । यह आवश्यक नहीं है कि यदि कोई भाषा किसी राज्य की

राजभाषा बन जाती है तो उसको आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये । किसी भाषा का विकास एक भिन्न विषय है । राज्य की कोई भाषा जो बोली जाती है राजभाषा बन सकती है और इसलिये यह जरूरी नहीं है कि उस भाषा को मान्यता देने, विकास करने या सरकारी प्रयोजनों के लिये आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये । यदि हम सभी ऐसी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने लगेगें तो हमारा संविधान विकृत हो जायेगा। तब इतनी अधिक राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी कि उन्हें हल करना कठिन होगा ?

यदि राजस्थान के लोग अपनी भाषा का विकास करना चाहते हैं तो हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है ।

डा० कर्णी सिंह : सरकारी जनगणना के अनुसार लगभग $1\frac{1}{2}$ करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं । वे लोग राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान करवाना चाहते हैं । हमें विवाद का स्तर ऊंचा बनाये रखना है और इसे वैयक्तिक स्तर पर नहीं लाना है । यह कहा जाता है कि राजस्थान की भाषा विकसित नहीं हो सकती। राजस्थान में 22 रियासतें हैं और वे भाषा का विकास नहीं कर सकतीं । यदि दक्षिण के सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है तो वह प्रादेशिक भावना से प्रेरित होकर नहीं । यदि मेरे विधेयक को सभा में पुरःस्थापित करने को कोई राष्ट्रीय एकता में विघटना की संज्ञा देता है तो मैं इसके सहमत नहीं।

मैं अपने विधेयक को इस अनुरोध के साथ पेश करता हूँ कि वह संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ भेज दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 18 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 12 सदस्य, अर्थात् :—

श्री ओंकार लाल बेरवा, श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, श्री ललित सेन, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री अमृत नाहाटा, श्री नम्बियार, श्री नाथ पाई, श्री ईरा सेझियान, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री एन० के० सोमानी, श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया, डा० कर्णी सिंह और राज्य सभा के 6 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्य का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 6 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Loke Sabha Divided.

पक्ष में — 38 विपक्ष में 92

Ayes — 38 Nocs 92

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was Negatived

संविधान संशोधन विधेयक

अनुच्छेद 85 का संशोधन

CONSTITUTION AMENDMENT BILL

Amendment of Article 85

Shri Prkash Vir Shastri (Hapur) : I had suggested in my Bill that one of the sessions of Parliament be held at Bangalore or Hyderabad.

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अगली बार पुरःस्थापित कर सकते हैं।

संविधान संशोधन विधेयक, 1968

अनुछेद 85 तथा 174 का संशोधन

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1968

Amendment of Articles 85 and 174

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move for leave to introduce the Bill further to amend Articles Nos. 85 and 174 of the Constitution.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968

अनुछेद 74 और 163 का संशोधन

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1968

Amendment of Articles 74 and 163

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I beg to move for leave to introduce the Bill further to amend Article Nos. 74 and 163.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968

नये अनुच्छेद 174–क का रखा जाना

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1968

Insertion of New Article 174-A

Shri Nath Pai (Rajapur) : I beg to move for leave to introduce the Bill further to amend Article 174(A).

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Shri Nath Pai : I introduce the Bill.

चलचित्र उद्योग श्रमिक बिधेयक, 1968

FILM INDUSTRY WORKERS BILL, 1968

Shri S. C. Samanta (Tamluk) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide machinery for fixation of wages and for improvement of working conditions of workers in the Film Industry.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र उद्योग में श्रमिकों की मजूरी निर्धारित करने तथा उनके काम की दशा में सुधार करने के लिये प्राधिकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Shri S. C. Samanta : I introduce the Film Industry Workers Bill.

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम*

RE: HINDU SUCCESSION ACT*

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Speaker, I want to invite the attention of the Government to a complaint of the farmers living in the rural sector of this country. The Section 8 of Hindu Succsion Act badly affects the interests of farmers in the whole northern part of India i.e. in Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. According to this Section the rights of girls are protected in respect of the share in father's property.

It is a well established custom, which protects the rights of girls. In a Hindu family girls are brought upto the age of 12 to 13 years. Then their marriages are arranged in the families of the same caste living in far off villages. After marriage girls move to the villages of their husbands and live there for whole life except occasional visits to the houses of their parents, when they are warmly welcomed by parents. When they again go back to their husbands parents give them cash and various kinds of gifts. Brothers give Bhat (cash money and gifts) at the time of the marriage of their sisters' children. First of all parents spend a clossal amount on the marriage of their girls. They give gifts to their daughters after marriage at the birth of every child Thus girls are always honoured by their parents and brothers. They are worshipped in every Hindu family. There are festivals like Rakasha Bandhan, when sisters are honoured socially and economically. In this way I think the rights of a girl are well protected. She receives more in the form of cash money and gifts from her parents over a span of her life than what she receives as a matter of share in the property of her father, and this all based on the love and affection. On the contrary, the Section 8 has damaged the prestige of girls in the houses of their parents. The place of love and affection has been taken by hatred and enmity. Now brothers and sisters go to the courts. Suppose a girl who is married with a man living 50 miles away, receives her share of agricultural land. How will she manage to plough this land and receive the fruits of of the same ? On the other hand, I suggest that a wife should have equal share in her husband's property. If any girl divorces her husband or she remains unmarried throughout her life or she is crippled or handicapped, then she should be given equal share in the property of her father, otherwise not.

Viewing all these things a resolution was sent by the Assembly of Haryana to the Central Government. That should be given a practical shape by the Central Government. It is not a question of any party. It is a question of long-established social tradition. It is a question of emotions of the poeple . A borther provides the greatest protection to his sister. The father and the brothers of a girl spend much more on her marriage etc. that what she is entitled to

---

*आधे घन्टे की चर्चा

*Half-an-hour discussion

have as a share in the property of her parents. Thus there is no necessity of protection of this kind. In the end I request the Central Government to accept the Resolution sent by Haryana Government.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I hold the same opinion as expressed by my friend Shri Randhir Singh in respect of Hindu Succession Act. I want to place before you its repurcussions on our economy. According to the provisions of this Act agricultual land is further divided which results in less production and makes the agrarian land more uneconomic. Secondly people spend more on litigation than what is their gains therefrom. This Act is the greatest reason for the increase in the number of clashes between brothers and sisters. I request that this Act should accordingly be amended at least for northern India.

श्रीमती निर्लेप कौर (संगरूर) : मैं पंजाब की निवासी हूँ और वहां इस कानून का अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है । इसका ध्येय तो बड़ा अच्छा है । यह लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था । परन्तु व्यवहार में इसका प्रभाव विपरीत पड़ा । प्रायः यह कहा जाता है कि इस देश में लड़कियों पर अत्याचार किया जाता है। परन्तु उनके अधिकारों का हनन् कौन करता है ? उन पर अत्याचार कौन करता है ? पिता अपनी लड़की पर अत्याचार नहीं करता। भाई अपनी बहन को तंग नहीं करता । लड़कियों पर अत्याचार उनके पति करते हैं। वे उन्हें पीटते हैं, तंग करते हैं । यदि पति किसी दूसरी लड़की के साथ विवाह कर लेता है तो उस स्थिति में पिता ही लड़की की देख-भाल करता है । मेरे विचार से पिता के घर पर लड़की के अधिकार सुरक्षित हैं और पति के घर पर नहीं । वर्तमान अधिनियम से जहां लड़कियों के अधिकार पहले से ही सुरक्षित हैं, वहाँ उन्हें कानूनी रूप से सुरक्षण प्रदान किया गया है । आवश्यकता इस बात की है कि लड़की के अधिकार पति के घर पर सुरक्षित किये जायें । पिता के घर पर तो लड़की 14 या 15 वर्ष तक ही रहती है और शादी के पश्चात् वह अपनी ससुराल चली जाती है, जहां उसे अपनी पूरी आयु तक रहना होता है । विवाह के पश्चात् लड़की अपने पति के परिवार में मिल जाती है। उसका नाम भी पति के नाम के अनुसार बदल जाता है। इसलिये लड़की को अपने पति की सम्पत्ति में समान हिस्से का अधिकार मिलना चाहिये, न कि पिता की सम्पत्ति में समान भाग ।

लड़की के अपने पिता की कृषि भूमि में से हिस्सा लेने पर कई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं । विवाह के पश्चात् लड़की अपने पति के साथ अपने पिता के गांव से 50 या 60 मील दूर रहती है। वहां से वह अपने पिता के गाँव में खेती कैसे कर सकती है जब तक कि वह अपने पति सहित उस गांव में आकर न बसेगी । परन्तु पति अपने निवास स्थान, काम-धन्धे या व्यापार को कैसे छोड़ सकता है ? यदि लड़की किसी काश्तकार से काश्त करायेगी तो कुछ समय के पश्चात् भूमि पर काश्तकार काबिज हो जायेगा । यदि वह भाई से खेती करायेगी तो भाई उसे खेत की सारी उपज नहीं देगा। इस प्रकार इस कानून से क्या लाभ हुआ ? इस कानून से पूर्व तो भाई बहनों में अगाध प्रेम था, परन्तु उसके बाद में कई बहनों ने अपने भाइयों को राखी के स्थान पर हथकड़ियां पहनाई हैं । कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है। इस कानून से कम से कम उत्तरी भारत में कोई लाभ नहीं हुआ है । अतः मेरा अनुरोध है कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाये ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 12 वर्ष पूर्व काफी लम्बे वाद-विवाद के पश्चात् पास किया गया था । अधिनियम का उद्देश्य तो यह है कि एक

पिता की सब सन्तानों का उसकी सम्पत्ति पर समान अधिकार होना चाहिये। उत्तराधिकार, विवाह आदि विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में उल्लिखित हैं और उन पर संसद् भी अधिनियम बना सकती है। आज के भाषणों से मुझे ज्ञात हुआ कि हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश की इस सम्बन्ध में अपनी समस्याएं हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य समस्या है कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाने की। परन्तु इस अधिनियम में एक उपबन्ध ऐसा है जिसके अनुसार इस कानून की सम्बन्धित धारा वहां लागू नहीं होगी जिस राज्य में विधान मंडल द्वारा इस आशय का कानून बनाया हुआ होगा कि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े न किये जायें। कई राज्यों ने कृषि भूमि विभाजन को रोकने के लिये कुछ कानून बनाये हैं। जहां तक मुझे याद है हरियाणा और पंजाब ने भी इस प्रकार के कानून बनाये हैं।

जहां तक पति की सम्पत्ति में पत्नी के अधिकार की बात है, मेरे विचार से विश्व में कहीं भी ऐसा कानून या प्रथा नहीं है जिसके अनुसार पत्नी को पति के पिता की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हों। पत्नी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपेक्षा करने वाले पति से निर्वाह भत्ता प्राप्त कर सकती है।

पंजाब के विधान-मंडल ने 21 अप्रैल, 1960 में एक संकल्प इस आशय का पास किया था कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 कृषि-भूमि पर लागू नहीं होगी। परन्तु 6 दिन बाद 27 अप्रैल 1960 को वह मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर रद्द कर दिया गया। स्वयं पंजाब सरकार इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर सकी थी। चूंकि यह समवर्ती सूची का विषय है इसलिये इस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। उदाहरणार्थ, मद्रास में आत्म-सम्भान विवाह के सम्बन्ध में कानून बनाने की राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुमति मांगी थी और केन्द्रीय सरकार ने अनुमति दे दी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के मतों का आदर करेगी।

जहां तक हरियाणा की विधान सभा द्वारा केन्द्र को भेजे गये संकल्प का सम्बन्ध है, उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि यदि राज्य सरकार इस मामले पर गंभीर है तो वह इस सम्बन्ध में कानून बनाये जो स्थानीय कठिनाइयों का निराकरण करे। संसद् में किसी राज्य विशेष के लिये कानून नहीं बनाये जा सकते।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 19 फरवरी, 1968/30 माघ, 1889 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February 19, 1968/Magh 30,1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad-3